मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 66 | अंक : 1 | जुलाई, 2015 | पृष्ठ : 80 | मूल्य : ₹10

छात्रवृत्ति विशेषांक

सत्यमेव जयते

प्रो. वासुदेव देवनानी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

आओ गाएं शिक्षा के मंगल गीत

ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय खुल चुके हैं। बालक-बालिकाओं की चहलकदमी से विद्यालय-आंगन चहकने लगे हैं। अभिभावक एवं शिक्षक विद्यालय-बगिया में बच्चों एवं शिक्षा रूपी पुष्पों की वृष्टि करने के लिए आतुर हैं। माता-पिता अपने बाल गोपाल को शिक्षकों के हाथों में सौंपकर और शिक्षक यह महान उत्तरदायित्व ग्रहण कर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सच तो यह है कि शिक्षा की सौरभ से शिक्षण संस्थाएं महक उठी हैं। शिक्षा सचिव से लेकर संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों की टीम इस कार्य को सहजता प्रदान करने के लिए भौतिक और अकादमिक संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु कृतसंकल्पित है। दानदाता और भामाशाहों ने सहयोग करने के लिए हाथ खुले कर दिए हैं। चारों ओर जैसे शिक्षा के मंगलगीत गाए जा रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधिगण भी अपने-अपने क्षेत्रों में उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए सहयोग कर रहे हैं।

हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीया वसुंधरा राजे के मंत्रिमण्डल में शिक्षामंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात् मेरा यह पहला पूर्ण शिक्षा सत्र है। मैं अत्यन्त उत्सुक हूँ। शिक्षा का कार्य शिक्षकों के परिश्रम, उत्साह, प्रतिबद्धता एवं समर्पण में निहित है। राजस्थान में ऐसे गुणी शिक्षकों की उज्ज्वल परम्परा शुरू से ही रही है। शिक्षक भाई-बहनों को आत्मीय विश्वास दिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि इस सत्र को गुणात्मक दृष्टि से अत्यन्त फलदायी बनाने के लिए हमने पिछले छः महीनों में कड़ी मेहनत की है और यह मेहनत जारी रहेगी।

हमारा एक ही सपना है-स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन, पक्का ठहराव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम। इस स्वप्न को साकार करने के लिए हमने विभिन्न भौतिक एवं शैक्षिक प्रयास किये हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर माननीया मुख्यमंत्री महोदया के स्वप्न-संकल्प के अनुरूप राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में देश के पहले 10 प्रदेशों में शुमार कर लेंगे जो अभी 21वें स्थान पर है।

इस शुभ अवसर पर मेरी सबसे पहली अपेक्षा शिक्षकों से है। ये शिक्षा के प्रमुख सूत्रधार हैं। उन्हीं पर दारोमदार है शिक्षा के रथ का संचालन। अतः ये शिक्षा-रथ के कुशल सारथी एवं ज्ञान दीप बनकर बालकों के लिए शिक्षा का आलोक फैलाएं। अभिभावक, समाजसेवी, दानदाता और माननीय जनप्रतिनिधि शिक्षा यज्ञ के पुरोहित हैं। अभिभावक न केवल अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं अपितु उनके भौतिक विकास हेतु भी सहयोग करते हैं। माननीय जनप्रतिनिधि यथा-पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद तथा समाजसेवी व दानदाता महानुभावों की सक्रिय सहभागिता के बिना शिक्षा का काम हो ही नहीं सकता। मैं इन महानुभावों के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हुआ उनसे सतत सहयोग की कामना करता हूँ।

शिक्षा प्रशासन में शिक्षा सचिव से लेकर संस्था प्रधान तक की टीम नियोजन, क्रियान्वन प्रबोधन एवं मूल्यांकन की धुरी है। इनका काम किसी साधना से कम नहीं है और साधना से ही सिद्धि मिलती है। मैं इस टीम को साधुवाद देता हुआ परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इस मिशन में सफलता मिलें ताकि हम जन अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में बदलाव ला सकें।

इस अवसर पर मैं उन बालक-बालिकाओं, जिन्होंने इस सत्र में प्रवेश लिया है, को आशीर्वाद प्रदान करते हुए विद्यालयों में उनके सुखद ठहराव, प्रभावी अधिगम एवं उत्तम स्वास्थ्य की मंगलकामना करता हूँ।

मेरी समाज के हर व्यक्ति से अपेक्षा है कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा के विकास में अपना सहयोग व समर्थन प्रदान करें। बात मात्रा की नहीं, बल्कि भाव की है। उत्तम भाव में अभाव मिटाने की ताकत होती है। एक छोटा सा दीया सूरज का साथी कहलाता है क्योंकि दोनों का काम समान, अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैलाने का, होता है। इस प्रसंग में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की यह कविता मुझे याद आ रही है-

सांध्य रवि ने कहा-/मेरा स्थान लेगा कौन/सुनकर जगत सारा/रह गया निरुत्तर व मौन।

तभी एक माटी के दीए ने/कहा बड़ी विनम्रता के साथ/जितना हो सकेगा/मैं करूंगा हे नाथ!

दीये का विश्वास और विनम्रता देखिए। विश्वास सूर्य का स्थान लेने का और विनम्रता जितना हो सकेगा मैं करूंगा नाथ अभिव्यक्ति में देखिये। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दुर्गम व दूरस्थ गाँव-ढाणियों में कार्य कर रहे शिक्षक से लेकर शिक्षामंत्री तक की हमारी एक टीम है और इस टीम को शिक्षा के मंगल गीत गाते हुए रवीन्द्र बाबू की इसी सीख को बेहन में रखकर कार्य करना है।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ-

(प्रो. वासुदेव देवनानी)

> "शिक्षा का कार्य शिक्षकों के परिश्रम, उत्साह, प्रतिबद्धता एवं समर्पण में निहित है। राजस्थान में ऐसे गुणी शिक्षकों की उज्ज्वल परम्परा शुरू से ही रही है। शिक्षक भाई-बहनों को आत्मीय विश्वास दिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि इस सत्र को गुणात्मक दृष्टि से अत्यन्त फलदायी बनाने के लिए हमने पिछले छः महीनों में कड़ी मेहनत की है और यह मेहनत जारी रहेगी।"

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते –श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 66 | अंक : 1 | प्र.भाद्र सु.१४-द्वि.भाद्र सु.१५ सं.२०७२ | जुलाई, 2015

प्रधान सम्पादक
सुभाशास
❁
वरिष्ठ सम्पादक
प्रकाश चन्द जाटोलिया
❁
सम्पादक
सन्तोष कुमार
❁
सह सम्पादक
सुकेश व्यास
गोमाराम जीनगर
❁
प्रकाशन सहायक
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 10

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 50
- संस्थाओं/विद्यालयों/अन्य व्यक्तियों के लिए ₹ 100
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएं।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
फैक्स : 0151-2201861
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –वरिष्ठ संपादक

इस अंक में

दिशाबोध : मेरा पृष्ठ

- सत्र का अरुणोदय : आदर्श विद्यालय 5

आलेख

- पुस्तक चयन, पठन और गुणन 6
  डॉ. दाऊ दयाल गुप्ता
- युग-प्रवर्तक साहित्यकार : मुंशी प्रेमचन्द 8
  गायत्री शर्मा
- सृजन की दीवार 9
  प्रमोद कुमार चमोली
- शिक्षा में प्रार्थना का महत्व 11
  सत्यनारायण पंवार
- जनसंख्या वृद्धि : एक गम्भीर समस्या 13
  रामगोपाल राही
- स्वाध्याय का अध्याय 14
  विद्यानिधि त्रिवेदी
- स्वतंत्रता संग्राम के जनयोद्धा : लोकमान्य तिलक 69
  हरप्रीत सिंह कंग
- योग दर्शन का सम्प्रत्यात्मक परिचय 70
  डॉ. एस.एस. कौशिक

व्यंग्य

- मेरे प्रभु का पेट खराब है 72
  दूलीचन्द स्वामी

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

- पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाती बूंदी 67
  दिनेश बिजवर्गीय

स्तम्भ

- आदेश-परिपत्र 15-66
- शाला प्रांगण से 74
- चतुर्दिक समाचार 77
- हमारे नामाशाह 78

इस माह का गीत

- बेटी पढ़ाओ (प्रवेशोत्सव गीत) 7
  शेरसिंह बारहठ
- जीवन में कुछ करना है तो 12
  संकलन-कुन्दन जीनगर

लेखा स्तम्भ

- असाधारण अवकाश 73
  सुभाष माचरा

पुस्तक समीक्षा 75-76

- तुम समय को लांघ जाओ : वेद व्यास
  समीक्षक-शिवराज छंगाणी
- खिलती कलियाँ
  भावों की सरिता । चंचल हर्ष
  समीक्षक-सतीश चन्द्र श्रीमाली

शिविरा पंचांग 2015-16
आकर्षक रंगीन पृष्ठ
(मध्य में पृष्ठ संख्या 39 से 42 तक)

आवरण :
अविनाश कुमावत, जयपुर
मो. 09261355185

▼ **चिन्तन**

"जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त बनाने, उनमें चारित्रिक शिक्षा का विकास करने, उनमें भूत दया का भाव और सिंह जैसा साहस पैदा करने की ओर अग्रसर करने वाला ज्ञान ही शिक्षा है।"

–स्वामी विवेकानन्द

पाठकों की बात

- मई-जून संयुक्तांक पत्रिका का आवरण पृष्ठ जिस प्रकार आकर्षक एवं गागर में सागर भरने वाला था, उसी के अनुरूप प्रकाशित सामग्री ने चार चांद लगाकर पत्रिका के गौरव को और अधिक बढ़ाया है। दिशाकल्प के अन्तर्गत श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा जो सहज रूप से शिक्षक और शिक्षार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं वह बहुत ही प्रभावशाली और प्रेरणादायी होते हैं। मई-जून अंक में विश्व योग दिवस पर मनमोहन अभिलाषी का लेख बहुत ही प्रेरणास्पद रहा। साथ ही डॉ. देवाराम काकड़ ने सूर्य नमस्कार पर अच्छी सामग्री देकर अंक की गुणवत्ता बढ़ा दी है। प्रतिध्वनि में 'उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति' के अन्तर्गत जो ज्ञान दिया है वह अप्रतिम है। –स्नेहलता, भरतपुर
- शिविरा मई-जून, 2015 का अंक बहुत अच्छा लगा। मुख्य पृष्ठ हमारे बालकों, विद्यार्थियों और महापुरुषों को समर्पित है। वास्तव में यह दो पीढ़ियों का मिलन है। 'दिशाकल्प' में विद्वान निदेशकजी ने आशानुकूल, प्रेरणादायी आह्वान किया है। जननायक महाराणा प्रताप पर अलग-अलग आलेख देकर बहुत ही अच्छी ज्ञानोपयोगी जानकारी दी गई है। वास्तव में, महाराणा प्रताप आज भी प्रासंगिक हैं एवं हमारे राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विश्व योग दिवस (21 जून) के लिए भी समयानुकूल जानकारी दी गई है। सूर्य नमस्कार को सचित्र समझाया गया है। सूर्य नमस्कार के लाभ व सावधानी के बिन्दु बहुत उपयोगी हैं।

  –अजीज अहमद शेख, कोटड़ा (उदयपुर)
- शिविरा मई-जून 2015 का अंक प्राप्त हुआ। सदैव की भांति यह अंक भी अपने में सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह, सटीक जानकारी एवं नवीनतम विभागीय नियमों को समेटे हुए था। भारत के गौरवशाली इतिहास के मुकुट मणि के रूप में सुशोभित महाराणा प्रताप के विषय में संग्रहणीय जानकारी प्राप्त कर मन आत्मगौरव एवं स्वाभिमान से भर गया। भारत के महान शिक्षाविदों में से एक गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं उनके शिक्षा दर्शन की जानकारी शिक्षकों के लिए पाथेय का कार्य करेगी। साथ ही ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि आलेख जहां अध्यापकों के लिए शिक्षाप्रद रहे वहीं उनके माध्यम से विद्यार्थी वर्ग का भी वे पर्याप्त मार्गदर्शन कर पाएंगे। 'विश्व में बढ़ती लोकप्रियता: योग-दर्शन', मनमोहन अभिलाषी ने इस आलेख के माध्यम से जहां योग की सर्वांगीण व्याख्या की है वहीं योग के माध्यम से भारत के पुन: विश्वगुरु के पद पर आसीन होने के मार्ग को भी स्पष्ट किया है। प्रस्तुत प्रतिध्वनि 'उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति...' गागर में सागर समेटे हुए था। इतनी सार्थक एवं सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शिविरा पत्रिका परिवार साधुवाद का पात्र है।

  –प्रदीप कुमार कौशिक, समदड़ी (बाड़मेर)
- मई-जून 2015 का अंक पढ़ा। इस माह के कवर पृष्ठ से लेकर अन्तिम पृष्ठ हमारी सांस्कृतिक धरोहर तक की समस्त सामग्री, चित्र समाचार, माननीय निदेशक महोदय का दिशाकल्प, वरिष्ठ सम्पादक सन्तोष कुमार की प्रतिध्वनि इत्यादि के विषयगत विचार अध्यापकों एवं सामान्यजन को अपने-अपने कर्तव्य बोध का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर लेख इस माह का गीत 'हल्दी घाटी' एवं बाल सहभागिता कानून पढ़ने में अत्यंत रोचक लगे। योग विद्या से सम्बन्धित सूर्य नमस्कार के अंतर्गत मंत्र एवं आसन विधि आज के समय में लाभदायी हैं। शिविरा पत्रिका का प्रत्येक अंक साफ-सुथरा रहते हुए अपनी ऊंचाइयों को छूते हुए पत्रिका जगत में अद्वितीय स्थान बनाए, ऐसी मेरी एवं मेरे साथियों की सद्भावना है।

  –संदीप भार्गव, बीकानेर
- शिविरा मई-जून 2015 का अंक पढ़ने पर दिशाकल्प में 'कर्तव्य पथ पर बढ़े कदम' अधिकारियों एवं शिक्षकों को अपनी अन्तर्निहित प्रतिभा का अहसास करवाकर अपनी सहभागिता की दिशा में कर्तव्य का बोध करवाने का अनुपम संदेश है। इस अंक में दिशाकल्प शिक्षा के क्षेत्र के कर्मवीरों को उत्साह प्रदान करने वाला है। शिविरा की रचनात्मक समृद्धि के लिए मैं कामना करता हूँ।

  –श्रवण सिंह जाट, नीमकाथाना (सीकर)
- शिविरा मई-जून 2015 के अंक में 'ध्वनि प्रदूषण : कितना घातक' लेख जन-चेतना को जाग्रत करने वाला है। ध्वनि प्रदूषण के अत्यधिक दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इनके कारण मनुष्य अनेक रोगों से घिर रहा है अत: यह लेख संदेशप्रद लगा। अन्य लेख भी रोचक एवं प्रेरणास्पद लगे। इस माह का गीत पढ़कर देशभक्ति के भाव जगे हैं।

  –प्रभुदयाल माहिच, फतेहपुर (सीकर)

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

सुवालाल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सत्र का अरुणोदय : आदर्श विद्यालय

ग्रीष्मावकाश के बाद अपना विद्यालय खुलने पर हार्दिक प्रसन्नता व नई उमंग के साथ सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन।

एनुअल स्टेटस ऑफ एज्यूकेशन रिपोर्ट (ASER) के अनुसार नामांकन में वृद्धि, ड्रॉप आउट में कमी के साथ शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए विद्यालयवार एवं वर्षवार नामांकन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की अभिरुचि के अनुसार विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में एक नया अध्याय जोड़कर संस्था प्रधान, अध्यापक व स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के समन्वय एवं सहयोग से नए शिक्षा-सत्र 2015-16 की शुरूआत कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करें।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया के बजट अभिभाषण वर्ष 2015 की पालना में वर्ष 2015-16 से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 10/12 का विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। इस अनुरूप 31 मार्च 2016 तक 1340, 31 मार्च 2017 तक 3097 तथा 31 मार्च 2018 तक 5458, कुल 9895 ग्राम पंचायतों में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु इन विद्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं यथा-पर्याप्त एवं मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भौतिक सुविधाएं, बालक-बालिकाओं के लिए फर्नीचर एवं खेल-कूद सामग्री की व्यवस्था के साथ-साथ आई.सी.टी./कम्प्यूटर की उपलब्धता प्रदान की जा कर इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय एवं सन्दर्भ केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक में विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन (SIQE) परियोजना आदर्श विद्यालय अवधारणा में नए आयाम स्थापित करेगी।

शिविरा के इस अंक में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। मेरी संस्था प्रधानों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से अपेक्षा है कि वे बालकों को देय छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं के आवेदन-पत्र बैंक खाते के विवरण के साथ यथा-समय प्रस्तुत कर देवें। इन बैंक खातों को आधार/मामाशाह कार्ड से लिंक करना भी प्राथमिकता हो तथा संस्था प्रधान ही इस दिशा में पहल करेंगे।

शैक्षणिक सत्र 2015-16 में नए जज्बे व जुनून से जुड़ने की अपेक्षा के साथ हार्दिक शुभकामनाएं।

(सुवालाल)

> "माननीया मुख्यमंत्री महोदया के बजट अभिभाषण वर्ष 2015 की पालना में वर्ष 2015-16 से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 10/12 का विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है।... ...आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय एवं सन्दर्भ केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।"

पुस्तकों का महत्व

पुस्तक चयन, पठन और गुणन

❒ डॉ. दाऊ दयाल गुप्ता

हमें इस सच्चाई से पाई भर गुरेज नहीं कि हमारी पुस्तकों का मूल कागज ही है। कागज न होता तो कदाचित पुस्तकों का स्वरूप कुछ भिन्न ही दिखता। यूं भी ताल पन्नों के दौर से गुजरता हुआ इनका यह नया अवतार है। कागजी-पत्र बनकर तथा न जाने कितनी स्याही सोखकर नस-नस में लेखनी की तीक्ष्ण चुभन सहकर तथा अपने जैसे पत्रों के साथ खिलकर हम उन्हें 'पुस्तक' के रूप में देखते हैं। निसंदेह अब ये कोरे कागज नहीं हैं; वरन इनमें अतीत की शहादत है, वर्तमान की इबारत है तथा भावी जीवन सफलता पूर्वक जीने की दावत है। प्रायः हम भारतवासी नित्य प्रार्थना करते हैं-

'तमसो मा ज्योतिर्गमय
असतो मा सद्गमय
मृत्योर्माऽमृतं गमय।'

अर्थात हे परमात्मा, हे खुदा, हे सद्गुरु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल। तब विचार उठता है कि ऐसा अद्भुत चमत्कार, इतनी असीम सामर्थ्य किसमें है जो भटके हुए जीव को सही डगर पर ले आये। अदृश्य शक्ति यदि है भी तो दर्शित नहीं। दृश्यमान नहीं तो सम्पर्क कैसा? सम्पर्क की शून्यता में प्रभाव-हीनता ही रहेगी और तब सद्गुरु पर ही आँखे आकर टिकती है। सद्गुरुओं की श्रेष्ठ वाणी को शाश्वत सत्य की कहानी को आखर-आखर में पिरोती दिव्य ज्योति को ये पुस्तकें ही हमारे समक्ष प्रकट करती हैं। अस्तु,पुस्तकें किसी अवतार से कम नहीं। इनके अनेक नाम है; यथा पुस्तक, पोथी, ग्रंथ, किताब आदि। इसकी लघुता में विराटता का दर्शन कीजिये-

हर युग की पुस्तक में दस्तक
वर्तमान होता नतमस्तक।
विद्यमान कुदरत की हरकत।
खोजी मन की होती पुस्तक।

देवासुरों द्वारा समुद्र-मंथन की कथा कदाचित हम भूल नहीं पाए है। चौदह रत्नों में अमृत-घट प्रकट होने की प्रतीति हम सबको है और फिर उस घट की एक-एक बूँद के बाँटे जाने की प्रक्रिया से भी हम परिचित है। दरअसल यह सब रहस्यपूर्ण है। लगता है इसमें प्रतीकात्मकता की छाया है। हमने अमृत देखा न हो, न सही। परन्तु आत्मलोचन करें तो अनुभूति होती है कि 'अमृत फल' को चखा अवश्य है। जब कभी सिद्ध संतों या सद्गुरुओं के सद्विचार हमारे मन-मस्तिष्क को एकाएक स्पर्श करते हैं तो वैसी ही तृप्ति होती है जैसी अमृत-पान से संभव है। तो ये पुस्तकें वस्तुतः मानस-मंथन से उद्भूत अमृत-घट ही हैं। आइये, उसी भाव-भूमि पर विचरण कीजिये-

हमे निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण,
सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण।
जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना हैं,
उन्हें जल से किनारे पर लगाती रोज रामायण।।

-बिन्दु जी

अस्तु, जब से पुस्तक का अस्तित्व समझ में आता है तब से इसी अमृत-घट की प्रत्यक्ष प्रतीती कराता है। शायद यह क्रम वेदों से चला है जो सतत प्रवाहमान है-

कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में,
कभी रस बिन्दु में मन को डुबोती रोज रामायण।

-बिन्दु जी

प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या! हाथ कंगन को आरसी क्या? हम 'गुरुग्रंथ साहिब' को जिस अन्तर्भाव से देखते हैं तथा उसमें जिस अलौकिक शक्ति का अनुभव कर अमृत पान करते हैं वह अमृत-कलश रूपी पावन-पोथियों का सार तत्व है जिससे हम ज्ञान पिपासुओं को तृप्ति का अनुभव होता है। यही संगत एवं सर्वजन हिताय की रंगत श्रेष्ठ पुस्तकों में समाहित है चाहे वे किसी देश-काल, धर्म-जाति आदि से सम्बन्धित हों। फारुक बिजनौरी ने पुस्तकों के स्वर में स्वर मिलाकर सभी को सम्पर्क में आने का आमंत्रण दिया है-

हम इल्म की शमा को हर दिल में जला देंगे।
इस दौरे जहालत को दुनिया से मिटा देंगे।
पूछेगा कोई हमसे क्या बात है पढ़ने में।
इस दौरे तरक्की का हम राज बता देंगे।।

-फारुक बिजनौरी

अंधेरा तो है। पर 'अंधियारे' की रट लगाये रखने से अंधेरा मिटने वाला नहीं है। इसके लिये एक नन्हा सा 'ज्ञान-दीप' जलाये रखना जरूरी होता है। यह ज्ञान-दीप 'पुस्तक' नहीं तो अन्य क्या है। स्वतंत्रता-संग्राम के दौर में देश-प्रेमी सत्याग्रही लोगों को जेल की अंधेरी काल-कोठरियों में कैद किया जाता था तो ये पुस्तकें ही निष्काम कर्म की अर्थवान व्याख्या कर ज्ञान को गुनना सिखाती थीं तथा उन कल्याणार्थ स्वयं को समर्पित करना बताती थीं।

'पारस' का नाम व काम किसी से छिपा नहीं है। पुस्तकों में भी 'पारस' जैसी तासीर है। हर एक व्यक्ति को हुनर देना, जीवन मंत्र सिखा देना, जिजीविषा जगा देना तथा कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य पैदा कर देना श्रेष्ठ पुस्तकों रूपी पारस की क्षमता है। पारस की पहचान, पुस्तक के चयन, पठन तथा गुनन में ही छिपी है।

अध्यवसाय में ऐसा बल है कि समस्त प्रतिभा और योग्यता जादू की तरह काम करने लग जाती है। कार्य में अपने आपको लगा दो। इस प्रकार लगा देने से ही तुम्हारी बुद्धि में एक प्रकार की उद्यमता तथा कर्मठता आ जायेगी। इसलिए शुरु कर दो और तुरन्त ही देखोगे कि तुम्हारा चिंतित कार्य पूरा होने में देर न लगेगी। बात ही बात में उसे पूरा कर लेंगे।

पुस्तकों के प्रचार मात्र से, उनको बड़ी संख्या में जमा कर लेने से अथवा सरसरी दृष्टि से पढ़ डालने से अज्ञान का पर्दाफाश हो जायेगा, मुमकिन नहीं है। जब तक पुस्तकों का सार तत्व समझ में नहीं आयेगा। पुस्तक-पठन व्यर्थ है, यथा-

पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय।
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय।।

-कबीर

यह प्रेम तत्व ही सारतत्व है। जब पुस्तक खुलती है तो ज्ञान की ज्योति मिलती है। आगे से आगे अंधकार दूर होने लगता है। संवेदनशीलता जागती है तथा मन में व्याप्त संकुचित भावना व्यापक बनती जाती है। एक किताब 'घर की मौत' में लेखिका 'जाहिदा हिना' यही संदेश देती है–

"किताबें तो (वो) चश्मा होती हैं जिनसे लोग इल्म की प्यास बुझाते हैं। ये किताबें होती हैं जो इन्सानों को किसी एक शहर या मुल्क के बजाय पूरी दुनिया का 'शहरी' बनाती है।"

–दैनिक भास्कर 28 सित. 2014

'पाकिस्तान डायरी' के माध्यम से छपा यह लेख पुस्तकों की अन्तर्रात्मा तथा उपादेयता से साक्षात्कार कराने में सक्षम है।

'प्रसन्नता' दो प्रकार की होती है। पहली–सीधी–सादी। दूसरी–कल्पना मिश्रित। एक पशुतापूर्ण तो दूसरी आध्यात्मिक। एक हृदयगत होती दूसरी मस्तिष्क की। एक का आनन्द कोई उठा सकता है। किन्तु, दूसरी का आनन्द केवल पढ़े–लिखे ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये जरूरी है कि व्यक्ति साक्षर हो तथा पुस्तक पठन–पाठन में माहिर हो। परन्तु पुनः प्रश्न यह उठता है कि क्या साक्षरता से सभी समस्याओं के समाधान की गारंटी मिलती है। पोथी के पढ़ लेने से क्या हमारे सुख–सपने साकार हो सकेंगे।

"निस्संदेह ब्रिटिश म्यूजियम की समस्त पुस्तकें पढ़कर भी आप, अशिक्षित रह सकते है तथा किसी अच्छी पुस्तक के केवल दस पृष्ठ पढ़कर भी आप 'शिक्षित' कहे जा सकते हैं। यह शर्त है कि पठन सामग्री ठीक ढंग से पढ़ी हो तथा पढ़ने के पश्चात् भली प्रकार गुनी हो।"

पुस्तकों के नव–निर्माण से साहित्य की रचना होती रहे, प्रसन्नता की बात है। किन्तु, श्रेष्ठ पुस्तकों से पहचान, उनसे अर्जित ज्ञान तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान को गुनना महत्वपूर्ण है। अच्छी पुस्तकों का साथ हो जाने पर व्यक्ति को अन्य किसी की आवश्यकता नहीं रहती, यथा–

"पुस्तकों के पास होने से हमें अपने भले मित्रों के साथ न रहने की कमी नहीं खलती। जितना ही मैं पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, उतना ही अधिक मुझे उनकी विशेषताएं (उपयोगिता) मालूम होती जाती हैं।"

–महात्मा गाँधी

अच्छी पुस्तकों का चयन करना एक कला है क्योंकि सभी की प्रकृति भिन्न है। महान विचारक बेकन ने लिखा है–

"Some books are to be tasted. some are to be swallqwed and there are only a few which are to be chewed and digested.'

Bacon

अतः अन्ततोगत्वा पुस्तक का चयन, पठन तथा पठनीय सामग्री का मन्थन–गुनन ही सर्व प्रकारेण श्रेयस्कर है।

–दही वाली गली, ब्यानिपान मौहल्ला
भरतपुर–321001
मो. 9461462739

इस माह का गीत

बेटी पढ़ाओ

(प्रवेशोत्सव गीत)

अन्धकार है वहां, जहां है अनपढ़ नारी।
है आज के युग में अशिक्षा घातक बीमारी।
दो घरों को रोशन करती प्यारी प्यारी बेटियां।

पढ़ लिखकर वे सचमुच छूती हैं विकास की उच्च चोटियां।
नारी सशक्तीकरण हो, इसलिए है शिक्षा जरूरी।।1।।

सेना और पुलिस में पुत्रियां पराक्रम दिखाती हैं।
सिर पर स्वतंत्रा मंडराते पर भी शत्रु से भय नहीं खाती हैं।
वे गीत विजय के गाती हैं, दुश्मन पर पड़ती हैं भारी।।2।।

शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे उच्च पद वे पायेंगी।
वैज्ञानिक और निदेशक आदि बनकर दिखलायेंगी।
शिक्षा का सुअवसर देना है हर मात–पिता की जुम्मेवारी।।3।।

ज्ञान के दीप जलाकर वे अन्धकार को दूर करेंगी।
उजड़ गया जिनका जीवन, सद्गुणों से उसे पुनः भरेंगी।
नारी के गुणों से महकती है, संस्कृति हमारी।।4।।

बेटों से नहीं कम है बेटियां, जन जागृति फैलाओ।
हर कीमत पर अपनी बेटी को श्रेष्ठ शिक्षा दिलवाओ।
गुणवती सावित्री के ज्ञान से यमराज की मति थी हारी।।5।।

राजनीति में पढ़ी–लिखी बेटियां राज्य चलाती हैं।
देश,राज्य पर शासन कर अनुपम मिसाल दर्शाती हैं।
खूब पढ़ाओ बेटियों को, दूर होगी चिन्ता सारी।।6।।

चार दिवारी का बन्धन, अब बीते युग की बात है।
भेद–भाव की नीति उनके जीवन पर आघात है।
शिक्षा से ही महक उठेगी उनके जीवन की फुलवारी।।7।।

–शेरसिंह बारहठ
करणी कुंज, हरी ओम कॉलोनी, सांभरलेक (जयपुर)
मो. 9460591741

जन्म दिवस विशेष

युग-प्रवर्तक साहित्यकार : मुंशी प्रेमचन्द

❒ गायत्री शर्मा

आधुनिक युग के साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जीवन यात्रा धनपत राय से प्रारंभ हुई। इनका जन्म 31 जुलाई को बनारस के लमही गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् शिक्षा विभाग में नौकरी की लेकिन असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर लेखन कार्य में पूरी तरह समर्पित हो गये। प्रेमचन्द आजीवन धनाभाव से ग्रस्त रहे लेकिन जीवन की कठिनाइयों के बीच उनका लेखन प्रेम विकसित होता गया और समय के साथ-साथ निखरता गया और इस प्रकार प्रेमचंद के नाम से साहित्य जगत अमर हो गया।

प्रेमचन्द सत्य का अनुसरण करने वाले शोषित एवं पीड़ित समाज के सच्चे प्रतिनिधि थे। दलित, कृषक, मजदूर और उपेक्षित नारी समाज के प्रति वे बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण, ग्रामसुधार, राष्ट्रीय भावों का उद्बोधन, अछूतोद्धार, नारी उत्थान जैसी राष्ट्रीय समस्याओं को स्थान दिया।

प्रेमचन्द महान कथाकार, विचारक और चिंतक थे, उनका चिंतन इस देश की समस्याओं के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने समाज को खुली आंखों से देखा एवं परखा। वे संवेदनशील व सजग साहित्यकार थे। वे साहित्य को जीवन से पृथक नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में जीवन ही साहित्य का आधार था। जीवन से ही साहित्य रचने की प्रेरणा मिलती है तथा जीवन का ही उसमें वर्णन होता है। इनका स्पष्ट विचार था कि एक राष्ट्र के लिये राष्ट्र भाषा का होना आवश्यक है। प्रेमचन्द ने कहा था कि-" जब तक भारत की कोई राष्ट्र भाषा न हो तब तक वह राष्ट्रीयता का कोई दावा नहीं कर सकता।"

पहली बार उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से भारत के गांवों, उनकी परम्पराओं, रीति-रिवाजों को जीवन्त रूप में प्रस्तुत किया। किसान एवं मजदूर की पीड़ाओं, विवशताओं और उनके वर्ग संघर्ष का परिचय अत्यंत

गम्भीरता से दिया। प्रेमचन्द सफल उपन्यासकार और कहानीकार के अतिरिक्त नाटककार, निबन्धकार, जीवनी लेखक, अनुवादक और सम्पादक भी थे। इनकी लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर के आठ भागों में संगृहीत है। इनके नाटक साहित्य में संग्राम, कर्बला, प्रेम की वेदी बहुत प्रसिद्ध हुए। 'कुछ विचार', 'साहित्य का स्वरूप' उनकी प्रमुख निबन्ध रचनायें है। जीवन साहित्य में उन्होंने महात्मा शेखसादी, दुर्गादास जैसे नायकों पर लेखनी चलाई। उपन्यास साहित्य में उन्होंने सेवासदन, गोदान, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि,गबन, वरदान आदि से हिन्दी साहित्य को सम्पन्न किया।

प्रेमचन्द की कहानियों का प्रारम्भ हिन्दी में एक नई परम्परा का संकेत माना जाता है। ग्रामीण जीवन को केन्द्र में रखकर लिखी गई कहानियों में बूढ़ी काकी, ईदगाह, सूजान भगत, कफन एवं नशा जैसी कहानियां आज तक हिन्दी साहित्य में दुबारा नहीं लिखी गई। हिन्दी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में इनका आगमन साहित्य की धारा में अद्भुत अपूर्ण मोड़ लिया। उन्होंने घटना के स्थान पर उसे चारित्रिक आयाम प्रदान किया और वायवी परिवेश के स्थान पर जीवन के यथार्थ पर्यावरण से संबंधित किया। प्रेमचन्द के उपन्यासों में जीवन के विविध क्षेत्रों का वर्णन हुआ है। उन्होंने अपने अनुभव तथा दूसरे उपन्यासकारों के उपन्यासों के अध्ययन के आधार पर यह बताने का प्रयास किया कि उपन्यासों के लिए विषयों का चयन कहां और कैसे किया जाये, जिससे उपन्यास सुन्दर बन सके। प्रेमचन्द उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानते थे। अतः उन्होंने काल्पनिक चरित्रों के स्थान पर मानक चरित्र को प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया।

प्रेमचन्द की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनके साहित्य में मनुष्य ही नहीं अपितु पक्षियों को भी उद्भुत आत्मीयता मिली है। यहीं से बड़ी बात को मीठा और संक्षेप में कहना प्रेमचंद की लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता थी। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है।

प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में प्रगतिवाद को बढ़ावा दिया तथा शोषण के विरुद्ध क्रांति जगाई। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, अन्धविश्वासों से मुक्ति, वेश्यावृत्ति, जुंआ, शराब का बहिष्कार कर गांधी वादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया। वे मानव मूल्यों से सम्पन्न समाज की रचना करना चाहते थे। प्रेमचन्द में एक अपूर्व प्रतिभा थी और उन्होंने वटवृक्ष के समान साहित्य को फैलाया।

प्रेमचन्द महान कथाकार, विचारक और चिंतक थे। उनका चिंतन इस देश की समस्याओं के साथ-साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ था। उन्होंने समाज को खुली आँखों से देखा और परखा। वे संवेदनशील एवं सजग साहित्यकार थे। वे एक सच्चे युग प्रवर्तक साहित्यकार थे।

-5/279, एस.एफ.एस.
अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
मो. 9414796071

नवाचार अभियान

सृजन की दीवार

❒ प्रमोद कुमार चमोली

माना जाता है कि विद्यालय की दीवार यानि 'बंदिश' और बंदिशों में सृजन कहाँ हो सकता है? सच मानिए विद्यालय की जिन दीवारों को बच्चे कैदखाने की दीवार समझते हैं, हम उन्हीं में से एक दीवार को सृजन की दीवार बना कर विद्यालय को कैदखाना समझने की उनकी सोच को बदल सकते हैं। बालमन हमेशा नया करने को आतुर होता है। हमारा बंधा बंधाया शिक्षा तंत्र उसकी इस प्रवृत्ति को संतुष्ट नहीं कर पाता है। ऐसे में हम अपनी कक्षा में कुछ ऐसा नवाचार करें जो बच्चों को इस नीरसता से सरसता की ओर ले चले।

ऐसा ही एक नवाचार उत्तराखण्ड के शिक्षकों ने सामूहिक अभियान के रूप में किया। संचार के नए साधनों से छोटी हुई इस दुनिया में मुझे इसकी जानकारी सोशियल मीडिया फेसबुक के माध्यम से हुई। पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पर विचरण करते हुए 'दीवार पत्रिका के अभियान' से रूबरू हुआ। उत्तराखण्ड रचनाशील शिक्षकों ने इसे अपनी स्वेच्छा से अपने विद्यालयों में चलाया और बाकायदा सोशियल मीडिया के फेसबुक पेज, ''दीवार पत्रिका : एक अभियान'' में आपस में शेयर भी किया जा रहा है। यह प्रयास सराहनीय है और शिक्षकों पर लगने वाले उन तमाम आरोपों को खारिज कर देता है कि शिक्षक कार्य नहीं करते। बहरहाल इससे भी इतर बात है कि यह समस्त कार्य स्वैच्छिक रूप से किया जा रहा है। स्वैच्छिक रूप से किए जाने वाले कार्यों में औपचारिकताओं से प्रेरित होकर बीकानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लूणकरणसर के एक नवाचारी शिक्षक श्री मदन गोपाल लढ्ढा ने भी दीवार पत्रिका के कुछ अंक निकाले।

दरअसल यहाँ इस आलेख में इन बातों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्या हम अपने विद्यालयों में इस तरह के किसी कार्यक्रम को नियमित रूप से नहीं कर सकते? इस संबंध में अध्ययन के बाद मैंने पाया कि दीवार पत्रिका शिक्षा में कोई नया प्रयोग नहीं है। यह पूर्व में भी भित्ति पत्रिका (वॉल मैगजीन) के रूप में नवाचारी और उत्साही शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाया जाता रहा है। आज के सूचना के युग में हमारे विद्यार्थियों के पास सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। यह बहुत कुछ जानता है। बहुत कुछ अभिव्यक्त करना चाहता है। लेकिन परीक्षाओं की जद्दोजहद में उलझ कर उसकी योग्यता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण को रटने तथा परीक्षा में ज्यों का त्यों उतार देने में लग जाती है। हमारे विद्यार्थी को मौलिक सोचने के अवसर कम ही प्राप्त होते हैं लेकिन यदि वह गलती से सोच भी ले तो उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम उसे नहीं मिल पाता है। उसकी तमाम अभिव्यक्ति उसके दिल में ही दफन होकर रह जाती है। कुछ निजी और सरकारी विद्यालय अपनी सालाना स्मारिकाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। यह कार्य खर्चीला और श्रम साध्य है, अतः प्रत्येक विद्यालय इसको कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता।

लूणकरणसर के शिक्षक श्री मदन गोपाल लढ्ढा ने भी अपनी दीवार पत्रिका 'कलरव' को निकालते वक्त ऐसा ही कुछ अनुभव किया था। उन्होंने एक केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत स्थानीय युवा लेखक राजू राम बिजारणियां की किताब 'चाल भतूळिया रेत रमा' बच्चों को पढ़ने को दी और अपने पसंद की कविता ढूंढ कर लिखने को कहा तो एक छात्र ने एक ऐसी कविता 'हिरोशिमा नागासाकी' चुनी जिसे देखकर लढ्ढा जी को लगा कि ये कविता उस के स्तर से कुछ ऊँची थी। जब उन्होंने उस बच्चे से बात कि तो ज्ञात हुआ कि वह बच्चा उस कविता के सच से गुजरा था। यानि वह कविता विस्थापितों के दर्द को अभिव्यक्त करती थी। उस बच्चे का परिवार भी महाजन फायरिंग रेंज के कारण हुए विस्थापित गाँवों में रहता था। उसने इस विस्थापन के दर्द को महसूस किया हुआ था।

ऐसे में विद्यालय की एक दीवार को यदि हम अभिव्यक्ति का माध्यम बना दे तो बहुत ही कम खर्चें में हमारे कई उद्देश्य पूरे हो सकते है। इसकी सार्थक शुरूआत की जा सके इसलिए पहले दीवार पत्रिका और इसके प्रकाशन से होने वाले लाभों को समझना आवश्यक है।

दीवार या भित्ति पत्रिका क्या है–

विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिए बनाई गई हाथों से लिखी गई पत्रिका है। जिसका प्रकाशन विद्यालय की दीवार पर किया जाता है। इस पत्रिका में विद्यार्थियों के बनाए चित्र, रचनाएं,चुटकुलें, कविता, कहानी, अनुभव, विज्ञान से संबंधित जानकारियां, गणित से संबंधित रोचक जानकारियां तथा और भी बहुत कुछ को एक बड़े चार्ट पर चिपका कर विद्यालय की किसी दीवार पर टांग कर हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन किया जा सकता है।

दीवार या भित्ति पत्रिका निकालने से लाभ

- विद्यार्थियों में अध्ययन करने की आदत का विकास होगा।
- विद्यार्थियों की भाषा पर पकड़ और दक्षता में अभिवृद्धि होगी।
- चूंकि यह कार्य विद्यार्थियों द्वारा ही किया जाना है इसलिए वे इसे बेहतर व उपयोगी बनाने के लिए प्रयास करेंगे जिससे शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना भी पूरा हो सकेगा।
- विद्यालय में एक नियमित रूप से इस गतिविधि के संचालन से जब उनकी भाषायी दक्षता में वृद्धि होगी तो वे अन्य विषयों के अध्ययन में भी रुचि लेने लगेंगे। ऐसा करने से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- विद्यार्थियों की सृजनशीलता और कल्पनाशीलता को मंच मिलने के कारण उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा जिससे उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा। जिससे वे अपने क्षेत्र में अधिक विश्वास के साथ कार्य कर सकेंगे।

- दीवार पत्रिका के माध्यम से ऐसा भी संभव है कि बच्चे के अपने मन की बहुत सी बातें जो विद्यार्थी हमसे शेयर नहीं कर पाते है, वे रचनाओं के माध्यम से कह दें और हमें अपने विद्यार्थियों के अंतस में झांकने का अवसर मिलेगा।
- सामूहिकता, जिम्मेदारी की भावना एवं दूसरे के विचारों को आदर करना जैसे सामाजिक गुणों का विकास भी दीवार पत्रिका के माध्यम से हो सकता है।
- दीवार पत्रिका के माध्यम से उस क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों के बारे में वे अपनी जानकारी को पुख्ता कर पाने में समर्थ रहेंगे। विभिन्न प्रकार की बातों के अध्ययन से उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी।
- इसके लगातार प्रकाशन से विद्यार्थियों की लेखन क्षमता भी विकसित होगी और वे सृजनात्मक लेखन करने में रुचि लेने लगेंगे।
- दीवार पत्रिका के प्रकाशन से जब उन्हें पुनर्वलन मिलेगा तो उनका संकोच समाप्त होगा और वे खुलकर आप के सामने अपनी बात रख सकेंगे तो कक्षा शिक्षण में अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया भी आनंददायी हो सकेगी।
- इस दीवार पत्रिका का अध्ययन करने से उन्हें सद्साहित्य के अध्ययन के अवसर सरलता से प्राप्त होंगे जिससे उनमें नैतिकता जैसे सद्गुणों का विकास भी होगा।

यानि दीवार पत्रिका के प्रकाशन से जहाँ एक सहशैक्षिक गतिविधि का संचालन है। वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से विद्यालय के वातावरण को आनंददायी और कलापूर्ण बनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की सृजन क्षमता में वृद्धि होगी तथा इसके अप्रत्यक्ष लाभ कक्षा शिक्षण में उनके ज्ञान निर्माण की क्षमता में वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा।

दीवार या भित्ति पत्रिका के लिए सामग्री कैसे आएगी

दीवार पत्रिका की समस्त सामग्री बच्चों द्वारा ही उपलब्ध करवाई जायेगी। शुरू-शुरू में इस पत्रिका के लिए सामग्री के लिए बच्चों की कक्षावार कार्यशालाएं आयोजित की जाए और उन्हें इन कार्यशालाओं में विद्यालय के पुस्तकालय व वाचनालय में उपलब्ध बाल साहित्य अथवा आयु अनुसार साहित्य पढ़ने के लिए दिया जाए। ये कार्यशालाएं भाषा के कालांश या अर्द्ध विराम के समय की जा सकती हैं। जब बच्चे बहुत कुछ पढ़ेंगे तो उनकी कल्पना शक्ति को विस्तार मिलेगा और वे बहुत कुछ लिख पाएंगे। सही भी है बहुत कुछ पढ़ने का बाद ही कुछ लिखा जा सकता है। कक्षा शिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की लेखन कला को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे चित्र देखकर कहानी बनाओ, किसी फिल्म, धारावाहिक या नाटक की कहानी लिखने को कहना, पहेलियाँ बनवाना, स्थिति देकर समाचार लिखवाना, किसी घटना की रिपोर्टिंग करवाना, अपने प्रिय वस्तु पर लिखना, अपने जीवन की विचित्र घटना जैसे जब मैं डर गया था, जब मैं सबसे ज्यादा हंसा, जब बदमाशी करने पर मुझे सजा मिली जैसे रोचक विषयों और उनके निजी जीवन में घटित विषयों पर लिखने का अभ्यास करवाया जाए। इसके अलावा विभिन्न लेखकों की कहानियां सुनाना, उन पर चर्चा करना। यहाँ एक बात और कि यदि उनसे उनके आसपास के लेखकों की किताबे पढ़ने को दी जाएं तो वे उसे ज्यादा अपनेपन से पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। अपने आसपास के प्रसिद्ध व्यक्तियों के साक्षात्कार लेना, किसी बाग, बगीचे, खेत, खलिहान, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड का भ्रमण कर उसका वृत्तांत लिखना, यदि किसी विद्यार्थी ने कहीं भी यात्रा की हो तो उसका वृत्तांत लिखने के लिए प्रेरित करना आदि गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों की अभिरुचि जागृत की जा सकती है। ध्यान रहे ये समस्त गतिविधियाँ हमारे पाठ्यक्रम से भी संबंधित है। इसलिए कक्षा शिक्षण के दौरान भी भाषा के कालांश में इस प्रकार का प्रशिक्षण आसानी से दिया जा सकता है।

दीवार या भित्ति पत्रिका कैसे निकाले

इतने प्रशिक्षण के बाद आप के पास पहले ही अंक के लिए बहुत सी सामग्री आ सकती है। चूँकि इस दीवार पत्रिका का समस्त कार्य विद्यार्थियों के द्वारा ही किया जाना है। अतः कक्षावार लगाए गई कार्यशालाओं के माध्यम से आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि कौन-कौन विद्यार्थी इस कार्य में अधिक रुचि ले रहे हैं। इन रुचिशील विद्यार्थियों को एकत्र कर उन्हीं में से संपादक मंडल का गठन किया जाय। ध्यान रहे इस सम्पूर्ण कार्य में आपकी भूमिका मात्र मार्गदर्शक की ही रहेगी। इस संपादक मंडल में कुछ ऐसे बच्चे लिए जा सकते है जिनकी वर्तनी की अशुद्धियां कम होती हों, कुछ ऐसे बच्चे भी लिए जा सकते हैं जो अच्छे चित्र बना सकते हों, कुछ बच्चे जो चार्ट निर्माण करने में रुचि लेने वाले हो। इस प्रकार अलग-अलग क्षमताओं के बच्चों का एक संपादक मंडल बनाया जा सकता है। संपादक मंडल को कैसे काम करना है इसके लिए आधी छुट्टी के समय उनके साथ एक या दो दिन कार्यशाला के रूप में काम करें। ताकि वे इसकी अवधारणा को समझ सके तथा दूसरे बच्चों को भी इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। इसके पश्चात इसी संपादक मंडल को इसका कोई नाम रखने के लिए कहे। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लूणकरणसर की भित्ति पत्रिका का नाम 'कलरव' है। नाम के पश्चात इसकी समयावधि तय की जाए जो कि साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या अनियतकालीन हो सकती है। इसके पश्चात संपादक मंडल अपने पहले अंक के सभी बच्चों से उनकी रचनाओं या संकलित रचनाओं यथा-कहानी, कविता, चुटकुले, नाटक, रिपोर्ट, विज्ञान संबंधी जानकारी, गणित के चमत्कारिक अनुभव या अच्छे चित्र इत्यादि को निर्धारित तिथि तक संपादक मंडल द्वारा आमंत्रित की जाए। तत्पश्चात विद्यार्थियों का संपादक मंडल ही दीवार पत्रिका में उपलब्ध स्थान के आधार पर रचनाओं का चयन करें। उन रचनाओं में वर्तनी अशुद्धि की जांच कर पुनःलेखन करे अथवा रचनाकार से ही करवाएं तो ज्यादा बेहतर हो। संपादक मंडल अपना संपादकीय भी तैयार करे। इन सभी को अपनी सूझबूझ से चार्ट पर चिपकाएं। उसे सुन्दर बनाने के लिए आप संपादक मंडल को प्रेरित करें। इसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए इसके ऊपर लेमिनेशन किया जा सकता है। इस चार्ट के किनारों को मजबूत टेप से ढक दे ताकि यह फटे नहीं। यह दीवार पर इकट्ठा नहीं हो इसके लिए इसके ऊपर व नीचे गत्ते या लकड़ी को टेप की सहायता से लगाए। तत्पश्चात निर्धारित तिथि को इस

दीवार पर टांग दिया जाए। इस संबंध में आप संपादक मंडल को बदल कर काम लें तो बहुत से विद्यार्थियों को यह अवसर मिल सकता है। दीवार पत्रिका के विद्यालय में मनाये जाने वाले उत्सवों के अनुसार विशेषांक निकाल सकते हैं। आप इस पत्रिका में स्थायी कॉलम भी जैसे– विज्ञान की बात, गणित के रोचक किस्से, संस्कृत श्लोक, अनमोल वचन आदि भी रख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने की है कि कहीं ऐसा न हो कुछ पांच सात विद्यार्थी ही अंक में अपनी रचनाएं देते रहें और बाकी सब विद्यार्थी उन्हें देखते रहें। इसलिए आवश्यक है कि आप सभी को प्रेरित करें। एक बात यह भी कि दीवार पत्रिका दीवार पर लगी है और कोई उसे पढ़े ही नहीं। इसलिए आप कक्षा शिक्षण के दौरान पत्रिका में प्रकाशित अंशों पर चर्चा कर सकते हैं।

इस प्रकार बड़े ही सस्ते में हम विद्यालय की दीवार को 'सृजन की दीवार' बना सकते है। बस आवश्यकता मन में कुछ सर्जन करने के जज्बे की है। लेकिन यहां पर आपको कुछ करना नहीं है। कुछ करना है तो मात्र इतना ही कि बच्चों का मार्गदर्शन और कुछ सुविधा जुटाने का कार्य करना है। सही मायने में सृजन की दीवार बनाने के लिए आपको अपनी सृजनशीलता बच्चों को प्रेरित करने में लगानी है। सभी काम उन्हीं को करने देना है। आप सुविधादाता और मार्गदर्शक की भूमिका में ही रहेंगे तभी सही मायने में बच्चों में सृजनशीलता का विकास हो सकेगा

–अनुसंधान अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान बीकानेर

प्रार्थना

शिक्षा में प्रार्थना का महत्त्व

□ सत्यनारायण पंवार

प्रत्येक धर्म और अध्यात्म में प्रार्थना को बड़ा महत्व दिया जाता है। प्रार्थना ईश्वर के साथ एकात्म भाव पैदा करती है। कुछ समय के लिए भी व्यक्ति आराध्य के स्वरूप से तादात्म्य स्थापित कर सकता है। प्रार्थना व्यक्ति में शक्ति का संचार करती है। उसके सोये आत्मबल को जगाती है। मानव प्रार्थना के द्वारा ही अपने भावों को परिष्कृत करता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है और अपने विवेक को जाग्रत करता है। सामान्य जन ने इसे रटन्त समझ लिया और प्रार्थना के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। प्रार्थना में आग्रह नहीं होता निवेदन होता है। साथ ही प्रार्थना में धैर्य का प्रमुख स्थान है। प्रार्थना एक मात्र वह अभ्यास है जो प्रभु के गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित करती है और व्यक्ति के विकास के लिए सकारात्मक भाव देती है।

शिक्षा में प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान के अर्थ सूचनाओं में सिमटकर रहना नहीं बल्कि मिथ्यादृष्टि से मुक्त होना, जीवन में संघर्षों से जूझने की क्षमता पैदा करना और जीवन एवं ईश्वर के प्रति आस्थावान होना। सभी विद्यालयों के शिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य अंग प्रार्थना है, जिसे शिक्षण कार्यक्रम में सबसे पहला स्थान दिया जाता है। अधिकतर देखा गया है कि सभी विद्यालय के कर्मचारी और विद्यार्थीगण इस कार्य को करने से कतराते हैं क्योंकि वे प्रार्थना को अपने जीवन में महत्त्व नहीं देते। मुझे कई स्कूलों की प्रार्थनाओं में उपस्थित रहने का अवसर मिला क्योंकि इन विद्यालयों का मुझे निरीक्षण करना था। मैंने देखा कि कुछ स्कूलों के छात्र प्रार्थना स्थल में क्रमबद्ध तो खड़े रहते है लेकिन प्रार्थना करते वक्त अपनी खुली आँखों से इधर–उधर देखते रहते है और कुछ आपस में मस्ती भी करते रहते हैं। उनका ध्यान प्रार्थना में नहीं होता। ऐसी प्रार्थना बिल्कुल अर्थहीन होती है। वास्तव में ईश्वर को प्रार्थना करते वक्त सभी छात्रों और विद्यालय के सभी कर्मचारियों को हाथ जोड़कर और आँखे बन्द करके निवेदकों के रूप में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए।

प्रत्येक विद्यालय में महीने के पहले दिन प्रार्थना के शब्दों को पहले पढ़कर उसके भावों को समझाना और समझना आवश्यक है। यदि भाव शब्दार्थ से जुड़ जाते है और आप पूर्ण मनोयोग से इसकी अभिव्यक्ति कर लेते हैं, तब आप आराध्य के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। आप स्तुति करते रहें और मन में भाव कुछ अन्य हो तो आप कैसे जुड़ेंगे अपने आराध्य से? आजकल प्रार्थनाएं इतनी सरल है कि उनके शब्दों को समझने में देर नहीं लगती। आप प्रार्थना में कहते हैं "हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक कर बना देना" बिना इन भावों को आत्म सात किये आपकी स्तुति पूरी नहीं होती। केन्द्रीय विद्यालयों में प्रार्थना के पहले संस्कृत के कुछ श्लोकों का उच्चारण किया जाता है जिन्हें छोटी कक्षाओं के बच्चे नहीं समझते। ऐसी परिस्थिति में संस्कृत के अध्यापक संस्कृत के इन श्लोकों के शब्दार्थ समझा सकते हैं। इसी प्रकार स्तुति करते–करते प्रत्येक छात्र के विकार दूर हो जाते हैं और वृत्तियां परिष्कृत हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानयुक्त कर्म से जुड़ जाता है और नये संस्कार पैदा होते हैं।

प्रत्येक विद्यालय में सभी छात्र अपनी–अपनी कक्षाओं में अपनी उपस्थिति देकर कक्षाओं से क्रमबद्ध अपने मॉनीटर और कक्षा अध्यापक के निर्देशानुसार प्रार्थना स्थल पर पहुँचते है। इस कार्य को करने से वे अनुशासन सीखते है। प्रार्थनास्थल पर बिना बातचीत किये लाइन में खड़ा होना और आदेशानुसार कार्य करने से छात्रों में अनुशासन की भावना जाग्रत होती है। प्रार्थना करते वक्त आंखे बन्द करके और हाथ जोड़कर अपने आराध्य देवता को याद करने से सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों में प्रार्थना के पश्चात् सभी छात्र राष्ट्रीय प्रतिज्ञा बोलते हैं जिसमें एकता

अनुशासन और सेवा की भावना जाग्रत होती है। कुछ विद्यालयों में प्रतिज्ञा के बाद सभी छात्रों को एक मिनट के लिए आंखें बन्द करके मौन धारण करने के लिए कहा जाता है। मौन रखने से शान्त जीवन का अद्भुत सोपान सिद्ध होता है। जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन बनाये रखता है। तपस्यारूप मौन निश्चित ही निर्माण रूप में सकारात्मक होगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत की विभिन्न भाषाओं के राष्ट्रगीतों को प्रार्थना के बाद गाये जाते हैं जिससे छात्र भारत की सभी भाषाओं का आदर करे और राष्ट्र के प्रति सोचने के लिए बाध्य हो। सभी विद्यालयों में "आज का विचार" बोलकर छात्रों में सकारात्मक विचार उत्पन्न किये जाते हैं। इस विचार को सूचनापट्ट पर भी लिखा जाता है। कुछ विद्यालयों में प्राचार्य या कोई अध्यापक सभी छात्रों को नैतिक या साहसी कहानियां या भाषण सुनाकर उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कभी छात्र भी राष्ट्रहित के गीत गाकर सभी छात्रों और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाकर राष्ट्र के हित में सोचने के लिए बाध्य करते हैं। कहीं-कहीं पर छात्रों के जन्म दिन पर उनको बधाई दी जाती है। कुछ विद्यालयों में प्रार्थना स्थल पर सभी छात्रों से शनिवार के दिन सामूहिक पी.टी. करवाई जाती है जिसमें विद्यालय के सभी छात्र और अध्यापक मिलकर कार्य करते हैं। छात्रों को पी.टी. करने से शारीरिक क्षमता का विकास होता है, अनुशासन की भावना जाग्रत होती है और एकता में विश्वास होने लगता है।

प्रेरक प्रसंग

बालक का प्रवचन

एक बार महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नासिक में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रहे थे। उस दिन दादा धर्माधिकारी एवं दादा साहेब केलकर के स्वराज्य पर लम्बे चौड़े भाषण हुए। जब बाल गंगाधर तिलक का भाषण देने का अवसर आया तो बोले- "श्रोताओं! आप अब तक दो-दो दादाओं के प्रवचन सुन चुके हैं, अब मैं भला बालक आपको क्या प्रवचन दूं?" यह सुनते ही सभा में हँसी का फव्वारा फूट गया।

प्रार्थना स्थल पर प्राचार्य, अध्यापक और सभी छात्रगण एकत्रित होते हैं तो उन्हें एक-दूसरे को मिलने और पहिचानने का अवसर मिलता है। खासकर प्राचार्य को स्कूल के सभी लोगों के साथ एक जगह मिलने का अवसर मिलता है। प्राचार्य सभी छात्रों की यूनिफार्म का अवलोकन भी कर सकता है। इतना ही नहीं सभी अध्यापकों की उपस्थिति का पता लगा सकता है। इस प्रकार सभी अध्यापकों को समय की पाबन्दी का ध्यान रहेगा।

प्रार्थना करते समय संगीत अध्यापक या कोई छात्र हारमोनियम बजाकर सुर दे सकता है, तबला या बेंगो बजाकर ताल दे सकता है। हो सके तो कई दूसरे साज बजाकर भी प्रार्थना के गाने में चार चांद लगाये जा सकते हैं। संगीतमय प्रार्थना गाने में विद्यालय के सभी छात्रों को आनन्द का अनुभव होगा। छात्रों को कक्षाओं से प्रार्थना स्थल तक आने और जाने के लिए स्कूल के ड्रम और साईड ड्रमों का प्रयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं सामूहिक पी.टी. कराने के लिए भी इन ड्रमों का प्रयोग किया जा सकता है जिससे छात्र कदम से कदम मिलाकर चल सके और पी.टी. को एक साथ कर सके।

वास्तव में प्रत्येक विद्यालय में अगर प्रार्थना को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाय तो विद्यालय में शिक्षा का आधा कार्य हो जाता है। इतना ही नहीं सफल प्रार्थना के पश्चात स्कूल में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न होगा और सभी अध्यापक और छात्र पठन-पाठन विधि में सक्रिय होकर भाग लेंगे। प्रार्थना में इतना बल है कि स्कूल के सभी कार्यक्रम सफल और उच्चस्तर के होंगे। वास्तव में देखा जाय तो विद्यालय की सफल प्रार्थना शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन पैदा करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थना केवल विद्यार्थियों के लिए ही आवश्यक नहीं बल्कि सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए आवश्यक है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर में प्राचार्य श्री बालगोपाल तिवारी प्रार्थना में सभी अध्यापकों को शामिल करते थे जिससे कॉलेज में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न होता था। शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना को महत्त्व दिया जाय जिससे सभी छात्र अपने राष्ट्र और समाज के हित में सोचने के लिए प्रेरित हो।

-68, गोल्फ कोर्स स्कीम
बोधपुर-342011

जीवन में कुछ करना है तो

जीवन में कुछ करना है तो,
मन को मारे मत बैठो।
आगे-आगे बढ़ना है,
तो हिम्मत हारे मत बैठो ।। ध्रु.।।

चलने वाला मंजिल पाता
बैठा पीछे रहता है।
ठहरा पानी सड़ने लगता,
बहता पानी निर्मल होता है।
पांव मिले चलने की खातिर
पांव पसारे मत बैठो ।।1।।
आगे-आगे...

तेज दौड़ने वाला खरहा,
कुछ पल-चलकर हार गया।
धीरे-धीरे चलकर कछुआ
देखो बाजी मार गया।
चलो कदम से कदम मिलाकर,
दूर किनारे मत बैठो ।।2।।
आगे-आगे...

धरती चलती तारे चलते
चाँद रात भर चलता है।
किरणों का उपहार बांटने,
सूरज रोज निकलता है।
हवा चले तो महक बिखेरे
तुम भी प्यारे मत बैठो ।।3।।
आगे-आगे...

संकलन : कुन्दन जीनगर
गंगाशहर, बीकानेर
मो. 8561049638

विश्व जनसंख्या दिवस

जनसंख्या वृद्धि : एक गम्भीर समस्या

❑ रामगोपाल राही

जनसंख्या वृद्धि अर्थात् घटती समृद्धि वस्तुतः बढ़ती जनसंख्या अन्य समस्याओं से भी अधिक विकट राष्ट्रीय समस्या है। हमारी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1210193422 थी। अर्थात् एक अरब इक्कीस करोड़ से अधिक। माना जाता है कि भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 180 लाख की वृद्धि होती है- जो आस्ट्रेलिया देश की कुल जनसंख्या के बराबर होती है। अपने में यह एक आस्ट्रेलिया देश का जन्म होता है। अगर देश की जनसंख्या में इसी तरह वृद्धि होती रही तो भारत की जनसंख्या 2050 तक 1.53 बिलियन हो जाएगी। तब भारत सब से अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। यह तो बाद की बात है इससे पूर्व आज की स्थिति में हम देखें आज पूरे विश्व की जनसंख्या अनुमानतः सात अरब तक पहुंची-पहुंचती लगती है। भारत विश्व जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है, अनुमानतः 2020 तक जनसंख्या में भारत का पहला स्थान हो जाएगा। कैसे इसे समझना आसान है। दुनियां की आबादी लगभग सात अरब उसमें एशिया महाद्वीप की जनसंख्या अकेले लगभग चार अरब के बराबर समझी जाती है। यह जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 60 प्रतिशत है। इसमें एशिया खास तौर से भारत के ऊपर बढ़ती जनसंख्या का दबाव खुदबखुद समझ में आ जाता है। अभी दुनिया में चीन सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या कठोर प्रतिबंधों के बावजूद एक अरब तैंतीस करोड़ है। भारत की एक अरब इक्कीस करोड़ से अधिक, इसमें वृद्धि हर वर्ष 180 लाख, जो चीन की जनसंख्या को पछाड़ने में तुली है, आमादा है, 2020 तक पछाड़ भी देगी। इसका सबसे बड़ा कारण होगा। भारत में अभी भी जागरूकता और शिक्षा की कमी देश में अभी जन्म दर कुछ अर्से पूर्व से 1000 पर 24.80, मृत्यु दर 1000 पर 8.0 समझी जाती है।

हमारे देश में लोग इस बढ़ती हुई जनसंख्या के हानिकारक प्रभावों को समझ नहीं पा रहे। बढ़ती हुई जनसंख्या भविष्य में कितना

नुकसान पहुंचाएगी काश सभी सोच पाएं अभी कुछ वर्ष पूर्व दुनिया में बढ़ते खाद्य संकट पर एशिया को जिम्मेदार ठहराया गया था। यह तो सहज ही समझा जा सकता है। दुनिया में खाद्य संकट निरंतर बढ़ रहा है। खाद्य अन्न ही क्यों अन्न के साथ जल संकट भी बढ़ रहा है। जल संकट की स्थिति हमारे देश में छुपी नहीं; जगह-जगह गांव-गांव कस्बे शहर आदि में लोग जल संकट से जूझते नजर आते हैं। देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या से प्रदूषण भी व्यापक हो रहा है, साथ ही जमीन की उर्वरता भी तेजी से घट रही है। बढ़ती जनसंख्या से रोटी,कपड़ा, मकान,बेरोजगारी की समस्याएं अपना दामन पसार रही है। यदि हमने समय रहते जागरूक प्रयासों से बढ़ती जनसंख्या को नहीं रोका तो एक दिन भूख और प्यास से हमारे अपने ही बिल बिलाएंगे। वस्तुतः हमें बच्चे भगवान की देन है इस मानसिकता को त्यागना होगा वरना आने वाली परिस्थितियां अत्यंत भयानक साबित होगी। अन्न जल संकट के साथ जरूरी वस्तुएं पर्याप्त नहीं मिलेगी। खाने वाले मुँह इसी रफ्तार से से बढ़ते रहे तो समझे बहुत बड़ा संकट हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अन्न, जल, नौकरियों का अभाव इससे समाज में तनाव के साथ निराशा की स्थितियां होगी। जीवन की गुणवत्ता में कमी होगी। साधन-संसाधन सभी कम होंगे। संसाधन सभी की एक साथ कमी होने से असंतुलन होगा। हर सुविधा कम होगी। केवल दुविधा ही दुविधा।

आश्चर्य के साथ एक जिज्ञासा की बात हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ती जा रही है। हर साल 180 लाख की जनसंख्या बढ़ती है, वो बढ़ती ही है, यह तथ्य छुपा नहीं। इस बढ़ती जनसंख्या का कारण समझना भी मुश्किल नहीं। स्मरण हो देश में कुल जनसंख्या की लगभग पचास प्रतिशत संख्या जनन आयुवर्ग की है, देश में युवाओं की संख्या अधिक होने के कारण संतान उत्पति की जनन आयुवर्ग में आने वालों की संख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ती रही है। समझना होगा 180 लाख की प्रतिवर्ष संख्या वृद्धि के चलते हमारे देश में अभी स्थिरीकरण की स्थिति बहुत दूर है। जनसंख्या स्थिरीकरण जिसे शून्य जनसंख्या वृद्धि भी कहा जाता है, यह स्थिति जब आती है जब जन्म,मृत्यु दर समान हो। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। देश में जन्म लेने वालों और मरने वालों की संख्या बराबर हो। मतलब कि एक बच्चा जन्म लेने वालों और मरने वालों की संख्या बराबर हो। मतलब एक बच्चा जन्म ले तो एक-एक व्यक्ति मरे भी सही, पर मरना किसी के हाथ में नहीं जबकि पैदाइश को संतान उत्पत्ति को संयम से कम किया जा सकता है। यह तभी हो सकता है। देर से शादी हो, संतान देर से हो, दो बच्चों के बीच अंतर हो। वस्तु स्थिति में देश में जवान दंपति अधिक है, जिनके परिवार में जितने बूढ़े लोग मरते हैं उससे अधिक पैदा होते हैं। इस जनसंख्या संवेग से जनसंख्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है, और फिर देश में मृत्यु दर कम है वही जन्म दर ऊँची है, अधिक है। इसके मूल में भी कारण झलकने लगते हैं। इन कारणों में अवांछित और अनायोजित जनन क्षमता अर्थात् इच्छा न होना है। साथ ही एक कारण वांछित क्षमता अर्थात् इच्छा होना है। इसमें मुख्यत जो पहलू सामने आता है वह सामाजिक व सांस्कृतिक कारण है पुत्रेषणा विशेष पुत्र के लिए वरीयता उच्च शिशु दर का बने रहना/इन सभी के चलते प्रश्न वही होता है।

बढ़ती जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए? अब जमाना बदला है जागरूक युवा शिक्षित युवा इस दिशा में राष्ट्रहितों में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सकते हैं।

अभी जो समझा जाता है, देखा जाता है जनसंख्या वृद्धि के चलते जीवन-यापन के साधनों पर अधिक भार पड़ रहा है, बढ़ रहा है। समृद्धि निष्प्रभावी लग रही है। अभी भी जिस देश में गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी अभी भी है। जिस देश में लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हो, उसे समृद्ध नहीं समझा जा सकता। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण कई लोगों को मूलभूत सुविधा रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रही है। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण में असंतुलन है ग्लोबल वार्मिंग खतरा मंडराता लगता है कार्बनडाइ ऑक्साइड बढ़ रही है। किसी ने ठीक ही कहा है जंग और बढ़ती जनसंख्या से समृद्धि नहीं आ सकती।

हमारे देश में कई विचित्रताएं विसंगतियां समाज में आयी हैं। इससे कहे या अन्य कारण जनसंख्या विस्फोट के उत्तरदायी कारण स्पष्ट नजर आते हैं। गर्म जलवायु, संयुक्त परिवार प्रथा, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, परिवार नियोजन कार्यक्रम के साधनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव, विवाह की अनिवार्यता, बालविवाह, पुत्रेषणा, पश्चिमी सभ्यता-संस्कृति का प्रभाव, अश्लीलता, भाग्यवादिता, शरणार्थियों का आगमन, जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारणों से जनसंख्या बढ़ती आयी है। साम्राज्यवादी देश चीन की तरह हमारे यहां प्रतिबंधों से जनसंख्या वृद्धि नहीं रोकी जा सकती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां ऐसा सम्भव नहीं। यहां जागरूकता व शिक्षा प्रसार से ही बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सकता है। यह भी सच है जनसंख्या वृद्धि नहीं रोकी तो यह विकट राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरती जायेगी। वस्तुत जनसंख्या वृद्धि को रोकना वर्तमान को संभालना व भविष्य को सुधार-निखारना है। अत: जनसंख्या वृद्धि काबू से बाहर न हो, इसके नियंत्रण के बारे में सक्रियता से सकारात्मक प्रयासों से सोचा जाना चाहिए। वस्तुत: जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर प्रश्न, एक गंभीर समस्या है।

-से.नि. व्याख्याता, लाखेरी (बूँदी)

स्वाध्याय

स्वाध्याय का अध्याय

❒ विद्यानिधि त्रिवेदी

अध्ययन, अध्यापन, अध्यापक, अध्येता एवं अध्याय ये सभी शब्द एक अधिगम वृत्त से आवृत्त हैं।

बालक की यह सहज प्रवृत्ति है कि वह सदैव नवीन चित्ताकर्षक तथ्यों का रुचिपूर्वक विश्लेषण कर उन्हें आत्मसात करता है। यह प्रवृत्ति अधिगमार्थ उत्प्रेरित करती है।

कक्षा-कक्ष में अध्ययनरत बालक जब अध्यापक से अन्त: क्रिया करता है तो उसका चिन्तन अभिमुखरित रहता है, किन्तु जब बालक किसी अध्याय की विषय-वस्तु को स्वयं आत्मार्पित करने हेतु स्वाध्याय करता है तो उसका मन प्रखर होता है। जिस प्रकार दग्धांगार पर क्षारावरण उसकी ऊर्जा को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक होता है, उसी प्रकार मानस पर मननावरण ज्ञान को सृजनोन्मुखी बनाने में सहायक होता है।

स्वाध्याय ही कक्षा-कक्ष में अधिगृहीत ज्ञान को सुपाच्य बनाता है और ज्ञानार्जन के नवीन आयामों के द्वार खोलता है।

जो पूर्व से चला आ रहा है उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने से तो विवेक अर्थहीन हो जाएगा, अत: अहर्निश चिन्तन व स्वाध्याय से ही परम्परागत तथ्यों को तर्क की कसौटी पर कस कर व विवेक के तराजू में तोलकर स्वीकार किया जाना सम्भव है।

मेरा मानना है कि स्वाध्याय में समयावधि से अधिक महत्त्व एकाग्रता का है, क्योंकि एकाग्रता से किया गया स्वाध्याय तथ्यों को हमारी स्थाई स्मृति में प्रविष्ट करवाने में सक्षम होता है, जिससे विचारधारा में ऊर्ध्वोन्मुखी परिवर्तन आता है।

परिवर्तन ही उत्कर्ष कारक होता है प्रवाहमान विचार सरिता के निर्मलाम्बू को सीमितता के बांध में रोकने से वह सेवाराच्छादित होकर दुर्गन्धमयी हो सकता है।

अनवरत स्वाध्याय, विचार सरिता को असीम तक प्रवाहमयी बनाये रखता है।

आज अध्येताओं में स्वाध्याय की प्रवृत्ति लाघवित होती जा रही है, जिससे परीक्षा परिणाम के साथ जीवन-मूल्य भी प्रभावित हो रहे हैं। विद्यार्थियों में एक यांत्रिकता घर करती जा रही है।

अच्छा साहित्य इलेक्ट्रॉनिक संचार सागर में तिरोहित हो रहा है। कम्प्यूटर, मोबाइल व नेट की ऊसरा पर संस्कारों के बीज कैसे प्रस्फुटित होंगे। उसके लिए स्वाधयाय का उर्वरक व सही दिशावरि अति आवश्यक है।

हमारे वेदों में स्वाध्याय के महत्त्व को 'स्वाध्यायान्मा प्रमद' कह कर स्वीकार किया गया है।

शिक्षा के बढ़ते हुए ग्राफ के बावजूद हमारे मूल्यों में गिरावट क्यों आ रही है? यह एक चिन्तन का विषय है।

शिक्षक जो समाज के मस्तिष्क का निर्माता है, जो बालक को संस्कारित कर उसे जीवन दृष्टि प्रदान करता है, जो गुरु की गरिमा से गौरवान्वित है, लेकिन समाज के विद्रूप होते हुए स्वरूप ने आज शिक्षक की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिह्न लगा दिया है।

मेरा मानना है कि दोषी कई व्यक्ति या वर्ग नहीं अपितु हमारा परिवेश है। आधुनिकता की चकाचौंध से चुधियाई हमारी आँखें सत-असत् का विश्लेषण ही नहीं कर पा रही है। आधुनिकता की विभीषिका हमारे भारतीय जीवन मूल्यों को निगल जाने हेतु आतुर है।

वो भारतीय परम्पराएं जिनमें स्वाध्याय शीर्षस्थ था, विगलित हो रही है। आज हम रू-ब-रू कम और मोबाइल पर ज्यादा बतियाते हैं।

संचार ने तो भौतिक दूरियां कम की हैं पर दिलों की दूरियां बढ़ा दी हैं।

हमारे बच्चें सन्दर्भ ग्रन्थों को न पढ़कर सिर्फ वन वीक सीरीज पढ़ना चाहते हैं। बच्चों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करना भी गुरु के ही गुरुत्तर दायित्वों का अपरिहार्य अंग है।

-प्रधानाचार्य, एन.के.प.उ.मा. विद्यालय
68, प्रताप नगर, मुरलीपुरा, जयपुर
मो. 9928133322

आदेश-परिपत्र : जुलाई 2015

1. सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार-2015 के लिए प्रस्ताव उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में। ● **2.** गौ विज्ञान अनुसंधान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजन के संबंध में। (मा.शि.) ● **3.** गौ विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजन के संबंध में। (प्रा.शि.) ● **4.** अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं (कक्षा 9 व 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2015-16 के आवेदन बाबत। ● **5.** अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं (कक्षा 9 व 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2015-16 के आवेदन बाबत। ● **6.** नवजीवन योजना के अंतर्गत चिति जाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2015-16 के आवेदन बाबत। ● **7.** चोरी/गबन के प्रकरणों में ठोस कार्यवाही बाबत दिशा-निर्देश। ● **8.** अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-नूतन एवं नवीनीकरण (Fresh & Renewal) हेतु सत्र 2015-16 के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण। ● **9.** अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश (वर्ष 2015-16) ● **10.** अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश (वर्ष 2015-16) ● **11.** परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के मानदण्ड। ● **12.** बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा एवं शिक्षकों को प्रशंसा पत्र/के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही। ● **13.** आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए। ● **14.** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदकों को समय पर सूचना उपलब्ध करवाने एवं सरलीकरण किये जाने हेतु। ● **15.** शिक्षा विभाग में शैक्षिक गुणवत्ता के स्तर में वृद्धि हेतु शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के सम्बन्ध में। ● **16.** वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन भरने व भिजवाने सम्बन्धी निर्देश। ● **17.** वार्षिक योजना 2015-16 के आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा बैठकों के सम्बन्ध में दिशानिर्देश। ● **18.** वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के संबंध में। ● **19.** राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों/वाचनालयों हेतु। ● **20.** सत्र 2015-16 में निजी विद्यालयों को मान्यता कार्यक्रम के संबंध में। ● **21.** विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा फार्म भरवाते समय कोड भली-भांति जांच कर भरवाने के संबंध में। ● **22.** करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति वर्ष 2015-16 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण। ● **23.** प्री-करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण सत्र 2015-16 हेतु। ● **24.** भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति योजना। ● **25.** कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर. के रूप में प्रोत्साहन योजना के सत्र 2015-16 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्। ● **26.** अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2015-16 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत। ● **27.** विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के प्रस्ताव वर्ष 2015-16। ● **28.** कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में। ● **29.** ''सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृति की योजना'' के तहत सत्र 2015-16 के छात्रवृति प्रस्ताव भिजवाने बाबत। ● **30.** स्टेट इनिसिएटिव फॉर कालिटी ऐज्यूकेशन (OBC) के क्रियान्वयन के संबंध में।

1. सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार–2015 के लिए प्रस्ताव उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा–माध्य/निप्र/डी–1/21902/वि.पु./2015/01 दिनांक :19.06.15 ● (1) समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग ● (2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम) ● विषय : सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार–2015 के लिए प्रस्ताव उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

'विद्यालय केवल शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहें, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वतोमुखी विकास में भी जुटें'। इस धारणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के सहयोग से राज्य, मण्डल एवं जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई। राज्य सरकार द्वारा जारी योजना का परिपत्र क्रमांक प0 17 (8) शिक्षा–1/2008 दिनांक 9.4.2008 (संलग्न) के अनुसार वर्ष 2015 के लिए विद्यालयों का चयन करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाए :

(1) सामान्य निर्देश :–

1. इस योजना में राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय ही सम्मिलित हैं।
2. विद्यालयों से ही आवेदन पत्र तीन प्रतियों में परिशिष्ट–1 (संलग्न) में प्राप्त करने होंगे।
3. प्राप्त प्रस्तावों की अंक योजना के अनुसार वरियता बनाकर प्रथम तीन स्थान प्राप्त (तीन माध्यमिक विद्यालय और तीन उच्च माध्यमिक विद्यालय) प्रस्ताव को दो–दो प्रतियों में संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित करेंगे।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा कर सभी प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को एक प्रति में समयबद्ध पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने होंगे।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम) को ही समस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे एवं उनके द्वारा जिले की वरियता बनाकर प्रस्ताव संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) को प्रस्तुत किये जायेंगे।
6. आवेदन पत्र के साथ असत्य/गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर संस्था प्रधान के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
7. एक बार विद्यालय जिला/मण्डल/राज्य स्तर पर श्रेष्ठ चयनित होकर पुरस्कृत हो जाने पर उसे पुनः आगामी वर्षो में समान स्तर पर चयन के लिए अपात्र माना जावे। अर्थात जिला स्तर के बाद मण्डल/राज्य स्तर और मण्डल स्तर के बाद राज्य स्तर का पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। इसी अनुरूप प्रस्ताव प्रेषित करें।

(2) आवेदन की पूर्ति :–

1. यह पुरस्कार शैक्षिक सत्र 2014–15 के विद्यालयों के लिए है। संस्था प्रधान विद्यालय की 1 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015 तक की उपलब्धियां आवेदन पत्र में अंकित करेंगे, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम) द्वारा प्रमाणित कर अनुशंसा की जाएगी।
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय द्वारा कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा

परिणाम एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा कक्षा 10 एवं 12 (सभी संकायों का समेकित) का परीक्षा परिणाम अंकित करना है।

3. विद्यालय के विकास एवं विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए राजकीय मद में आवंटित राशि के उपयोग का विवरण देना है एवं कुल आवंटित राशि में से व्यय राशि का व्यय प्रतिशत अंकित करना है।
4. शिक्षा विभाग एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इन्डिया (SGFI) द्वारा आयोजित विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में विद्यालय द्वारा जिला/राज्य/राष्ट्र स्तर पर प्राप्त एकल अथवा सामूहिक उपलब्धि (गतिविधि के अनुसार) का पूर्ण विवरण जिला/राज्य/राष्ट्र स्तर का अलग–अलग अंकित करना है।
5. शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के जिला/राज्य/राष्ट्र स्तर पर सम्भागित्व का अलग–अलग विवरण अंकित करना है।
6. विद्यालय में कम्प्यूटर उपयोग का पूर्ण विवरण आवेदन पत्र में अंकित करना है।
7. विद्यालय में भौतिक विकास हेतु जनसहयोग से किये गये प्रयास का विवरण आवेदन पत्र में अंकित करना है एवं निर्माण कार्य में लागत का प्रमाण पत्र सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) राजकीय सेवा द्वारा देय ही मान्य होगा।
8. विद्यालय में संचालित विविध कार्यक्रमों का पूर्ण विवरण आवेदन पत्र में अंकित करना है।
9. सत्र 2014–15 में कार्यरत संस्था प्रधान का यदि अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण हो चुका है और वह विद्यालय की उपलब्धि को पुरस्कार योग्य समझता है तो वह पूर्व विद्यालय में उपस्थित होकर वर्तमान संस्था प्रधान को उपलब्धि से अवगत कराकर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित कर सकता है।
10. आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं एवं संलग्न आवश्यक सूचनाओं पर संस्था प्रधान द्वारा हस्ताक्षर करने हैं तथा आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 11 से 16 की पुष्टि में आवश्यक प्रमाणित प्रमाण पत्र भी संलग्न करने हैं।
11. आवेदन पत्र में दी जा रही सूचनाओं एवं उपलब्धियों के समर्थन में यथा योग्य साक्ष्य विद्यालय अभिलेख में मौजूद होना सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकता होने पर उनका अवलोकन किया जा सके उदाहरणार्थ कम्प्यूटर का विद्यालय में उपयोग शीर्षक में कम्प्यूटर शिक्षक द्वारा करवाये गये शिक्षण के विवरण स्वरूप 'अध्यापक दैनन्दिनी' संधारित की होनी चाहिए।
12. विद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का भौतिक सत्यापन एक उप समिति द्वारा करवाया जाये। सत्यापन में इस तथ्य की पुष्टि की जाए कि संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां सही है तथा दावित (Claimed) सभी तथ्य सत्र 2014–15 से ही सम्बन्धित है। समिति निम्नानुसार गठित होंगी :–
    1. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) — संयोजक
    2. एक वरिष्ठ प्रधानाचार्य — सदस्य
    3. एक वरिष्ठ मंत्रालयिक कर्मचारी — सदस्य

    जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) समिति की रिपोर्ट से स्वयं सन्तुष्ट होकर अनुशंसा करेंगे।
13. पुरस्कार हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम) की स्पष्ट अनुशंसा आवश्यक है।

(3) पंचांग :–

सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार से संबंधित सभी कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

क्र.स.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम) को प्रस्तुत करना	31 अगस्त, 2015
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम) द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर वरियता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त (तीन माध्यमिक विद्यालय और तीन उच्च माध्यमिक विद्यालय) प्रस्तावों को संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक) को उपलब्ध कराना	30 सितम्बर, 2015
3.	उप निदेशक (माध्यमिक) स्तर पर प्रस्तावों की समीक्षा कर अनुशंसा सहित प्राप्त सभी प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराना	31 अक्टूबर, 2015

इस पत्र में वर्णित तिथियों तक पूर्ण गुणवत्ता व विशेष रूचि के साथ कार्य सम्पादित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। पुरस्कार हेतु अनुशंसा किए जाने वाले प्रस्तावों को अलग–अलग पंजिका बनाकर सभी परिशिष्टों सहित गोपनीयता के साथ वाहक स्तर पर उपलब्ध करवाया जाए।

इसे अति आवश्यक समझें तथा इसका समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

संलग्न :–

1. राज्य सरकार द्वारा प्रसारित योजना
2. परिशिष्ट– 1 एवं 2

(सुवालाल), निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

● राजस्थान सरकार ● शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग ● क्रमांक : पं. 17(8) शिक्षा–1/2008 जयपुर, दिनांक 9.04.2008 ● परिपत्र

विद्यालय वर्तमान में केवल शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहें बल्कि विद्यार्थियों के all-round-development में जुटे। इस हेतु राज्य सरकार, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के सहयोग से राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु एक नई पुरस्कार योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ करने जा रही है :–

1. सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को दिये जाने वाले पुरस्कारों की संख्या :

क. सं.	विद्यालय	स्तर	संख्या	पुरस्कार की राशि
1.	माध्यमिक	राज्य स्तर	1	50,000/–
2.	सीनियर माध्यमिक	राज्य स्तर	1	50,000/–
3.	माध्यमिक	मण्डल स्तर	7	40,000/–
4.	सीनियर माध्यमिक	मण्डल स्तर	7	40,000/–
5.	माध्यमिक	जिला स्तर	32	25,000/–
6.	सीनियर माध्यमिक	जिला स्तर	32	25,000/–

2. विद्यालय चयन के लिए अंक योजनाः पूर्णांक

1. विद्यालय का कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 10 अंक
   (अ) 90 प्रतिशत से ऊपर 10 अंक
   (ब) 75 प्रतिशत से ऊपर एवं 90 प्रतिशत तक 8 अंक
   (स) 60 प्रतिशत से ऊपर एवं 75 प्रतिशत तक 5 अंक
   (द) 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक 3 अंक
2. विद्यालय का कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 10 अंक
   (अ) 90 प्रतिशत से ऊपर 10 अंक
   (ब) 75 प्रतिशत से ऊपर एवं 90 प्रतिशत तक 8 अंक
   (स) 60 प्रतिशत से ऊपर एवं 75 प्रतिशत तक 5 अंक
   (द) 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक 3 अंक
3. गुणात्मक परीक्षा परिणाम 10 अंक
   (अ) कक्षा 10 में बोर्ड मेरिट में स्थान प्राप्त 5 अंक
   (ब) कक्षा 12 में बोर्ड मेरिट में स्थान प्राप्त 5 अंक
4. विभिन्न योजनाओं हेतु आवंटित राजकीय बजट का उपयोग 10 अंक
   (अ) 90 प्रतिशत से ऊपर 10 अंक
   (ब) 75 प्रतिशत से ऊपर एवं 90 प्रतिशत तक 8 अंक
   (स) 60 प्रतिशत से ऊपर एवं 75 प्रतिशत तक 5 अंक
   (द) 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक 3 अंक
5. छात्र निधि का उपयोग 10 अंक
   (अ) 90 प्रतिशत से ऊपर 10 अंक
   (ब) 75 प्रतिशत से ऊपर एवं 90 प्रतिशत तक 8 अंक
   (स) 60 प्रतिशत से ऊपर एवं 75 प्रतिशत तक 5 अंक
   (द) 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक 3 अंक
6. खेलकूद गतिविधियों में विद्यार्थियों का सम्मानित्व 10 अंक
   (अ) राष्ट्रीय स्तर 10 अंक
   (ब) राज्य स्तर 6 अंक
   (स) जिला स्तर 3 अंक
7. साहित्यिक गतिविधियों में विद्यार्थियों का सम्भागित्व 5 अंक
   (अ) राष्ट्रीय स्तर 5 अंक
   (ब) राज्य स्तर 3 अंक
   (स) जिला स्तर 2 अंक
8. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का सम्भागित्व 5 अंक
   (अ) राष्ट्रीय स्तर 5 अंक
   (ब) राज्य स्तर 3 अंक
   (स) जिला स्तर 2 अंक
9. कम्प्यूटर का विद्यालयों में उपयोग 10 अंक
   (अ) कार्यालय कार्य में उपयोग 2.5 अंक
   (ब) शिक्षण कार्य में उपयोग 2.5 अंक
   (स) सभी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा 2.5 अंक
   (द) जन सहयोग में कम्प्यूटर प्राप्त 2.5 अंक
10. जन–सहयोग 10 अंक
   (अ) 5 लाख से अधिक 10 अंक
   (ब) 4 लाख से अधिक एवं 5 लाख तक 8 अंक
   (स) 3 लाख से अधिक एवं 4 लाख तक 6 अंक
   (द) 2 लाख से अधिक एवं 3 लाख तक 4 अंक
   (य) 1 लाख से अधिक एवं 2 लाख तक 2 अंक
   (यह सहयोग सामग्री/निर्माण के रूप में हो सकता है)
11. विविध कार्यक्रम 10 अंक
   (अ) नवाचारों का प्रयोग 2 अंक
   (ब) विद्यालय पत्रिका प्रकाशन 2 अंक
   (स) कर्मचारी/अध्यापक को प्राप्त पुरस्कार 2 अंक
   (द) राष्ट्र/राज्य/जिला स्तर प्रतियोगिता/कार्यक्रम/वाक्पीठ/अन्य कार्यक्रम आयोजन 2 अंक
   (य) विद्यार्थियों का राष्ट्रीय/राज्य स्तर का शैक्षिक भ्रमण 2 अंक

3. इस प्रतिस्पर्धा में राज्य में स्थित राजकीय सीनियर माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय ही सम्मिलित होंगे।
4. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित सहित स्तरीय, मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे और इस सम्बन्ध में किसी विद्यालय का किसी प्रकार का ऐतराज अथवा प्रतिवेदन विचारणीय होगा।
5. परीक्षा परिणामों में पूरक परीक्षा परिणाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. पुरस्कार राशि का उपयोग : चयनित विद्यालयों को पुरस्कार स्वरूप देय राशि का उपयोग विद्यालय विकास व अध्यापक प्रोत्साहन के रूप में विभाजित करते हुए देय होगा। पुरस्कार राशि का 60 प्रतिशत विद्यालय के शैक्षणिक स्तर को समुन्नत करने यथा पुस्तकें प्रयोगशाला उपकरण, सहायक शैक्षिक सामग्री आदि के क्रम के लिये किया जावेगा शेष 40 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत संस्था प्रधान को तथा 70 प्रतिशत राशि अध्यापकगण एवं शेष 10 प्रतिशत राशि मंत्रालयिक कर्मचारी एवं च.श्रे.क. को देय होगा।
7. जुलाई से फरवरी के मध्य विद्यालय में न्यूनतम ठहराव 5 माह होने पर ही संस्था प्रधान, अध्यापक, मंत्रालयिक कर्मचारी एवं च.श्रे.क. प्रोत्साहन राशि के हकदार होंगे। यदि संस्था प्रधान 5 माह से कम रहा हो तो संस्था प्रधान या कार्यवाहक संस्था प्रधान दोनों में से जो अधिकतम समय रहा हो उसे प्रोत्साहन राशि देय होगी।
8. योजना के सुचारू कियान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, राज.–बीकानेर को सूचित करेगा और उसी के अनुसार जिला, मण्डल एवं राज्य स्तर पर श्रेष्ठ विद्यालयों का चयन कर प्रत्येक स्तर पर समारोहपूर्वक इन्हें पुरस्कृत किया जायेगा।

राजकीय विद्यालयों को प्रोत्साहन देने हेतु घोषित इस पुरस्कार हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2008–09 की बजट घोषणा के अनुरूप विद्यालयों के गुणात्मक एवं सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन मिलता रहे। आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा इस योजना के प्रचार–प्रसार की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे। ● शासन सचिव, स्कूल शिक्षा

● राजस्थान सरकार ● शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग ● क्रमांक : पं. 17(8) शिक्षा–1/2008 जयपुर, दिनांक 21.5.13 ● निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–जयपुर। ● विषय : सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार योजना के संबंध में। ● संदर्भ : आपका पत्रांक : शिविरा–माध्य/निप्र/डी–1/21902/

वि.पु./2012, दिनांक 05.04.2012

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि जिला/मंडल/राज्य स्तर के सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को हर वर्ष चयनित कर पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। सत्र 2012–13 से विद्यालयों का चयन करने हेतु शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

एक बार विद्यालय जिला/मंडल/राज्य स्तर पर श्रेष्ठ चयनित होकर पुरस्कृत हो जाने पर उसे पुनः आगामी वर्षों में समान स्तर पर चयन के लिए अपात्र माना जावे अर्थात जिला स्तर के बाद मंडल/राज्य स्तर और मंडल स्तर के बाद राज्य स्तर का पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है।

शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(गोविन्द कुमार शर्मा) उप शासन सचिव, प्रथम ● क्रमांक : शिविरा–माध्य/निप्र/डी–1/21902/वि.पु./2012/72 दिनांक 28.5.2013

परिशिष्ट–1

सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार, 2015 हेतु आवेदन पत्र

(उपलब्धि सत्र : 2014–15)

(1) जिला : .....

(2) विद्यालय का नाम : .....

(3) स्तर (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) : .....

(4) संस्था प्रधान का नाम (1 जुलाई, 2014 से 28 फरवरी, 2015 के मध्य एकाधिक कार्यरत रहे हों, तो सभी के नाम मय कार्य अवधि एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान का विवरण)

(अ) योग्यता : .....

(ब) जन्म तिथि : .....

(5) संस्था प्रधान का वर्तमान कार्यरत स्थान : .....

(6) फोन नम्बर : विद्यालय : .....

संस्था प्रधान : .....

(7) **विद्यालय का परीक्षा परिणाम (सत्र : 2014–15)**

क्र. स.	कक्षा	कुल प्रविष्ट विद्यार्थी	उत्तीर्ण				परीक्षा परिणाम प्रतिशत
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग	
1	10						
2	12 (सभी संकायों का समेकित)						

नोट : माध्यमिक विद्यालय द्वारा कक्षा 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा का ही परीक्षा परिणाम अंकित करना है।

(8) **गुणात्मक परीक्षा परिणाम सत्र : 2014–15 (बोर्ड मेरिट में स्थान)**

कक्षा	विद्यार्थी का नाम	प्राप्तांक प्रतिशत	बोर्ड मेरिट में प्राप्त स्थान
10			
12			

(9) **विभिन्न योजनाओं हेतु आवंटित राजकीय बजट का उपयोग (वित्तीय वर्ष : 2014–15)**

क्र. सं.	योजना का नाम	आवंटित राशि	व्यय राशि	कुल व्यय राशि का प्रतिशत
1	खेलकूद			
2	पुस्तकालय			
3	ट्रान्सपोर्ट वाउचर			
4	साइकिल योजना			
5	निर्माण कार्य			
6	पोषाहार			
7	छात्रवृतियां			
8	कम्प्यूटर शिक्षा			
9	कार्यालय व्यय			
10	अन्य			
	योग –			

नोट : वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा परिव्यय को छोड़कर विद्यालय के भौतिक विकास एवं विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु आवंटित राजकीय बजट का योजनावार/मदवार/उप मदवार विवरण अंकित करना है। सभी योजनाओं में कुल व्यय राशि का व्यय प्रतिशत भी अंकित करना है।

(10) **छात्र निधि का उपयोग**

क्र. स.	कक्षा (6–12)	विद्यार्थी संख्या	सत्र : 2014–15 में प्राप्त कुल छात्र निधि की राशि	कुल व्यय राशि	कुल व्यय राशि का प्रतिशत

(11) **खेलकूद गतिविधियों में विद्यालय/विद्यार्थियों का सम्भागित्व** (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

स्तर	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	गतिविधि का नाम	आयोजन कर्त्ता विभाग	आयोजन स्थल	विद्यालय/विद्यार्थी की उपलब्धि/प्राप्त स्थान
जिला						
राज्य						
राष्ट्र						

नोट : शिक्षा विभाग एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इन्डिया (SGFI) द्वारा आयोजित विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में विद्यालय द्वारा जिला/राज्य/राष्ट्र स्तर पर प्राप्त एकल अथवा सामूहिक उपलब्धि (गतिविधि के अनुसार) का पूर्ण विवरण जिला/राज्य/राष्ट्र स्तर का अलग–अलग अंकित करना है। सामूहिक गतिविधि में विद्यार्थी का नाम अंकित नहीं करें।

(12) **साहित्यिक गतिविधियों में विद्यार्थियों का सम्मागित्व :** (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

स्तर	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	गतिविधि का नाम	आयोजन कर्त्ता विभाग	आयोजन स्थल	विद्यालय/विद्यार्थी की उपलब्धि/प्राप्त स्थान
जिला						
राज्य						
राष्ट्र						

(13) **सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का सम्मागित्व :** (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

स्तर	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	गतिविधि का नाम	आयोजन कर्त्ता विभाग	आयोजन स्थल	विद्यार्थी की उपलब्धि/प्राप्त स्थान
जिला						
राज्य						
राष्ट्र						

(14) **कम्प्यूटर का विद्यालय में उपयोग**

भाग : (अ)

विद्यालय में कम्प्यूटरों की संख्या

क्र. सं.	राजकीय मद से प्राप्त	जन सहयोग से प्राप्त	
		संख्या	भामाशाह का नाम मय पता

नोट : जनसहयोग से प्राप्ति का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें :

भाग (ब)

कार्यालय में कम्प्यूटर का उपयोग

क्र. सं.	कम्प्यूटर से कार्य करने वाले कार्मिक का नाम	कार्य का विवरण

भाग (स)

शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम्प्यूटर का उपयोग

क्र. सं.	कम्प्यूटर से शिक्षण करवाने वाले अध्यापक का नाम	शिक्षण का विवरण

भाग (द)

विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा

कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या	कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों की कुल संख्या	कुल कम्प्यूटर शिक्षित विद्यार्थियों का प्रतिशत

(15) **विद्यालय के भौतिक विकास हेतु समुदाय से जनसहयोग**

क्र. स.	भामशाह का नाम	जनसहयोग का प्रकार					
		नकद राशि	सामग्री		निर्माण		राशि का कुल योग
			प्रकार	लागत मूल्य	प्रकार	लागत मूल्य	

नोट : भामाशाह एवं अभियन्ता (सिविल) राजकीय सेवा का अलग–अलग प्रमाण पत्र संलग्न करना हैं।

(16) विद्यालय में आयोजित विविध कार्यक्रम

(A) विद्यालय में संचालित नवाचार कार्यक्रम/योजना का नाम (योजना संलग्न करें) :

(B) विद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम (पत्रिका संलग्न करें):

(C) संस्था प्रधान/अध्यापक/कर्मचारी को प्राप्त पुरस्कार का विवरण (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) :

क्र. स.	संस्था प्रधान/अध्यापक/कर्मचारी का नाम	प्राप्त पुरस्कार का विवरण	स्तर

(D) विद्यालय के संयोजन में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण (राष्ट्र/राज्य/जिला स्तर की प्रतियोगिता, कार्यक्रम, वाकपीठ आदि) (उच्च अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न करें)

क्र. स.	कार्यक्रम का नाम	स्तर	आयोजन अवधि

(E) विद्यार्थियों का राष्ट्रीय/राज्य स्तर का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाणित प्रमाण पत्र क्रमानुसार संलग्न कर दिये गये हैं। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं। तथ्यों का सत्यापन मेरे द्वारा व्यक्तिशः कर लिया गया है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम) की अनुशंसा

प्रस्ताव में अंकित सभी सूचनाओं एवं प्रलेखों की सत्यता की जांच स्वयं मेरे द्वारा कर ली गई है। जिला स्तर पर मूल्यांकन का परिशिष्ट–2 संलग्न है। विद्यालय को पुरस्कार प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

(माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम)

मय मोहर

परिशिष्ट–2

सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार, 2015
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/ माध्यमिक–प्रथम) द्वारा मूल्यांकन

जिला : मण्डल :

विद्यालय का नाम : स्तर : माध्यमिक/उच्च माध्यमिक

तत्कालीन संस्था प्रधान का नाम :

(1) विद्यालय का कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम उमावि 10 अंक
मावि 20 अंक

कुल प्रविष्ट विद्यार्थी	उत्तीर्ण	प्रतिशत	प्राप्तांक

(2) विद्यालय का कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम 10 अंक

कुल प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत	प्राप्तांक

(3) गुणात्मक परीक्षा परिणाम 10 अंक

(A) कक्षा 10 की बोर्ड मेरिट में प्राप्त स्थान : हॉ/नहीं
प्राप्तांक :

(B) कक्षा 12 की बोर्ड मेरिट में प्राप्त स्थान : हॉ/नहीं
प्राप्तांक :

(4) विभिन्न मदों/योजनाओं हेतु आवंटित राजकीय बजट का उपयोग 10 अंक

कुल आवंटित राशि	कुल व्यय की गई राशि	प्रतिशत	प्राप्तांक

(5) छात्र निधि का उपयोग 10 अंक

सत्र 2014–15 में प्राप्त कुल शुल्क राशि	कुल व्यय राशि	प्रतिशत	प्राप्तांक

(6) खेलकूद गतिविधियों में विद्यार्थियों का सम्भागित्व 10 अंक

स्तर	खेलकूद गतिविधि का नाम	प्राप्तांक

(7) साहित्यिक गतिविधियों में विद्यार्थियों का सम्भागित्व 5 अंक

स्तर	साहित्यिक गतिविधि का नाम	प्राप्तांक

(8) सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का सम्भागित्व 5 अंक

स्तर	कार्यक्रम का नाम	प्राप्तांक

(9) कम्प्यूटर का विद्यालय में उपयोग 10 अंक

कम्प्यूटर का विद्यालय में समग्र उपयोग	प्राप्तांक
1. जन सहयोग से प्राप्त कम्प्यूटर 2. कार्यालय में उपयोग 3. शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में उपयोग 4. विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा	

(10) जनसहयोग 10 अंक

कुल प्राप्त राशि	प्राप्तांक

(11) विद्यालय में आयोजित विविध कार्यक्रम

कार्यक्रमों का विवरण	प्राप्तांक
1. नवाचार कार्यक्रम/योजना 2. विद्यालय द्वारा पत्रिका प्रकाशन 3. संस्था प्रधान/अध्यापक/कर्मचारी को प्राप्त पुरस्कार 4. विद्यालय के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम 5. विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण	

प्राप्तांक का कुल योग (1 से 11)

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम)
मय मोहर

मंडल स्तर पर समीक्षा

(हस्ताक्षर)
उप निदेशक (माध्यमिक)
मय मोहर

2. गौ विज्ञान अनुसंधान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजन के संबंध में। (माध्यमिक शिक्षा)

● कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा/स/22496/विविध परीक्षा/पार्ट–।।/2013–14 दिनांकः 06.06.2015 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा–प्रथम/द्वितीय ● विषय : गौ विज्ञान अनुसंधान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 16.09.2015 को गौ विज्ञान अनुसंधान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित की जावेगी। जिसमें कक्षा 6–12 तक के छात्र प्रतिभागी होंगे।

राज्य के समस्त गैर सरकारी एवं राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 16.09.2015 वार बुधवार को प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक गौ विज्ञान अनुसंधान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विद्यालयों के शिक्षण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

(सुवालाल) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

3. गौ विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजन के संबंध में। (प्रारम्भिक शिक्षा)

● कार्यालय–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/विविध/11–12/ दिनांक 5.6.15 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा ● विषय : गौ विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प.पू. माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भीलवाडा द्वारा प्रेरित 'गौ विज्ञान अनुसंधान एवं सामान्य

ज्ञान परीक्षा' दिनांक 16.09.2015 को आयोजित की जानी है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु पाबन्द करें। साथ ही आगामी वर्षों के लिए उक्त परीक्षा करवाने की स्थायी अनुमति प्रदान की जाती है।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

4. अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं (कक्षा 9 व 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2015–16 के आवेदन बाबत।

● कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्यमिक/छा.प्रो.प्र./अ–1/पी.एम.एस.एफ.–एस.सी. स्टूडेंट्स (सी.एस.एस.)/2015–16/ दिनांक : 05.6.15 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) ● विषय : अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं (कक्षा 9 व 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2015–16 के आवेदन बाबत। ● उपरोक्त विषयांतर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार सूचित कर निर्देश दिए जाते है :–

1. आवेदन पत्र :

आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रारूप स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

2. पात्रता/शर्तें :

i छात्र–छात्राएं अनुसूचित जाति से संबंधित हो।

ii माता–पिता/सरंक्षक की आय 2.00 लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र प्रवेश के समय एक बार ही लिया जावेगा तथा वार्षिक आय की गणना में मकान भत्ता शामिल नहीं किया जावे।

iii अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृति नहीं ले रहे हो।

iv छात्र–छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित/पूर्णकालिक अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित मॉडल स्कूल में अध्ययनरत हो।

v छात्र–छात्रा अध्ययनरत कक्षा के लिए एक बार ही पात्र होगा। दूसरे वर्ष उसी कक्षा में अध्ययन करने पर पात्र नहीं होगा।

vi यह छात्रवृति एक शिक्षण वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए ही देय होगी।

vii यदि छात्र/छात्रा अपने मूल राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य में अध्ययन कर रहे हो तो वे अपने मूल राज्य के सक्षम अधिकारी को छात्रवृति के लिए आवेदन करेंगे।

3. छात्रवृति की दरें निम्नानुसार होगी :

विवरण	गैर छात्रावास	छात्रावासित
छात्रवृति दर प्रतिमाह	150	350
पुस्तकें एवं एडहोक ग्रांटप्रतिवर्ष (एकमुश्त)	750	1000

(अ) यह छात्रवृति 12 मई या कक्षा में प्रवेश माह से देय होगी तथा सत्र समाप्ति या परीक्षा समाप्ति तक के लिए देय होगी। यदि किसी छात्र–छात्रा का प्रवेश किसी माह की 20 तारीख के बाद होता है तो उसे छात्रवृति अगले माह से देय होगी।

(ब) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर निशक्त छात्र–छात्राओं को Student Oriented Component के अंतर्गत तीन हजार रूपये एवं निम्नानुसार अतिरिक्त भत्ते भी दिए जावेंगे।

1.	मंथली रीडर अलाउँस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स	रू. 160/–
2.	मंथली ट्रांसपोर्ट अलाउँस फॉर स्टूडेंट्स विथ डीसऐबीलिटिस	रू. 160/–
3.	मंथली एस्कॉर्ट अलाउँस फॉर सेर्वेली डिसएबल्ड	रू. 160/–
4.	मंथली हेल्पर अलाउँस	रू. 160/–
5.	मंथली कोचिंग अलाउँस टू मेंटली रिटारटेड एंड मेंटली इल स्टूडेंट्स	रू. 240/–

4. संलग्न दस्तावेज :

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियाँ ही संलग्न करनी आवश्यक होगी।

1. राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प. 13(34) राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 9/8/12 के द्वारा जारी प्रारूप अनुसार आय उद्घोषणा प्रमाण पत्र।
2. गत परीक्षा की अंक तालिका।
3. जाति प्रमाण पत्र एवं मूलनिवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।

5. समय सारणी : आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार समय सारणी प्रभावी होगी।

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित दिनांक
1.	अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं (कक्षा 9 व 10) द्वारा ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना।	05 अगस्त, 2015
2.	संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।	10 अगस्त, 2015
3.	समेकित प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप/प्रपत्रों में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर को प्रस्तुत करना।	25 अगस्त, 2015

6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय कार्यालय स्तर पर निम्नलिखित प्रारूप में रिकॉर्ड संधारित किया जाना आवश्यक होगा एवं संलग्न प्रारूपों में भारत सरकार से राशि प्राप्त करने हेतु दिनांक 25 अगस्त, 2015 तक प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाने अनिवार्य है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि कोई भी पात्र छात्र–छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

क.सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूर्ण पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्रतिशत में अंकित करें)	माता–पिता /संरक्षक की वार्षिक आय	अनुसूचित जाति वर्ग में जाति	नूतन/ नवीनीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संलग्न–उपरोक्तानुसार

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के कक्षा 9 एवं 10 के छात्र–छात्राओं की पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना का आवेदन पत्र

सत्र 2015–16

आवेदन का प्रकार : नूतन/नवीनीकरण (आवेदक द्वारा स्वयं भरा जावे) :	

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ विद्यार्थी के हस्ताक्षर

1. छात्र/छात्रा का नाम : .....
2. जन्म तिथि (अंकों में) : .....
   (शब्दों में) : .....
3. पिता का नाम : .....
4. माता का नाम : .....
5. मूल निवास का विवरण : गाँव.....पोस्ट.....
   तहसील.....
   जिला.....राजस्थान
   पिनकोड.....
6. अनुसूचित जाति वर्ग में जाति : .....
7. माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय (सत्र 2015–16): .....
   .....
8. माता–पिता/संरक्षक आयकर दाता है अथवा नहीं : .....
   .....
9. गत उतीर्ण की गई कक्षा एवं वर्ष : कक्षा.....वर्ष.....
10. गत उतीर्ण कक्षा के प्राप्तांक .....

कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत

11. गत कक्षा जिसमें अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम एवं पूरा पता : .....
12. बैंक खाते का विवरण : बैंक का नाम.....
    खाता संख्या.....
    बैंक का IFSC कोड.....
    आधार/भामाशाह कार्ड संख्या.....

माता–पिता/संरक्षक और छात्र–छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने..... योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है जिनका मैं पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों (संलग्न दस्तावेजों) में कोई गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापिस जमा कराने का वचन देता हूँ/देती हूँ। तथा मैं अन्य किसी भी प्रकार की कोई छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा हूँ/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

संलग्नः–

1. आय प्रमाण पत्र
2. गत परीक्षा की अंक तालिका
3. जाति प्रमाण पत्र
4. मूल निवास प्रमाण पत्र
5. बैंक खाते का विवरण
6. दूरभाष संख्या मय एसटीडी कोड.....
7. मोबाइल नम्बर.....

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री..... के आवेदन की भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है तथा वर्ष 2014–15 में राशि रूपये..... का बैंक खाते के द्वारा भुगतान किया गया था। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा को सत्र 2015–16 की छात्रवृति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री.....के आवेदन की भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है। छात्र/छात्रा को सत्र 2015–16 की छात्रवृति स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

Details of Proposal for Central Assistance
No. of Students in Class IX & X studing in recognized Schools
Enrollment 2014-15

Annexure-I

Class	Day Scholars			Hostellers			All Students		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
IX									
X									
Total									

Anticipated Enrollment 2015-16

Class	Day Scholars			Hostellers			All Students		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
IX									
X									
Total									

Anticipated Enrollment of Eligible Students 2015-16

Class	Day Scholars			Hostellers			All Students		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
IX									
X									
Total									

प्रमाणित किया जाता है कि योजना में वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए है कोई भी पात्र छात्र/छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

Part-II

District wise details of Actual/Proposed Exp. & Beneficiaries proposed Coverage under the Scheme during 2015-16

S. No.	Name of District	2014-15		2015-16	
		Actual Expenditure	Actual Beneficiaries	Proposed Exp.	Proposed Beneficiaries

Certifed that the proposed expenditure during 2015-16 is in accordance with the regulations governing the scheme

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

PART-III

S. No.	Details About Implemention of the Scheme	
1.	Name of the Department in the stat/UT implementing the scheme	Secondary Education Department, Govt. of Rajasthan-Bikaner
2.	Name, designation and Address of the Secretary and Director in charge	Suwa Lal (I.A.S.)
3.	Designation of Authority responsible for sanction of Scholarship, Head of Education Institution/District Level Officer/Directrate	Director Secondary Education-Rajasthan, Bikaner
4.	Mode of Payment of Scholarship (Cash/Cheque/Bank etc.)	Through Bank

Anticipated Expenditure During 2015-16

Rs. In Lacks
Anx-IV

S.No.

1 HOSTELLERS

a	On Scholarships		
(i)	Classes IX to X @ Rs. 350@ Per Month		
(ii)	Adhoc grant of Rs. 1000 Per Annum		
	Total Expenditure on Hostellers		
2.	DAY SCHOLARS		
(i)	Classes IX to X @ Rs. 150@ Per Month		
(ii)	Adhoc grant of Rs. 750 perAnnum		
	Total Expenditure on Day Scholars		
3.	Total Expenditure on Special Allowance to SC Student (As Calculated in Part-III)		
4.	Total Anticipated Expenditure on the Scheme for 2015-16 (1+2+3)		
5.	Central Assitance Due During 2015-16		

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

Annexure-V

Format for spending proposal for getting Central Assistance (C.A.) under the scheme of permatric Scholarship for SC Students studying in Classes IX & X for the year 2015-16

Details of the existing Per-Matric Scholarship Scheme for SC Students if any, being Implemented by the State Govt./UT

Actual Physical Coverage under existing scheme of State Govt./UT During 2014-15

Class wish Number of Hostellers

	IX	X	Total
Male			
Female			
Total			

Class wise Number Day Scholars

	IX	X	Total
Male			
Female			
Total			

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

Annexure-VI

Details of Proposal for SC Disable Student
No. of Student is Calss IX & X studing in recognized Schools Enrollment 2015-16

क.सं.	विवरण	छात्र	छात्रा	कुल	मासिक भत्ते	कुल 10 माह के लिए मासिक भत्ते (रूपये में)
1	मंथली रीडर अलाउँस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स				Rs. 160/-	
2	मंथली ट्रांसपोर्ट अलाउँस फॉर स्टूडेंट्स विथ डीसऐबीलिटिस				Rs. 160/-	
3	मंथली एस्कॉर्ट अलाउँस फॉर सेर्वेली डिसएबल्ड				Rs. 160/-	
4	मंथली हेल्पर अलाउँस				Rs. 160/-	
5	मंथली कोचिंग अलाउँस टू मेंटली रिटारटेड एंड मेंटली इल स्टूडेंट्स				Rs. 240/-	

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

5. अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं (कक्षा 9 व 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2015–16 के आवेदन बाबत।

● कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● कमांक : शिविरा/माध्यमिक/छा.प्रो.प्र./अ–1/पी.एम.एस.एफ.–एस.सी. स्टूडेंट्स (सी.एस.एस.)/2015–16/ दिनांक : 05.6.15 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) ● विषय : अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं (कक्षा 9 व 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2015–16 के आवेदन बाबत। ● उपरोक्त विषयांतर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार सूचित कर निर्देश दिए जाते है।

1. आवेदन पत्र :

आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रारूप स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

2. पात्रता/शर्तें :

i छात्र–छात्राएं अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो।

ii माता–पिता/सरंक्षक की आय 2.00 लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र प्रवेश के समय एक बार ही लिया जावेगा तथा वार्षिक आय की गणना में मकान भत्ता शामिल नहीं किया जावे।

iii अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृति नहीं ले रहे हो।

iv छात्र–छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित/पूर्णकालिक अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित मॉडल स्कूल में अध्ययनरत हो।

v छात्र–छात्रा अध्ययनरत कक्षा के लिए एक बार ही पात्र होगा। दूसरे वर्ष उसी कक्षा में अध्ययन करने पर पात्र नहीं होगा।

vi यह छात्रवृति एक शिक्षण वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए ही देय होगी।

vii यदि छात्र/छात्रा अपने मूल राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य में अध्ययन कर रहे हो तो वे अपने मूल राज्य के सक्षम अधिकारी को छात्रवृति के लिए आवेदन करेंगे।

3. छात्रवृति की दरें निम्नानुसार होगी :

विवरण	गैर छात्रावास	छात्रावासित
छात्रवृति दर प्रतिमाह	150	350
पुस्तकें एवं एडहोक ग्रांटप्रतिवर्ष (एकमुश्त)	750	1000

(अ) यह छात्रवृति 12 मई या कक्षा में प्रवेश माह से देय होगी तथा सत्र समाप्ति या परीक्षा समाप्ति तक के लिए देय होगी। यदि किसी छात्र–छात्रा का प्रवेश किसी माह की 20 तारीख के बाद होता है तो उसे छात्रवृति अगले माह से देय होगी।

(ब) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर निशक्त छात्र–छात्राओं को Student Oriented Component के अंतर्गत तीन हजार रूपये एवं निम्नानुसार अतिरिक्त भत्ते भी दिए जावेंगे।

1.	मंथली रीडर अलाउँस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स	रू. 160/–
2.	मंथली ट्रांसपोर्ट अलाउँस फॉर स्टूडेंट्स विथ डीसऐबीलिटिस	रू. 160/–
3.	मंथली एस्कॉर्ट अलाउँस फॉर सेर्वेली डिसएबल्ड	रू. 160/–
4.	मंथली हेल्पर अलाउँस	रू. 160/–
5.	मंथली कोचिंग अलाउँस टू मेंटली रिटारटेड एंड मेंटली इल स्टूडेंट्स	रू. 240/–

4. संलग्न दस्तावेज :

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियाँ ही संलग्न करनी आवश्यक होगी।

1. राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प. 13(34) राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 9/8/12 के द्वारा जारी प्रारूप अनुसार आय उद्घोषणा प्रमाण पत्र।
2. गत परीक्षा की अंक तालिका।
3. जाति प्रमाण पत्र एवं मूलनिवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।
5. **समय सारणी :** आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार समय सारणी प्रभावी होगी।

क. सं.	विवरण	निर्धारित दिनांक
1.	अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं (कक्षा 9 व 10) द्वारा ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना।	05 अगस्त, 2015
2.	संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।	10 अगस्त, 2015
3.	समेकित प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप/प्रपत्रों में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर को प्रस्तुत करना।	25 अगस्त, 2015

6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय कार्यालय स्तर पर निम्नलिखित प्रारूप में रिकॉर्ड संधारित किया जाना आवश्यक होगा एवं संलग्न प्रारूपों में भारत सरकार से राशि प्राप्त करने हेतु दिनांक 25 अगस्त, 2015 तक प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाने अनिवार्य है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि कोई भी पात्र छात्र–छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

क.सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूर्ण पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्रतिशत में अंकित करें)	माता–पिता /संरक्षक की वार्षिक आय	अनुसूचित जनजाति वर्ग में जाति	नूतन/ नवीनीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संलग्न–उपरोक्तानुसार

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 एवं 10 के छात्र–छात्राओं की पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना का आवेदन पत्र
सत्र 2015–16

आवेदन का प्रकार : नूतन/नवीनीकरण (आवेदक द्वारा स्वयं भरा जावे) :	

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

1. छात्र/छात्रा का नाम : .....
2. जन्म तिथि (अंकों में) : .....
   (शब्दों में) : .....
3. पिता का नाम : .....
4. माता का नाम : .....
5. मूल निवास का विवरण : गाँव.....पोस्ट.....
   तहसील.....
   जिला.....राजस्थान
   पिनकोड.....
6. अनुसूचित जनजाति वर्ग में जाति : .....
7. माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय (सत्र 2015–16): .....
   .....
8. माता–पिता/संरक्षक आयकर दाता है अथवा नहीं : .....
   .....
9. गत उत्तीर्ण की गई कक्षा एवं वर्ष : कक्षा.....वर्ष.....
10. गत उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक .....

कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत

11. गत कक्षा जिसमें अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम एवं पूरा पता : .....
12. बैंक खाते का विवरण : बैंक का नाम.....
    खाता संख्या.....
    बैंक का IFSC कोड.....
    आधार/भामाशाह कार्ड संख्या.....

माता–पिता/संरक्षक और छात्र–छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने..... योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है जिनका मैं पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों (संलग्न दस्तावेजों) में कोई गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापिस जमा कराने का वचन देता हूँ/देती हूँ तथा मैं अन्य किसी भी प्रकार की कोई छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा हूँ/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

संलग्न:–
1. आय प्रमाण पत्र
2. गत परीक्षा की अंक तालिका
3. जाति प्रमाण पत्र
4. मूल निवास प्रमाण पत्र
5. बैंक खाते का विवरण
6. दूरभाष संख्या मय एसटीडी कोड.....
7. मोबाइल नम्बर.....

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री..... के आवेदन की भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है तथा वर्ष 2014–15 में राशि रूपये..... का बैंक खाते के द्वारा भुगतान किया गया था। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा को सत्र 2015–16 की छात्रवृति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री.....के आवेदन की भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है। छात्र/छात्रा को सत्र 2015–16 की छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

Details of Proposal for Central Assistance
No. of Students in Class IX & X studing in recognized Schools
Enrollment 2014-15

Anx-I
PART-I

Class	Day Scholars			Hostellers			All Students		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
IX									
X									
Total									

Anticipated Enrollment 2015-16

Class	Day Scholars			Hostellers			All Students		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
IX									
X									
Total									

Anticipated Enrollment of Eligible Students 2015-16

Class	Day Scholars			Hostellers			All Students		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
IX									
X									
Total									

प्रमाणित किया जाता है कि योजना में वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए है कोई भी पात्र छात्र/छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

Anx-2

District wise details of Actual/Proposed Exp. & Beneficiaries proposed Coverage under the Scheme during 2015-16

S. No.	Name of District	2014-15		2015-16	
		Actual Expenditure	Actual Beneficiaries	Proposed Exp.	Proposed Beneficiaries

Certified that the proposed expenditure during 2015-16 is in accordance with the regulations governing the scheme

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

Anx-III

S. No.	Details About Implemention of the Scheme	
1.	Name of the Department in the stat/UT implementing the scheme	Secondary Education Department, Govt. of Rajasthan-Bikaner
2.	Name, designation and Address of the Secretary and Director in charge	Suwa Lal (I.A.S.)
3.	Designation of Authority responsible for sanction of Scholarship, Head of Education Institution/District Level Officer/Directrate	Director Secondary Education-Rajasthan, Bikaner
4.	Mode of Payment of Scholarship (Cash/Cheque/Bank etc.)	Through Bank

Anticipated Expenditure During 2015-16

Rs. In Lacks
Anx-IV

S.No.			
1	HOSTELLERS		
a	On Scholarships		
(i)	Classes IX to X @ Rs. 350@ Per Month		
(ii)	Adhoc grant of Rs. 1000 Per Annum		
	Total Expenditure on Hostellers		
2.	DAY SCHOLARS		
(i)	Classes IX to X @ Rs. 150@ Per Month		
(ii)	Adhoc grant of Rs. 750 perAnnum		
	Total Expenditure on Day Scholars		
3.	Total Expenditure on Special Allowance to ST Student (As Calculated in Part-III)		
4.	Total Anticipated Expenditure on the Scheme for 2015-16 (1+2+3)		
5.	Central Assitance Due During 2015-16		

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

Annexure-V

Format for spending proposal for getting Central Assistance (C.A.) under the scheme of permatric Scholarship for ST Students studying in Classes IX & X for the year 2015-16

Details of the existing Per-Matric Scholarship Scheme for ST Students if any, being Implemented by the State Govt./UT
Actual Physical Coverage under existing scheme of State Govt./UT During 2014-15

Class wise Number of Hostellers

	IX	X	Total
Male			
Female			
Total			

Class wise Number Day Scholars

	IX	X	Total
Male			
Female			
Total			

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

Annexure-VI
Details of Proposal for ST Disable Student
No. of Student is Calss IX & X studing in recognized School
Enrollment 2015-16

क.सं.	विवरण	छात्र	छात्रा	कुल	मासिक भत्ते	कुल 10 माह के लिए मासिक भत्ते (रूपये में)
1	मंथली रीडर अलाउँस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स				Rs. 160/-	
2	मंथली ट्रांसपोर्ट अलाउँस फॉर स्टूडेंट्स विथ डीसऐबीलिटिस				Rs. 160/-	
3	मंथली एस्कॉर्ट अलाउँस फॉर सेर्वेली डिसएबल्ड				Rs. 160/-	
4	मंथली हेल्पर अलाउँस				Rs. 160/-	
5	मंथली कोचिंग अलाउँस टू मेंटली रिटारटेड एंड मेंटली इल स्टूडेंट्स				Rs. 240/-	

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

6. नवजीवन योजना के अंतर्गत चिह्नित जाति के छात्र–छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2015–16 के आवेदन बाबत।

● कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्यमिक/छा.प्रो.प्र./अ–1/नवजीवन योजना/2015–16/ दिनांक : 12.6.15 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) ● विषय : नवजीवन योजना के अंतर्गत चिह्नित जाति के छात्र–छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2015–16 के आवेदन पत्र। ● उपरोक्त विषयांतर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार सूचित कर निर्देश दिए जाते है।

1. आवेदन पत्र :

आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर उपयोग में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

2. पात्रता/शर्तें :

i आवेदक करने वाले छात्र–छात्राएँ चिह्नित जातियों से हो ये चिह्नित जातीयाँ निम्नलिखित है: कंजर, सांसी, भाट, भांड, राणा, नट, डोम, मोगिया, बावरिया, बेडिया, बागरिया, चोबदार, सिरकिवाला एवं ऐसे व्यक्ति/परिवार जो अवैध शराब के व्यवसाय, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त है एवं जिला कार्यकारी समिति द्वारा नवजीवन योजना के लिए चिह्नित व्यक्ति/परिवारों के विद्यार्थी।

ii माता–पिता/संरक्षक की आय 2.00 लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र प्रवेश के समय एक बार ही लिया जावेगा तथा वार्षिक आय की गणना में मकान भत्ता शामिल नहीं किया जावे।

iii अन्य कोई छात्रवृति नहीं ले रहे हो।

iv छात्र–छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित/पूर्णकालिक अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित मॉडल स्कूल में अध्ययनरत हो।

v छात्र–छात्रा अध्ययनरत कक्षा के लिए एक बार ही पात्र होगा। दूसरे वर्ष उसी कक्षा में अध्ययन करने पर पात्र नहीं होगा।

vi यह छात्रवृत्ति एक शिक्षण वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए ही देय होगी।

vii यदि छात्र/छात्रा अपने मूल राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य में अध्ययन कर रहे हो तो वे अपने मूल राज्य के सक्षम अधिकारी को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे।

3. छात्रवृति की दरें निम्नानुसार होगी :

नवजीवन योजनान्तर्गत चिह्नित जातियां	छात्र–छात्रा	कक्षा	दरें प्रतिमाह दस माह के लिए
कंजर, सांसी, भाट, भांड, राणा, नट, डोम, मोगिया, बावरिया, बेडिया, बागरिया, चोबदर सिरकिवाला एवं ऐसे व्यक्ति/परिवार जो अवैध शराब के व्यवसाय, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त है एवं जिला कार्यकारी समिति द्वारा नवजीवन योजना के लिए चिह्नित व्यक्ति/परिवारों के छात्र–छात्राएं			

विशेष पिछडा वर्ग	छात्र	कक्षा 6से8	50 रूपये
	छात्रा		100 रूपये
	छात्र	कक्षा 9से10	60 रूपये
	छात्रा		120 रूपये
पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग	छात्र	कक्षा 6से8	40 रूपये
	छात्रा		
	छात्र	कक्षा 9से10	50 रूपये
	छात्रा		

(i) यह छात्रवृति 12 मई या कक्षा में प्रवेश माह से देय होगी तथा सत्र समाप्ति या परीक्षा समाप्ति तक के लिए देय होगी। यदि किसी छात्र–छात्रा का प्रवेश किसी माह की 20 तारीख के बाद होता है तो उसे छात्रवृति अगले माह से देय होगी।

4. संलग्न दस्तावेज :

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियाँ ही संलग्न करनी आवश्यक होगी।

1. राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प. 13(34) राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 9/8/12 के द्वारा जारी प्रारूप अनुसार आय उद्घोषणा प्रमाण पत्र।
2. गत परीक्षा की अंक तालिका।
3. जाति प्रमाण पत्र एवं मूलनिवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।

5. समय सारणी : आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार समय सारणी प्रभावी होगी।

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित दिनांक
1.	छात्र–छात्राओं द्वारा ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना।	05 अगस्त, 2015
2.	संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।	10 अगस्त, 2015
3.	समेकित प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप/प्रपत्रों में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर को प्रस्तुत करना।	25 अगस्त, 2015

6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय कार्यालय स्तर पर निम्नलिखित प्रारूप में रिकॉर्ड संधारित किया जाना आवश्यक होगा एवं संलग्न प्रारूपों में भारत सरकार से राशि प्राप्त करने हेतु दिनांक 25 अगस्त, 2015 तक प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाने अनिवार्य है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि कोई भी पात्र छात्र–छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

क.सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूर्ण पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्रतिशत में अंकित करें)	माता–पिता /संरक्षक की वार्षिक आय	नवजीवन योजना के अंतर्गत चिह्नित जाति	नूतन/ नवीनीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संलग्न–उपरोक्तानुसार

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

राज्य सरकार की नवजीवन योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु नूतन/नवीनीकरण आवेदन पत्र
सत्र 2015–16

आवेदन का प्रकार : नूतन/नवीनीकरण (आवेदक द्वारा स्वयं भरा जावे) :	

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ विद्यार्थी के हस्ताक्षर

1. छात्र/छात्रा का नाम : .....
2. जन्म तिथि (अंकों में) : .....
   (शब्दों में) : .....
3. पिता का नाम : .....
4. माता का नाम : .....
5. मूल निवास का विवरण : गाँव.....पोस्ट.....
   तहसील.....
   जिला.....राजस्थान
   पिनकोड.....
6. नवजीवन योजना के अंतर्गत चिह्नित जाति/वर्ग : .....
7. माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय (सत्र 2015–16): .....
   .....
8. माता–पिता/संरक्षक आयकर दाता है अथवा नहीं : .....
   .....
9. गत उत्तीर्ण की गई कक्षा एवं वर्ष : कक्षा.....वर्ष.....
10. गत उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक .....

कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत

11. गत कक्षा जिसमें अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम एवं पूरा पता : .....
12. बैंक खाते का विवरण : बैंक का नाम.....
    खाता संख्या.....
    बैंक का IFSC कोड.....
    आधार/भामाशाह कार्ड संख्या.....

माता–पिता/संरक्षक और छात्र–छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने..... योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है जिनका मैं पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों (संलग्न दस्तावेजों) में कोई गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त

छात्रवृत्ति विभाग को वापिस जमा कराने का वचन देता हूँ/देती हूँ। तथा मैंअन्य किसी भी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हूँ/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

संलग्नः–

1. आय प्रमाण पत्र
2. गत परीक्षा की अंक तालिका
3. जाति प्रमाण पत्र
4. मूल निवास प्रमाण पत्र
5. बैंक खाते का विवरण
6. दूरभाष संख्या मय एसटीडी कोड.....
7. मोबाइल नम्बर.....

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री..... के आवेदन की भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है तथा वर्ष 2014–15 में राशि रूपये..... का बैंक खाते के द्वारा भुगतान किया गया था। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा को सत्र 2015–16 की छात्रवृति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री.....के आवेदन की भारत सरकार द्वारा प्रदत निर्देशानुसार जांच कर ली गई है। छात्र/छात्रा को सत्र 2015–16 की छात्रवृति स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नवजीवन योजनान्तर्गत छात्रवृति का रिकॉर्ड कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करने का प्रपत्र

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	छात्र/छात्रा के घर का पूर्ण पता	विद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	नवजीवन योजनान्तर्गत चिह्नित जातियां कंजर, सांसी, भाट, भांड, राणा, नट, डोम, मोगिया, बावरिया, बेडिया, बागरिया, चोबदार, सिरकिवाला एवं ऐसे व्यक्ति/परिवार जो अवेध शराब के व्यवसाय, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त है एवं जिला कार्यकारी समिति द्वारा नवजीवन योजना के लिए चिन्हित व्यक्ति/परिवारों के छात्र–छात्रा हो।					
						विशेष पिछडा वर्ग			पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग		
						कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 10	कुल	कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 10	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7. चोरी/गबन के प्रकरणों में ठोस कार्यवाही बाबत दिशा–निर्देश

● परिपत्र ● विषय : चोरी/गबन के प्रकरणों में ठोस कार्यवाही बाबत दिशा निर्देश।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर चोरी/गबन प्रकरणों में जारी निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है, जिसके कारण चोरी/गबन प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पाता एवं परिणामस्वरूप हानि की वसूली, दोषी के विरूद्ध विभागीय जांच, अदेयता प्रमाण पत्रों संबंधी कार्य बाधित रहते है। साथ ही प्रकरण महालेखाकार राजस्थान जयपुर में लंबित रहने के कारण विभाग की जवाबदेही बनी रहती है।

अतः चोरी/गबन/लूट/आगजनी के प्रकरणों में पूर्व में जारी आदेशों के अतिरिक्त निम्नानुसार पालना सुनिश्चित करें:–

1. सामान्य वित्तीय लेखा नियम–20 के अनुसार चोरी/गबन/लूट/आगजनी प्रकरणों की सूचना घटित होने वाले कार्यालय/संस्था अपने से ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को तथा साथ ही महालेखाकार राजस्थान जयपुर को तुरंत प्रेषित की जावे। अधिकतर प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि रामावि/राउमावि द्वारा घटना घटित होने के काफी समय व्यतीत होने के पश्चात सीधे निदेशालय को सूचना प्रेषित की जाती है जबकि जिला शिक्षा अधिकारी/उपनिदेशक कार्यालय एवं महालेखाकार को सूचित नहीं किया जाता है जो कि वित्तीय नियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अतः नियमानुसार घटना घटित होने के तुरन्त पश्चात अपने उच्च अधिकारी को सूचित करते हुए हानि की राशि 2000/– रु. से अधिक होने की स्थिति में महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को भी सूचित किया जावें।
2. चोरी/गबन/लूट/आगजनी प्रकरणों की प्रारंभिक जांच/प्राथमिक जांच सा.वि.ले.नि.–20 एवं नियम 22 के साथ संलग्न एपेन्डिक्स–3 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अतिशीघ्र संपादित की जावें। साथ ही जांच अधिकारी जांच हेतु गठित की गयी कमेटी के सदस्यों सहित जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करावें ताकि जांच प्रतिवेदन की पारदर्शिता बनी रहे।
3. वरिष्ठ प्राधिकारी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के तथ्यों को चोरी/गबन/लूट/आगजनी घटना के साक्ष्यों से मिलान कर अपनी अनुशंसा जांच रिपोर्ट के पूर्ण एवं नियमों पर आधारित होने सहित प्रकरण निदेशालय को प्रेषित करें।
4. जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा जांच अधिकारी के समक्ष कोई कठिनाई आ रही है तो उसका निस्तारण वरिष्ठ प्राधिकारी अपने स्तर पर करेंगे।
5. जांच पूर्ण होने के पश्चात कार्यालय अध्यक्ष/संस्था प्रधान राजकीय हानि की वसूली एवं विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सा.वि.ले. नियम 173 के अन्तर्गत वेतन से एवं नियम 174 के अन्तर्गत वसूली रजिस्टर का संधारण करेंगे साथ ही वसूली बकाया

रहने की स्थिति में अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र में अंकित करेंगे ताकि राजकीय हानि की वसूली दोषी कर्मचारी/अधिकारी से शत प्रतिशत की जा सके। इसकी समस्त जिम्मेवारी संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की होगी।

6. दोषी कर्मचारी/अधिकारी से नकद वसूल की गई राशि शीघ्र ही चालान से जमा कराके इसका मिलान कोषालय से कर वसूली राशि से उच्चाधिकारियों को अवगत करावें।
7. यदि किसी प्रकरण में दोषी कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया है तो वित्त विभाग के आदेश कमांक प.15 (9) वित्त/नियम/97 दिनांक 30.09.99 में उल्लेखित बिन्दु (1) से (5) के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।
8. सामान्य वित्तीय लेखा नियम 178 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार समस्त भुगतान संबंधित पक्षकार को बैंक खातों के माध्यम से ही किये जावे। जिससे कि दुविनियोजन/कपट/गबन की संभावना न्यूनतम हो।
9. प्रायः यह देखने में आया है कि पुराने/नाकारा सामान का निस्तारण समय पर संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाता है। सामान चोरी होने की घटनाओं में नाकारा सामान की चोरी होने के आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जाती, लेकिन यह नियमों के विपरीत है क्योंकि जब तक कि अनुपयोगी सामान को सा.वि.ले.नि. के अनुसार नाकारा घोषित कर स्वीकृति जारी नहीं की जाती, हानि पुस्तक मूल्य के अनुसार की जावें।

विद्यालयों में चोरी की घटनाएं रोकने हेतु संस्था प्रधान मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण सामानों की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबन्ध करें तथा समय पर इसकी समीक्षा भी करे ताकि महत्वपूर्ण व मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके एवं चोरी की घटनाओं को रोका जा सकें।

वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा/आडिट/लेखा/डी4/परिपत्र/15–16/01 दिनांक 11.6.15

8. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति–नूतन एवं नवीनीकरण (Fresh & Renewal) हेतु सत्र 2015–16 के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण।

● कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● कमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/60111/असंपूमैछा/2015–16 दिनांकः 2.6.2015 ● विज्ञप्ति विषय : अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति–नूतन एवं नवीनीकरण (Fresh & Renewal) हेतु सत्र 2015–16 के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण। **अंतिम तिथि 29.8.2015**

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सम्बद्ध राजस्थान प्रदेश में स्थित समस्त केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय (निजी) विद्यालयों एवं पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों आदि में सत्र 2015–16 में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित आवेदन–पत्र में आवेदन करना है।

विद्यार्थी द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन–पत्र जारी करवाने की अंतिम तिथि	29.8.2015
संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन–पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि	07.9.2015

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में इस छात्रवृत्ति योजना में नूतन छात्र–छात्राओं हेतु निम्नानुसार भौतिक लक्ष्य रखा गया हैः–

मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल छात्रवृत्तियाँ
74172	1126	12678	160	10077	15	98228

पात्रताः–

1. **वे छात्र–छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये एक लाख या उससे कम है तथा जिनको पूर्व में नूतन/ नवीनीकरण की अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है एवं गत वर्ष की परीक्षाओं में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हैं वे सभी छात्र–छात्राएं नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे।** नूतन छात्रवृत्ति के चयन में छात्र/छात्रा के द्वारा अर्जित अंकों के बजाय गरीबी को अधिभार (Weightage) दिया जायेगा।
2. अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक के ही वर्तमान अध्ययनरत विद्यार्थियों को ही देय है, अतः कक्षा 1 से पूर्व की कक्षाओं यथा नर्सरी, एल.के.जी., यू.के.जी. इत्यादि के विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर ही वे इस छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। कक्षा 1 में अध्ययनरत विद्यार्थी केवल नूतन छात्रवृत्ति हेतु ही पात्र होंगे।
3. **कक्षा 4 से 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्रा के द्वारा गत वर्ष की परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की गई हो इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे, परन्तु कक्षा 1 से 3 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए उनके अभिभावक/संरक्षक की मात्र आय को ही आधार माना जायेगा।**
4. छात्र/छात्रा के अभिभावक अथवा संरक्षक की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. छात्र/छात्रा द्वारा उसी कक्षा और इस सत्र के लिए अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, यह संस्था प्रधान का दायित्व है।
6. एक परिवार से अधिकतम दो विद्यार्थियों द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। संस्था प्रधान इस हेतु विशेष ध्यान रखें।
7. कुल विद्यार्थियों का 30 प्रतिशत भाग छात्राओं के लिए आरक्षित (Earmarked) है। यदि इस आरक्षित संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं हुई तो शेष छात्रवृत्तियाँ पात्र छात्रों को नियमानुसार स्वीकृत कर दी जायेंगी।

छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आवेदन–पत्र संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) के कार्यालय से निःशुल्क

प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन–पत्र की फोटो प्रतियाँ करवाकर अथवा किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा मुद्रित करवाए गए निर्धारित आवेदन–पत्र भी काम में लिए जा सकते हैं। आवेदन–पत्र व यह विज्ञप्ति विभागीय बेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

संस्था प्रधान इस का विशेष ध्यान रखें कि गत वर्ष 2014–15 में जिन छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी, उन्हें भी पात्रता/नियमानुसार छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र भरना है। नूतन एवं नवीनीकरण के छात्रों के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र निर्धारित किए गए हैं। नूतन छात्रों को सफेद रंग के आवेदन–पत्र में आवेदन करना है जिसके प्रथम पृष्ठ पर शीर्ष में बड़े अक्षरों में नूतन लिखा हुआ है एवं नवीनीकरण के छात्र/छात्रा के लिए हल्के हरे रंग का आवेदन–पत्र निर्धारित है जिसके प्रथम पृष्ठ के शीर्ष में बड़े अक्षरों में नवीनीकरण लिखा हुआ है।

छात्र–छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय, छात्र/छात्रा द्वारा कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे होने एवं परिवार में अधिकतम दो विद्यार्थियों का ही छात्रवृत्ति आवेदन करने का नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र आवेदन–पत्र में मुद्रित पर या सादे कागज पर प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(सुवालाल) निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

9. अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश (वर्ष 2015–16)

● कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/60111/असंपूमैछा/2015–16 दिनांकः 2.6.2015 ● 1. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक), शिक्षा विभाग, राजस्थान। 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय/प्रारम्भिक)। ● विषय : अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश (वर्ष 2015–16)। अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :

1. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2015–16 के लिए निम्नानुसार भौतिक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा तक किया गया है :–

मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
74172	1126	12678	160	10077	15	98228

2. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध राजस्थान प्रदेश में स्थित समस्त केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय (निजी) विद्यालयों एवं पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों आदि में सत्र 2015–16 में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत विद्यार्थी अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।
3. योजनान्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। इस क्रम में आपको नूतन छात्रों के लिए सफेद रंग का आवेदन पत्र तथा नवीनीकरण के छात्रों के लिए हल्के रंग का आवेदन पत्र मुद्रित करवाना है। संबंधित श्रेणी को ध्यान में रखते हुए सफेद रंग/हल्के हरे रंग के मुद्रित करवाए जाने वाले आवेदन पत्र पर नूतन/नवीनीकरण शब्द का भी बड़े अक्षर में मुद्रण करवाया जाना है।
4. छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आवेदन–पत्र संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन–पत्र की फोटो प्रतियाँ करवाकर भी काम में ली जा सकती ह। आवेदन–पत्र व विज्ञप्ति विभागीय बेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।
5. कक्षा 9 व 10 के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक–प्रथम) होंगे। इस क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (द्वितीय), संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के योजना में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार आवेदन–पत्र प्राप्त करने, प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने, आवेदन पत्रों के अनुसार पात्र छात्र–छात्राओं की सूची बनाने तथा उन्हें राज्य नोडल अधिकारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निर्धारित तिथि तक पहुंचाने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
6. कक्षा 1 व 8 के लिए जिला स्तर पर इस छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जिले के समस्त राजकीय/गैर राजकीय, मान्यता प्राप्त तथा संस्कृत शिक्षा विभाग एवं मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों आदि के कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के योजना में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार आवेदन–पत्र प्राप्त करने, प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने, आवेदन पत्रों के अनुसार पात्र छात्र–छात्राओं की सूची बनाने तथा उन्हें निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निर्धारित तिथि तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होंगे।
7. गत वर्ष में जिन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी, उन्हें भी नियमानुसार छात्रवृत्ति के नवीनीकरण (Renewal) का आवेदन–पत्र भरना है। ये ध्यान रखा जाए कि गत वर्ष के चयनित छात्र–छात्राओं के नूतन का आवेदन पत्र नहीं भरवाया जाए। संचालित मॉडल स्कूलों में प्रवेशित अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ देय होगा।
8. छात्रवृत्ति योजना से संबंधित समस्त कार्यवाही निर्धारित निम्नानुसार समयबद्ध तरीके से निम्नांकित तिथि क्रम (Calender) के अनुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें:–

क्र.सं.	कार्य	निर्धारित तिथि
1.	छात्र–छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना	29.8.2015
2.	विद्यालयों द्वारा छात्र–छात्राओं से प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना।	07.09.2015
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्रों के अनुसार संकलित सूची (सॉफ्ट कॉपी मय हार्ड कॉपी) इस कार्यालय में प्रस्तुत करना।	14.9.2015
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्रों के अनुसार संकलन सूची (सॉफ्ट कॉपी मय हार्ड कॉपी) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज., बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत करना।	14.9.2015
5.	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज., बीकानेर द्वारा कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर को प्रस्तुत करना।	21.9.2015

9. **आवेदन पत्र जांच कार्यवाही :–** प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक, अपने–अपने सेटअप के नोडल एवं जांच दल के अध्यक्ष होंगे। आवेदन पत्रों की जांच व कार्ययोजना निम्नानुसार होगी:–

(1) संस्था प्रधान द्वारा सभी विद्यार्थियों से आवेदन पत्र पर चश्पा करने हेतु केवल एक ही फोटो लिया जाएगा।

(2) नूतन (New) एवं नवीनीकरण (Renewal) दोनों ही श्रेणी के आवेदन पत्रों को संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खाते की फोटो प्रति संलग्न करने पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएं ताकि आवेदक को छात्रवृत्ति भुगतान के समय जटिलता न रहकर स्पष्टता रहे। इस हेतु बैंक खाते को आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड से लिंक करवाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(3) आवेदन पत्र पर चश्मा फोटो एवं बैंक पास बुक में चश्पा की गई फोटो में पृथम दृष्टया मिलाने करने का उत्तरदायित्व संस्था प्रधान का होगा।

(4) आवेदक छात्र जिनके कक्षा 4 से 8 में अध्ययनरत छात्रों हेतु गत कक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक वाले विद्यार्थियों के आवेदन पत्र संस्था प्रधान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रथम स्तर पर ही इन्हें रोका जाकर पारदर्शी क्रियान्वयन किया जाएगा।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक द्वारा गठित त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के आधार पर तैयार की गई सूची जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भिजवाए जाने के प्रावधान को प्रविष्ट किया गया है ताकि जिले के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से संबंधित कार्य के लिए जिलाधिकारी की भिज्ञता रहे।

(6) माध्यमिक शिक्षा सेटअप में त्रिसदस्यीय समिति के गठन में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम को निम्नानुसार स्थाई सदस्य समिति में होंगे :–

(क) संबंधित छात्रवृत्ति लिपिक

(ख) शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी

(ग) प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी

समिति समस्त आवेदन पत्रों की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगी जो जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में कार्यवाही करेगी।

(7) प्रारम्भिक शिक्षा सेटअप में पंचायत समिति स्तर पर द्विसदस्यीय समिति के गठन का निम्नानुसार आदेश दिया गया है जो आवेदन पत्रों की शत–प्रतिशत जांच के लिए उत्तरदायी होंगे:–

(क) संबंधित छात्रवृत्ति लिपिक

(ख) संबंधित क्षेत्र का अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

त्रिसदस्य के रूप में संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी उन तीन संस्थाओं के आवेदन पत्रों की सेम्प्लिंग जांच के लिए उत्तरदायी होंगे जहां से ब्लॉक में अधिकतम आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(8) जिन क्षेत्रों के संबंध में छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के संबंध में अभाव अभियोग प्राप्त होते हैं उनके निष्पादन एवं जांच के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) अधिकृत होंगे।

प्रारम्भिक शिक्षा सेटअप में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पंचायत समिति व संस्थावार संख्यात्मक सूचना उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।

(9) निजी शिक्षण संस्थाओं को वर्ष 2014–15 में दी गई राशि रूपये 4000/– या कम प्रति छात्र (संस्था के बैंक खाते में) का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक/माध्यमिक का होगा, तत्पश्चात ही वर्ष 2015–16 की छात्रवृत्ति की राशि का बजट प्रावधान मांग एवं भुगतान देय होगा।

10. **सूचनाओं का सम्प्रेषण :–**

(अ) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) के कार्यालय में विद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों व सी.डी. की जांच प्रतिदिन किया जाना व्यावहारिक होगा ताकि त्रुटि होने की संभावना न हो।

(ब) सूचनाएं संलग्न प्रपत्र–क में अंकित 24 कॉलम में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) द्वारा निदेशालय, माध्यमिक/प्रारम्भिक को भिजवानी आवश्यक है। इस सूचना की हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी के आधार पर ही निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा को बजट आवंटित किया जाएगा। उचित होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) इस हेतु ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अपने स्तर से सूचित करें।

11. उक्त निर्देशों के आधार पर अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(सुवालाल) निदेशक, माधयिमक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रपत्र–'क'

छात्रवृत्ति फार्म एवं 24 कॉलम का प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें

1. इस छात्रवृत्ति के प्रस्ताव निम्नलिखित 24 कॉलम के प्रपत्र में भिजवावें :–

प्रपत्र

राज्य स्तरीय क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	वर्तमान कक्षा	लिंग (छात्र/छात्रा)	धर्म	गत वर्ष परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत	अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय	संस्था का नाम व पता जहां अध्ययनरत है	राजकीय/निजी	छात्रावासी/गैरछात्रावासी		छात्रवृत्ति		छात्रवृत्ति की राशि (रूपयों में)				बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	बैंक खाता स्वयं का/पिता/माता का	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कॉड	आधार संख्या	जिला
												नूतन	नवीनीकरण	प्रवेश शुल्क	शिक्षण शुल्क	रख–रखाव भत्ता	योग						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

2. उक्त 24 कॉलम के प्रपत्र के केवल तीन कॉलम–2, 3 एवं 9 (छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम एवं विद्यालय का नाम) में हिन्दी के फोन्ट Devlys 010 Font Size 12 का प्रयोग करें शेष सभी कॉलम अंग्रेजी भाषा के Times New Roman Font Size 10 में भरें।
3. ग्रामीण विद्यालयों में यह देखने में आया है कि केवल गांव का नाम अंकित किया जाता है जो कि गलत है। अतः कॉलम संख्या 9 में सभी विद्यालयों का पूरा नाम व पूरा पता लिखें।
4. जाति के कॉलम में निम्नानुसार संकेत अक्षर लिखें :–

Muslim	हेतु	M
Chritian	हेतु	C
Sikh	हेतु	S
Bodhist	हेतु	B
Parsi	हेतु	P
Jain	हेतु	J

5. कक्षा के कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 जो भी हो अंकित करें। कक्षा के लिए रोमन या अन्य अंकों का प्रयोग नहीं करें।
6. कॉलम सं. 5 में छात्र के लिए B एवं छात्रा के लिए G अक्षरों का प्रयोग ही करें अन्य अक्षरों का उपयोग नहीं करें।
7. राजकीय विद्यालयों के लिए G एवं निजी विद्यालयों के लिए P अंकित करें। ध्यान रहे कि सभी मदरसे निजी शिक्षण संस्था की श्रेणी में आएंगे तथा उनके लिए P अंकित करें।
8. गत परीक्षा में प्राप्तांक वाले कॉलम में प्रतिशत का चिह्न अंकित नहीं करें। केवल अंकों में लिखें जैसे 50.12, 65.48, 85.00 इत्यादि।
9. राजकीय तथा निजी समस्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के छात्र–छात्राओं को प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क देय नहीं है अतः इन कॉलम में शून्य (0) अंकित करें। इन कक्षा के छात्र–छात्राओं को मात्र 1000 रूपये रख–रखाव भत्ते के रूप में ही देय है।
10. सभी छात्र–छात्राओं को रख–रखाव भत्ता के रूप में 1000 रूपये देय है अतः इस कॉलम में 1000 अंकित करें।
11. यदि छात्र ने गत वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की है एवं प्रथम बार आवेदन कर रहा है तो कॉलम संख्या 13 (छात्रवृत्ति के कॉलम) New में अंकित करें और यदि छात्र ने गत वर्ष इस योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो कॉलम संख्या 14 (नवीनीकरण छात्रवृत्ति के कॉलम) में R-New लिखें। दोनों में से एक कॉलम भरा जाए तथा दूसरे कॉलम में डेस (–) आएगा।
12. प्रवेश शुल्क अधिकतम 500 रूपये वार्षिक या वास्तविक चुकाया गया जो भी कम हो अंकित किया जाए। किसी भी दशा में यह 500 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
13. इसी प्रकार शिक्षण भत्ता 350 रूपये प्रति मास या वास्तविक जो भी कम हो अंकित किया जाना है। शिक्षण भत्ता अधिकतम 10 माह के लिए (350 x 10) = 3500 रूपये देय है इससे अधिक नहीं होना चाहिए।
14. कॉलम 15 (प्रवेश शुल्क) कॉलम 16 (शिक्षण शुल्क) कॉलम 17 (रख–रखाव भत्ता) तीनों का योग कॉलम 18 में अंकित करें। **यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि कॉलम संख्या 15 से 17 तक के योग के लिए जो सूत्र (Formula) लगाया जाता है वो एक दम सही हो तथा किसी भी पंक्ति में सूत्र छूटे नहीं।**
15. Feeding आवेदन–पत्र के आधार पर करें एवं प्रधानाध्यापक का प्रमाणीकरण आवश्यक है।
16. राजकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को आवेदन के साथ नियोक्ता/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र देना होगा एवं जिन राजकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों द्वारा भरे गए आवेदन पत्रों के साथ यह प्रमाण–पत्र अंकित या संलग्न नहीं है उन्हें स्वीकार नहीं किया जावे।
17. 'शून्य' (Zero) आय वाले प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण दो गवाहों से अवश्य लें। जिन शपथ पत्रों में आय उल्लेखित नहीं है उन्हें स्वीकार न करें। आय वाले कॉलम में शून्य आय तभी अंकित करें जब नोटेरी पब्लिक द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र में सभी स्रोतों से आय शून्य दर्शायी गई हो। शपथ–पत्र हेतु 10 रूपये के मुद्रांक की आवश्यकता नही है बल्कि सादे कागज पर ही लेना है।
18. माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक की आय यदि एक लाख रूपये से अधिक है तो ऐसे आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किए

जावे।

19. छात्र/छात्रा द्वारा गत परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की होनी चाहिए इस हेतु गत परीक्षा की अंकतालिका या प्रधानाध्यापक का प्रमाणीकरण आवश्यक है।
20. संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही इस छात्रवृत्ति का लाभ देय होगा।
21. गत वर्ष अनुत्तीर्ण बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा।
22. यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि छात्र/छात्रा को अन्य किसी भी स्रोत से कोई छात्रवृत्ति न मिल रही हो। यदि अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त की जा रही है तो यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
23. कक्षा 1, 2, 3 में परीक्षा न होने के कारण कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों के लिए आय को ही आधार माना जाएगा। अतः प्राप्तांक प्रतिशत के कॉलम संख्या 7 में शून्य अंकित करें।
24. प्रत्येक संस्था प्रधान इस हेतु एक पृथक रजिस्टर का संधारण करेंगे एवं प्रत्येक छात्र की समस्त सूचना उसमें अंकित करेंगे।

10. अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संशोधित दिशा–निर्देश (वर्ष 2015–16)

● कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/60111/असंपूमैछा/2015–16 दिनांकः 12.6.2015 ● 1. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक), शिक्षा विभाग, राजस्थान। 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)। ● विषय : अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संशोधित दिशा–निर्देश (वर्ष 2015–16) ● प्रसंग : प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक का पत्रांक शिविरा/प्रारं/छात्रवृत्ति/3712/2015–16 दिनांक 05.6.2015

उपर्युक्त विष्यान्तर्गत अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार संशोधित कार्यवाही की जानी है:–

1. प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि माध्यमिक शिक्षा सेटअप की कक्षा 1 व 8 के पात्र विद्यार्थियों के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) द्वारा लिये जाएंगे। यदि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के पास माध्यमिक सेटअप के कक्षा 1 से 8 के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उनसे प्राप्त कर आप अपने समेकित प्रस्तावों के साथ नियत तिथि तक इस कार्यालय को भिजवाएंगे।
2. निदेशक, छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, नई दिल्ली Work flow of online application under National under Scholarship portal (NSP) for Pre-matric Scholarship Scheme for the Students belonging to the minority communities-reg. के संबंध में प्राप्त पत्रानुसार कक्षा 9 से 10 हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन भिजवाना अनिवार्य कर दिया गया है जो www.scholarship.gov.in पर आवेदन करने है।
3. यदि आप द्वारा आवेदन पत्रों का मुद्रण नहीं करवाया गया है तो आवश्यकतानुसार संलग्न आवेदन पत्र जो कि नूतन एवं नवीनीकरण के लिए एक समान है जिसमें नूतन अथवा नवीनीकरण में से एक के आगे टिक करना है, को ही छपवावें (अलग–अलग रंगों में नहीं छपवावें)।

इस आशय के आदेश/दिशा–निर्देश आप अपने अधीनस्थ समस्त केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राजकीय एवंगैर राजकीय (निजी) विद्यालयों एवं पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों आदि में अविलम्ब प्रसारित करावें। ● संलग्नः उपर्युक्तानुसार आवेदन–पत्र। ● (सुवालाल) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

नूतन..... नवीनीकरण.....(अंकित करें) ✓

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
सत्र 2015–16

छात्र/छात्रा द्वारा हस्ताक्षरित फोटो यहां चिपकाएं

अल्पसंख्यक समुदाय का नाम : .....

कार्यालय उपयोग हेतु :

प्रार्थना पत्र क्रमांक	वर्ष	कक्षा	अनुमोदित–हाँ/नहीं

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम.....
2. पिता/माता का नाम.....
3. मूल निवास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :.....
4. पत्राचार के लिए पूरा पता : .....
5. सम्पर्क : दूरभाष/मोबाइल नं (यदि कोई हो).....
   ई–मेल आईडी (यदि कोई हो).....
6. जन्म तिथि (कृपया प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
   दिन.....माह.....वर्ष.....
7. पुरूष अथवा महिला अथवा अन्य .....
8. आधार संख्या (यदि हो) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
9. राष्ट्रीयता.....
10. धर्म : .....
11. विद्यालय/संस्थान (आवासीय सहित) का ब्यौराः
    1. उस स्कूल/संस्थान का नाम जहां अध्ययन कर रहे हैः.....
    2. स्कूल/संस्थान का पूरा पता.....
12. अनावासी या छात्रावासी.....
13. कुल वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्कः.....रूपये
    (पाठ्यक्रम शुल्क का विवरण जैसे कि प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, अनुरक्षण भत्ता शुल्क)

क्र.सं.	मद	धनराशि (रू.)
1.	प्रवेश शुल्क	
2.	शिक्षण शुल्क	
3.	अनुरक्षण भत्ता	
	योग	

14. छात्र/छात्रा के बैंक खाते का विवरण :–
    (इस ब्यौरों की आवश्यकता, छात्रवृति की मंजूरी के बाद उसकी राशि के वितरण से पहले होगी)
    1. खाते का प्रकार/नामः.....
    2. बैंक का नामः.....
    3. बैंक शाखा का पूरा पता मय पिन कोड नम्बरः.....
    4. शाखा का कोड नम्बरः.....
    5. खाता संख्या (अंकों में).....

6. बैंक खाते की प्रकृति (बचत/चालू):.....
7. बैंक का एमआईसीआर कॉड:.....
8. बैंक का आईएफएससी कॉड:.....

15. छात्र के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय:..... .....रुपये

16. आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:
   1. स्वयं का हस्ताक्षरित एक पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन–पत्र के प्रारम्भ में निर्धारित स्थान पर चिपकावें/स्टेपल करें।
   2. आय प्रमाण–पत्र : नियोजित माता–पिता/अभिभावकों के लिए नियोक्ता से आय प्रमाण–पत्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला आय प्रमाण–पत्र के संलग्न किया जावे।
   3. यदि छात्र/छात्रा द्वारा किसी अन्य विद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की प्रमाणित छाया प्रति।
   4. समुदाय प्रमाणन हेतु विद्यार्थी स्व–घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

17. **घोषणा–**
   1. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं सही हैं।
   2. मैं इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य राज्य/केन्द्र सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हूँ।
   3. मैं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए निबंधन व शर्तों का पालन करूंगा।
   4. मैं यह वचन देता हूँ कि यदि किसी चरण पर यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी/गलत है, तो विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त मुझे मंजूर की गई छात्रवृत्ति को रद्द किया जा सकेगा और मेरे द्वारा छात्रवृत्ति की पूरी राशि वापस की जाएगी अथवा मुझसे वसूल की जाएगी।

दिनांक : ..... विद्यार्थी के हस्ताक्षर
स्थान : .....

(कक्षा–1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

भाग–।। (स्कूल/संस्थान के प्रमुख द्वारा भरा जाए)

स्कूल/संस्था प्रधान द्वारा की जाने वाली जांच/दी जाने वाली सूचना:–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री ..... जो ..... स्कूल/संस्था में शैक्षिक वर्ष.....के लिए ....कक्षा में दाखिल है, द्वारा उपरोक्त सभी कॉलमों में भरी गई सूचनाओं की पूर्ण जांच कर ली गई है एवं सूचना सही है।

दिनांक..... स्कूल/संस्था प्रधान
स्थान..... के हस्ताक्षर मय मोहर

11. परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के मानदण्ड

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/निप्र/डी–1/20101/।।/99–2000/53005 दिनांक : 07.05.2015 ● परिपत्र ● विषय : परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के मानदण्ड

समन्वित विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 अथवा 1 से 12 का संचालन होने, कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा का प्रावधान होने तथा प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व 12 के परीक्षा परिणामों में सुधार एवं नामांकन की समयबद्ध समीक्षा आवश्यक है। इसके क्रम में संस्था प्रधानों (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) तथा शिक्षकों (व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक) के लिए निम्नांकित मानदण्ड निर्धारित कर निर्देश जारी किये जाते है–

1. संस्था प्रधान–

(अ) **श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम–**विद्यालय का उच्च माध्यमिक व माध्यमिक परीक्षा (दोनों अथवा एक) का परिणाम 80 प्रतिशत व इससे उच्च रहने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा पृथक से जारी निर्देश पत्र क्रमांक–शिविरा/माध्य/निप्र/डी–1/2101/।।/99–2000/53005 दिनांक 3.2.2015 के क्रम में प्रशंसा पत्र दिया जायेगा।

(ब) **न्यून परीक्षा परिणाम–**विद्यालय की उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 50 प्रतिशत से न्यून, माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 40 प्रतिशत से न्यून तथा 8वीं कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों का ग्रेडिंग स्तर 'डी' से कम रहने की दशा में संस्था प्रधान के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

(स) 5वीं कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों का ग्रेडिंग स्तर 'डी' होने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

(द) आदर्श विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में 150, कक्षा 6 से 8 में 105 तथा कक्षा 9 से 10 में 100 एवं कक्षा 11 से 12 में प्रति संकाय 100 का नामांकन एवं शेष रहे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक 150, कक्षा 6 से 8 तक 105, कक्षा 9 से 10 तक 40 प्रति कक्षा के अनुसार 80 एवं कक्षा 11 से 12 तक प्रति कक्षा 60 के अनुसार कुल 120 विद्यार्थियों से कम नामांकन रहने पर जवाब कारण बताओं नोटिस का विश्लेषण कर नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त वर्णित 'ब' से 'द' की कार्यवाही समक्ष प्राधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी कर की जावेगी। कारण बताओं नोटिस का जवाब, नोटिस जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में संबंधित द्वारा दिया जाना आवश्यक होगा।

2. अध्यापक–

(अ) **श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम–**विषय अध्यापक का उच्च माध्यमिक अथवा माध्यमिक परीक्षा (दोनों अथवा एक) का परीक्षा परिणाम 80% व इससे उच्च रहने पर प्रशंसा पत्र दिया जायेगा।

(ब) उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 60 प्रतिशत से न्यून, माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 50 प्रतिशत से न्यून तथा 8वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक बच्चों का ग्रेडिंग स्तर 'डी' होने पर शिक्षक के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम-17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

(स) 5वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक बच्चों का ग्रेडिंग 'डी' होने पर शिक्षक के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम-17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

(द) आदर्श विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में 150, कक्षा 6 से 8 में 105 तथा कक्षा 9 से 10 में 100 एवं कक्षा 11 से 12 में प्रति संकाय 100 का नामांकन एवं शेष रहे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक 150, कक्षा 6 से 8 तक 105, कक्षा 9 से 10 तक 40 प्रति कक्षा के अनुसार कुल 80 एवं कक्षा 11 से 12 तक प्रति कक्षा 60 के अनुसार कुल 120 विद्यार्थियों से कम नामांकन रहने पर नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

3. क्रियान्वयन बिन्दु-

उपयुक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा अध्यापक को प्रशंसा पत्र देने अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर वस्तु परक (ओब्जेक्टिव) दृष्टि से अवश्य विचार किया जाना अनिवार्य होगा-

3.1 संस्था प्रधान/अध्यापक का संबंधित सत्र में जुलाई से फरवरी के मध्य न्यूनतम ठहराव 5 माह होना आवश्यक है। शैक्षिक व्यवस्थार्थ तथा अतिरिक्त कक्षा संचालन भी इस हेतु वर्णित अवधि में विचार किया जावेगा।

3.2 परीक्षा परिणाम की गणना करते समय मुख्य परीक्षा परिणाम को ही सम्मिलित किया जावेगा, पूरक परीक्षा परिणाम को नहीं।

3.3 संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक परीक्षा में विद्यालय में चल रहे सभी संकायों/खण्डों के परीक्षा परिणाम को मिलाकर औसत परीक्षा परिणाम की गणना की जावेगी।

3.4 यदि अध्यापक एक ही विषय के किसी कक्षा के एक से अधिक खण्ड पढ़ाता हो तो सभी खण्डों के परीक्षा परिणाम का औसत निकाला जावे। औसत निकालने के लिए परीक्षा में प्रविष्ट व उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को आधार माना जायेगा।

3.5 सानुग्रह उत्तीर्ण छात्रों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं अध्यापक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण छात्रों के साथ ही सम्मिलित किया जावेगा।

4. सक्षम अधिकारी-

4.1 संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) एवं व्याख्याता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय स्तर पर विभागीय जांच अनुभाग द्वारा की जावेगी।

4.2 वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में मंडल अधिकारी सक्षम होगा तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए समस्त कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर ही की जावेगी।

4.3 प्रशंसा पत्र देने के लिए निम्नांकित अधिकारी सक्षम होंगे:-

पद	सक्षम अधिकारी
(i) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता	-मण्डल अधिकारी
(ii) अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक	-जिला शिक्षा अधिकारी

4.4 मण्डल अधिकारी द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा तथा जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की अनुशंषा के आधार पर विभाग द्वारा दिनांक 3.2.2015 के क्रम में जारी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के अनुरूप प्रशंसा पत्र देने के लिए अधिकृत होंगे।

5. समय सारणी-

5.1 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सामान्यतया बोर्ड परीक्षा परिणाम मध्य जुलाई तक घोषित कर दिये जाते है एवं नामांकन प्रक्रिया भी शिविरा पंचाग अनुसार सामान्यतया जुलाई माह में पूर्ण हो जाती है। इस क्रम में संबंधित संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) तथा जिला शिक्षा अधिकारी का प्रथम दायित्व है कि निम्नानुसार अनिवार्य रूप से कार्यवाही की जावे:-

1.	न्यून परीक्षा परिणाम/न्यून नामांकन से संबंधित संस्था प्रधान एवं अध्यापक की पहचान	30 जुलाई तक
2.	सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित को 'कारण बताओं नोटिस' जारी करना	10 अगस्त तक
3.	जवाब 'कारण बताओं नोटिस' प्राप्त करना	30 अगस्त तक
4.	आरोप पत्र जारी करना	10 सितम्बर तक
5.	जवाब आरोप पत्र प्राप्त करना	25 सितम्बर तक
6.	व्यक्तिगत सुनवाई	10 अक्टूबर तक
7.	अन्तिम निर्णय पारित करना	15 अम्टूबर तक

5.2 सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति सभी संबंधित को प्रेषित किये जाने की सुनिश्चितता तय कर संबंधित के सेवा अभिलेख में 31 अक्टूबर तक आवश्यक इन्द्राज किये जाने का उत्तरदायित्व सक्षम अधिकारी (नियंत्रण अधिकारी) के कार्यालय में पदस्थापित संस्थापन प्रभारी का होगा।

5.3 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान/विषय व्याख्याताओं/वरिष्ठ अध्यापकों/अध्यापकों को संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा प्रशंसा पत्र अपने (1)-अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को 10 जनवरी तक (2)-जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों को 20 जनवरी तक भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि संस्था प्रधान द्वारा 26 जनवरी के गणतन्त्र दिवस समारोह में संबंधित को वितरित किये जा सकें।

5.4 जिला शिक्षा अधिकारी श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले किसी संस्था प्रधान/विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक को जिला/राज्य स्तरीय पुरस्कार की अभिशंषा करनी है तो निर्धारित तिथि तक जिला कलक्टर द्वारा सूचित कार्यक्रम एवं सामान्य

प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप आवश्यक प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्रेषित कर सकेंगे।

5.5 समय सारणी का पालना न करने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

(सुवालाल) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

12. बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा एवं शिक्षकों को प्रशंसा पत्र/के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/निप्र/डी-1/2101/II/99-2000/53005 दिनांक : 03 फरवरी 2015 ● समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा ● विषय : बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा एवं शिक्षकों को प्रशंसा पत्र/के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।

विषयान्तर्गत निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.09.2000 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। परिपत्र दिनांक 20.09.2000 की प्रति पृष्ठ भाग पर अंकित है।

निदेशालय स्तर पर समीक्षा करने पर पाया गया कि-

1. सामान्यतया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा (12वीं) परिणाम माह मई में एवं माध्यमिक परीक्षा (10वीं) परिणाम माह जून में घोषित हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम की विद्यालयवार परीक्षा परिणाम की कम्प्यूटर-शीट प्रेषित की जाती है। प्राप्त शीट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी का प्रथम दायित्व है कि वह-
   (i) विद्यालयों की पहचान जिनका परीक्षा परिणाम निर्धारित मापदण्ड से न्यून है। संबंधित शाला प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशालय को अधिकतम जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक आसानी से भिजवाये जा सकते है, जो प्राप्त नहीं होते है।
   - उक्त के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है चूँकि बोर्ड द्वारा अधिकृत परीक्षा परिणाम उनको अंकित विवरणानुसार प्रेषित किये जाने से जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से संस्था प्रधान का दायित्व आसानी से निदेशालय को सूचित किया जा सकता है।
   (ii) विषयवार व्याख्याताओं/अध्यापकों का परीक्षा परिणाम की सूचना संस्था प्रधानों की प्रथम वाक्-पीठ जो कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में आयोजित की जाती है, में संस्था प्रधान से प्राप्त कर समेकित रूप से निदेशालय/मण्डल अधिकारी को प्रेषित की जा सकती है।
2. यह भी सम्भव है कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के परिणाम पुर्न-मूल्यांकन के कारण संशोधित होते है किन्तु इस संशोधन से मोटे रूप से विद्यालय प्रभावित न होकर कुछ संख्या में छात्र/आंशिक रूप से विद्यालय एवं विषयाध्यापक प्रभावित हो सकते है। पुन-मूल्यांकन परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना उक्त सूचना प्रतिवर्ष अधिकतम 31 अगस्त तक उपलब्ध करवाने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक उत्तरदायी होंगे।
3. उक्त प्राप्त सूचना के आधार पर विश्लेषण कर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा एवं मण्डल कार्यालय द्वारा (सक्षमता के आधार पर) संबंधित संस्था प्रधान, व्याख्याता एवं विषयाध्यापक के विरूद्ध 30 सितम्बर तक कारण बताओ नोटिस जारी कर संबंधित का अभिकथन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. 15 अक्टूबर तक संबंधित का अभिकथन सक्षम अधिकारी को प्राप्त नहीं होने पर बोर्ड द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर संबंधित कार्मिक (संबंधित संस्था प्रधान/विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक) के विरुद्ध सी.सी.ए.-17 के तहत आरोप पत्र जारी किये जायें। जारी किये जाने वाला आरोप पत्र को सीधे ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना आवश्यक होगा।
5. जारी आरोप पत्र के विरुद्ध अभिकथन (बचाव) प्राप्त होने/नहीं प्राप्त होने, दोनों ही दशाओं में सक्षम अधिकारी द्वारा विश्लेषण कर आवश्यक दण्डादेश से संबंधित आदेश प्रसारित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यह कार्यवाही 25 अक्टूबर तक की जानी आवश्यक होगी। आवश्यक आदेश की प्रति सभी संबंधित को प्रेषित किये जाने की सुनिश्चितता संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।
6. पारित आदेश का उल्लेख संबंधित के सेवाभिलेख में 31 अक्टूबर तक आवश्यक इन्द्राज किये जाने का उत्तरदायित्व सक्षम अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत संस्थापन प्रभारी का होगा। विफल रहने की दशा में संस्थापन प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
7. निदेशालय स्तर पर विभागीय जाँच अनुभाग संस्था प्रधान/विषय व्याख्याताओं के विरुद्ध उक्त समस्त कार्यवाही निर्धारित तिथियों में करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुभाग अधिकारी एवं ग्रुप अधिकारी इसका नियमित रूप से प्रबोधन करेंगे।
8. श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान/विषय व्याख्याताओं/वरिष्ठ अध्यापकों को संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा प्रशंसा पत्र अपने (i) अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को 10 जनवरी तक (ii)-जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों को 20 जनवरी तक भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि संस्था प्रधान द्वारा 26 जनवरी के गणतन्त्र दिवस समारोह में संबंधित को वितरित किये जा सकें।
9. जिला शिक्षा अधिकारी श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले किसी संस्था प्रधान/विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक को जिला/राज्य स्तरीय पुरस्कार की अभिशंषा करनी है तो निर्धारित तिथि तक जिला कलक्टर द्वारा सूचित कार्यक्रम एवं परिपत्रों के अनुरूप आवश्यक प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्रेषित कर सकेंगे।

(सुवालाल) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

13. आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/4352(02)/लूजनोट/2014 /5 दिनांक 12 मई 2015 ● समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा ● विषय : आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए

प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 15(1) प्रसु/अनु-1/2014 दिनांक 05 फरवरी 2015 के द्वारा विषयान्तर्गत निम्नांकित-

(1) शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त कर दस्तावेजों को स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रतिलिपि लगाने।

(2) प्राप्त परिवाद/शिकायत/प्रार्थना पत्र के संबंध में प्राप्ति रसीद जारी करने की व्यवस्था।

बाबत कार्यालयों के सूचना पट्ट एवं स्पष्ट दृश्य स्थान पर स्लोगन वॉल-पेंटिग के माध्यम से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में निदेशालय के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/अभिलेख/5916/2015 दिनांक 12.03.2015 द्वारा भी आपको सूचित किया गया था।

समीक्षा करने पर पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी वर्णित दिशा निर्देशों के अनुरूप आप द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2015 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के अ.शा. पत्र दिनांक 23.04.2015 द्वारा विषयान्तर्गत कार्यवाही के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उक्त कार्यवाही के संबंध में आप द्वारा कार्यालय/विद्यालय के सूचना पट्ट एवं स्पष्ट दृश्य स्थान पर निम्नांकित स्लोगन पॉल-पेन्टिंग अंकित कराये जाने है-

1. राज्य सरकार ने 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाने की व्यवस्था की है।
2. कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार के परिवाद/शिकायत/प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाकर प्राप्ति रसीद दी जाती है। प्राप्ति रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार है।

निदेशालय द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में उपलब्ध विकास कोष/छात्र निधि के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है। इस राशि में से विद्यालयों में पॉल-पेन्टिग करायी जा सकेगी एवं कार्यालयों में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यालय व्यय मद राशि से। शिविरा पत्रिका अप्रेल, 2015 पृष्ठ संख्या 27 पर भी उक्त के संबंध में प्रकाशन किया जा चुका है।

उक्त वर्णित कार्यवाही पूर्ण करवाकर 30 मई 2015 तक निम्नांकित प्रमाण पत्र निदेशालय को आगामी विडियो कान्फ्रेंसिंग से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य सरकार को मेल आईडी cmv@rajasthan.gov.in पर पालना भिजवायी जा सके-

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/विद्यालयों के सूचना पट्ट/दीवार के स्पष्ट दृश्य स्थान पर राज्य सरकार के परिपत्र प. 15(1)प्र.सु./अनु-1/2014 दिनांक 5.2.2015 की पालना में शपथ पत्र के स्थान पर स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाने की व्यवस्था तथा परिवाद/शिकायत/प्रार्थना पत्र के संबंध में रसीद जारी करने से संबंधित स्लोगन वॉल-पेन्टिग के रूप में पूर्ण कराये जा चुके है। इसे आवश्यक समझें।

(सुवालाल) निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

14. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदकों को समय पर सूचना उपलब्ध करवाने एवं सरलीकरण किये जाने हेतु।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● आदेश ● सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदकों को समय पर सूचना उपलब्ध करवाने एवं सरलीकरण किये जाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(2) के तहत इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/माध्य/सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ/निर्देश/2011 दिनांक 24.06.11 के क्रम में निदेशालय के समस्त ग्रुप अधिकारियों के साथ-साथ समस्त अनुभाग अधिकारियों/सहायक निदेशकों को भी 'सहायक लोक सूचना अधिकारी' पदाभिहित किया जाता है।

समस्त अनुभाग अधिकारी/सहायक निदेशक आवेदकों को समय पर सूचना उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

(सुवालाल), निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/सूअप्र/निर्देश/2014-15/40 दिनांक : 01.05.2015

15. शिक्षा विभाग में शैक्षिक गुणवत्ता के स्तर में वृद्धि हेतु शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● परिपत्र ● शिक्षा विभाग में शैक्षिक गुणवत्ता के स्तर में वृद्धि हेतु शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को शोध कार्य हेतु (एम.फिल./पीएच.डी./डी.लिट्/डी.एससी.) हेतु विभागीय अनापत्ति/अनुज्ञा हेतु वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों/निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा** 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (U.G.C.) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के वैध पाठ्यक्रम हेतु ही प्रदान की जाएगी।
2. परीवीक्षा अवधि में सामान्यतया किसी भी कार्मिक को शोध कार्य हेतु **अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा** प्रदान नहीं की जाएगी, परन्तु परीवीक्षाधीन कार्यरत जिन कार्मिकों का परीवीक्षाधीन पद पर नियुक्ति से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम-2009 के प्रावधानों के अनुसार एम.फिल./पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार/कोर्स

(शेष पृष्ठ 43 पर पंचांग के बाद)

(पृष्ठ 38 से आगे...)

वर्क परीक्षा उत्तीर्ण की जा चुकी हो, उन परिवीक्षाधीन कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन किए जाने पर एम.फिल./पीएच.डी. हेतु अनुज्ञा दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

3. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

एम.फिल./पीएच.डी. की प्रवेश परीक्षा/काउंसलिंग/कोर्स वर्क में शामिल होने हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र कार्मिक के पदस्थापन स्थान के संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा। इस हेतु कार्मिक को विभाग द्वारा निर्धारित 'शोध हेतु विभागीय अनापत्ति/अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र' (परिशिष्ठ-1) में संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को यथा समय आवेदन करना होगा। संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रार्थी के कार्य व्यवहार से संतुष्ट होने पर परिशिष्ट-2 में अंकित प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

4. शोध हेतु अनुज्ञा:-

(अ) अनुज्ञा हेतु सक्षम अधिकारी:- शोध कार्य (एम.फिल./पीएच.डी./डी.लिट्/डी.एससी.) हेतु विभागीय अनुज्ञा कार्मिक के नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। तदनुरूप अध्यापक एवं समकक्ष पद हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पद हेतु संबंधित मंडल उप निदेशक, व्याख्याता एवं उच्चतर अधिकारियों हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कार्मिक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन किए जाने पर शोध हेतु विभागीय अनुज्ञा प्रदान करेंगे।

(ब) प्रार्थना पत्र प्रस्तुति :- शोध कार्य (एम.फिल./पीएच.डी./डी.लिट्/डी.एससी.) हेतु अनुज्ञा के लिए कार्मिक द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित 'शोध हेतु विभागीय अनापत्ति/अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र' (परिशिष्ट-1) की पूर्ति पश्चात संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को आवेदन अग्रेषित किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शोध गाइड/सुपरवाइजर द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण कर पात्रता पाए जाने पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी के कार्यालय में आवेदन-पत्र अभिशंषा सहित प्रेषित किया जाएगा। संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा विभागीय नियमान्तर्गत पात्र आवेदक को नियमानुसार अनुज्ञा परिशिष्ट-3 में अंकित प्रारूप में जारी की जाएगी।

5. अनुज्ञा की शर्तें:-

(अ) प्रार्थी अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद ही शोध हेतु विश्वविद्यालय में अपना पंजीयन कराएगा।

(ब) पंजीयन पश्चात पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति नियुक्ति अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(स) परिशिष्ट-3 (अनुज्ञा आदेश) में वर्णित शर्तों की पूर्ति प्रार्थी द्वारा आवश्यक रूप से की जाएगी।

(द) प्रार्थी को शोध कार्य के लिए सामान्यतया किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, परन्तु प्रार्थी के द्वारा सर्वेक्षण/प्रयोग करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अल्पावधि के लिए नियमानुसार स्वयं का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कार्यालय/विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

(य) बिना अनुज्ञा शोध कार्य हेतु पंजीयन कराने पर 'राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958' के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं उक्त योग्यता अभिवृद्धि की प्रविष्टि शोध उपाधि प्राप्ति के पांच वर्ष की अवधि तक सेवाभिलेख में नहीं की जाएगी।

(र) शोध कार्य की अनुज्ञा प्राप्त करना प्रार्थी का अधिकार नहीं होगा।

उपर्युक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। ● (सुवालाल) निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/माध्यमिक/शोध/34265/2015/57-61 दिनांक : 11.05.2015

परिशिष्ठ-1

शोध हेतु विभागीय अनापत्ति/अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र

1. नाम कार्मिक .....
2. पदनाम व पदस्थापन स्थान.....
   .....
3. जन्मतिथि (सेवा पुस्तिका के अनुसार).....
4. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि (निरन्तर सेवा की).....
   .....
5. वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि.....
6. वर्तमान पद पर परिवीक्षाधीन कार्यरत/स्थाई.....
7. वर्तमान पद पर स्थाईकरण आदेश क्रमांक व दिनांक.....
   .....
8. वर्तमान अधिकतम योग्यताएं :-
   शैक्षिक.....प्रशैक्षिक.....
9. अन्तिम सार्वजनिक परीक्षा, जिसमें सम्मिलित हुआ हो:-
   (क) परीक्षा का नाम मय विषय .....
   (ख) वर्ष .....
   (ग) स्वीकृति देने वाले अधिकारी का आदेश क्रमांक व दिनांक
   .....
   (घ) परीक्षा का परिणाम .....
10. अनापत्ति/अनुज्ञा से संबंधित प्रस्तावित शोध सम्बन्धी विवरण:-

शोध उपाधि का विवरण एम.फिल./पीएच.डी./डी.लिट्/डी.एससी.	विश्वविद्यालय का नाम	विषय

11. आवेदन का प्रकार :- अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञा
12. विभागीय अनापत्ति की आवश्यकता :- एम.फिल./पीएच.डी./प्रवेश परीक्षा/काउंसलिंग/कोर्स वर्क
13. शोध कार्यक्रम में आवेदक की वर्तमान स्थिति :- प्रवेश

परीक्षा/काउंसलिंग/कोर्स वर्क/पंजीयन में से जिसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से प्रक्रिया पूर्ण/आवेदन प्रक्रियाधीन है, तत्संबंधी स्थिति का पूर्ण विवरण देवें:-

हस्ताक्षर आवेदक मय नाम व पद

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है और मैंने कोई सूचना छिपाई नहीं है।

दिनांक **कर्मचारी के हस्ताक्षर मय नाम व पद**

संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की अनुशंसा

(अनुज्ञा हेतु आवेदन की स्थिति में)

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. प्रार्थी द्वारा आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का सेवाभिलेख से मिलान कर लिया गया है, जो सही पाया गया है।
2. कार्मिक का कार्य-व्यवहार सन्तोषजनक है, अत: उपर्युक्तानुसार वर्णित शोध कार्य विभागीय शर्तो पर किए जाने की अनुज्ञा दिए जाने हेतु प्रकरण अग्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षर व नाम

संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष मय मोहर

परिशिष्ट-2

(शोध कार्य के लिए अनापत्ति हेतु प्रारूप)

संबंधित कार्यालय का नाम

अनापत्ति प्रमाण पत्र

निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विश्वविद्यालय से एम.फिल./पीएच.डी./डी.लिट्/डी.एससी. की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विभागीय नियमों के तहत अनुज्ञा अलग से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त करनी होगी तथा शोध कार्य के लिए अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा। यह अनुमति 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए) न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम-2009' का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/कार्मिक द्वारा पालन किए जाने के अध्यधीन दी जा रही है।

नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	शोध का विषय	विश्वविद्यालय का नाम

हस्ताक्षर मय नाम व मोहर
(कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान)

क्रमांक.....दिनांक.....

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. रजिस्ट्रार संबंधित विश्वविद्यालय
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/संबंधित मंडल उपनिदेशक/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित कार्मिक
4. रक्षित पत्रावली

ह. मय नाम. मोहर, कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान

परिशिष्ट-3

(शोध कार्य हेतु अनुज्ञा आदेश का प्रारूप)

संबंधित कार्यालय का नाम

आदेश

श्री/सुश्री/श्रीमती :.....
पद नाम.....
पदस्थापित विद्यालय/ कार्यालय का नाम.....
को '.....' (शोध शीर्षक)
पर..... (विश्वविद्यालय का नाम) से एम.फिल./पीएच.डी./डी.लिट्./डी.एससी. (विषय:-.....) करने की अनुज्ञा निम्नांकित शर्तो पर प्रदान की जाती है :-

1. शोध स्वयं के खर्चे पर ही करनी होगी।
2. शोध करने के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रार्थी के द्वारा सर्वेक्षण/प्रयोग करने के लिए नियमानुसार स्वयं का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते विद्यालय/कार्यालय व्यवस्था में विपरीत प्रभाव न पड़े।
3. शोध कार्य के दौरान कर्त्तव्य निर्वहन में विपरीत प्रभाव पड़ने पर अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।
4. अनुज्ञा दिनांक से एक वर्ष की अवधि में यदि शोध हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में पंजीयन नहीं होता है तो अनुज्ञा स्वत: ही निरस्त मानी जायेगी।
5. पाठ्यक्रम की वैधता/मान्यता नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा।
6. शोध उपाधि प्रदत्त होने पर शोध सारांश एवं उपाधि की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
7. यह अनुज्ञा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए) न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम-2009' का संबंधित विश्वविद्यालय एवं कार्मिक द्वारा पालन किये जाने के अध्यधीन जारी की जा रही है।

हस्ताक्षर मय नाम व मोहर
(नियुक्ति अधिकारी)

क्रमांक.....दिनांक.....

16. वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन भरने व भिजवाने सम्बन्धी निर्देश

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● परिपत्र ● वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन भरने व भिजवाने सम्बन्धी निर्देश।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के समय एवं ए.सी.पी. हेतु बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के कारण संबंधित कार्मिकों के नाम पात्रता सूची में शामिल होने से छूट जाते है एवं कार्मिकों को मिलने वाले आर्थिक लाभ से भी वंचित रहना पड़ता है। उक्त के क्रम में

समय-समय पर संबंधित कार्यालयों को निर्देश जारी कर बकाया लोक सेवकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है ताकि कार्यों का निस्तारण हो सके। राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु निम्नानुसार समय सारिणी व प्रक्रिया तय की गयी है-

क्रं. सं.	प्रतिवेदन कार्यवाही (वा.का. मू.)	नियत तिथि	
		कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों के लिए (शिक्षक वर्ग सहित)	विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों के लिए (मंत्रालयिक कर्मचारी को छोड़कर)
1.	लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत करना।	10 अप्रेल	15 अगस्त
2.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी अंकित करना।	10 मई	15 सितम्बर
3.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करना।	15 मई	20 सितम्बर
4.	समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित कर कार्यालय को संधारण हेतु भिजवाना।	15 जून	20 अक्टूबर

उक्त के क्रम में फिल्ड स्तर पर निम्नांकित तथ्य दृष्टिगत होते है-

1. लोक सेवकों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरकर संबंधित कार्यालय/विद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
2. संबंधित विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भिजवाकर रसीद प्राप्त नहीं की जाती है।
3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वयं के कार्यालय में कार्यरत लोकसेवक एवं विद्यालयों से संबंधित अध्यापकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर आवश्यक इन्द्राज कर उपनिदेशक कार्यालय को भिजवाने का कार्य आमतौर पर लम्बित व अव्यवस्थित रहता है।
4. जिन प्रकरणों में उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा /जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशालय को वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भिजवाकर रसीद प्राप्त नहीं की जाती है या कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन टुकड़ों (आंशिक लोकसेवकों के) में भिजवाये जाते है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्देशों को कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए जाते है:-

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 13(48) कार्मिक (क-1)/गोप्र77 दिनांक 16-7-80 एवं एफ13(51)कार्मिक/ए-1/एसीआर/08 दिनांक 05.06.2008 में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्धारित तिथि तक प्रतिवेदक द्वारा प्रतिवेदन के भाग-1 की पूर्ति कर समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रतिवेदक अधिकारी निर्धारित तिथि पश्चात अपने स्तर से ही कार्यालय अभिलेख से भाग-। की पूर्ति कर सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी को भिजवाये तथा संबंधित लोक सेवक को वाकामू. प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में सूचना पत्र जारी कर देवें।
2. वाकामू. प्रतिवेदन उच्च अधिकारी को भेजने से पूर्व सम्बन्धित संधारण रजिस्टर में प्रत्येक संवर्ग व पदवार इन्द्राज अवश्य किया जावे।
3. सेवानिवृत्त होने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उनके अधीन कार्यरत लोकसेवक, जिसने कम से कम तीन माह तक कार्य किया हुआ हो, उनका वाकामू. प्रतिवेदन अवश्य भरें अन्यथा उनको अदेय प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो सकेगा।
4. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-14(29) कार्मिक/एसीआर/73 दिनांक 16.7.1985 के अनुसार तीन वर्ष से पूर्व के वाकामू. स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा कार्यालय अभिलेख के आधार पर (कार्यालय स्तर पर) तैयार कर भिजवाया जाये। इस प्रकार के प्रतिवेदनों में समग्र मूल्यांकन संतोषप्रद से ऊपर की श्रेणी का नहीं भरा जावे।
5. वाकामू. के प्रत्येक पृष्ठ पर लोक सेवक के लघु हस्ताक्षर, संबंधित वर्ष एवं अचल सम्पत्ति का विवरण आवश्यक रूप से भरना सुनिश्चित किया जावे। जो कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है उन्हें अपने वाकामू में शिक्षा विभाग के मूल पद का अंकन करना आवश्यक है ताकि संबंधित डोजियर में शामिल हो सके।
6. पाते वेतन पर कार्यरत लोक सेवक के लिए मूल स्थायी पद व विषय का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक होगा।
7. प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी द्वारा वाकामू. के संबंधित भाग की पूर्ति में हस्ताक्षर करने के साथ-साथ अपना स्वयं का नाम, पदनाम व कार्यालय मोहर का आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाये।
8. जिन वाकामू. प्रतिवेदनों में जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त (जो लागू हो) की टिप्पणी अपेक्षित है, टिप्पणी के बाद ही वाकामू. प्रतिवेदन समीक्षक अधिकारी को प्रेषित किये जा सकेंगे। समीक्षक अधिकारी इसकी सुनिश्चितता करेंगे।
9. शिक्षा विभाग में संस्था प्रधानों/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक का परीक्षा परिणाम ही मुख्य उपलब्धि की श्रेणी में आने से संबंधित के वाकामू. में परीक्षा परिणाम की प्रति अवश्य संलग्न की जाये।
10. मण्डल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर संधारित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। संधारित रजिस्टर की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर निदेशालय/मण्डल स्तर पर (जो भी लागू हो) का अवलोकन किये जाने की सुनिश्चितता की जायेगी।
11. 10 अप्रैल 2015 तक बकाया वाकामू. प्रतिवेदन विषयवार सूचीबद्ध कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा दोषी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/विविध/डी-।।/ए/13-14 दिनांक : 24 मार्च 2015

17. वार्षिक योजना 2015-16 के आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा बैठकों के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-मा/योजना-4/23806/2015-16/ दिनांक : 14.5.2015 ● परिपत्र ● विषय : वार्षिक योजना 2015-16 के आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा बैठकों के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।

प्रत्येक वर्ष की भांति वार्षिक योजना 2015-16 से सम्बन्धित योजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धियां अर्जित करने हेतु योजनागत आवंटन की प्रगति का नियमित एवं प्रभावी पर्यवेक्षण आवश्यक है। इस संबंध में निम्न दिशा-निर्देश की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे :-

1. अपने क्षेत्राधीन कार्यालयों/विद्यालयों के आप नियंत्रक होने के कारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत आपका यह दायित्व है कि आवंटित बजट के विरुद्ध वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित हो।
2. प्रत्येक माह का मासिक/त्रैमासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जिला कार्यालयों से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर संकलित सूचना 08 तारीख तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाएंगे।
3. यदि स्वीकृत/आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय में कमी अथवा आधिक्य हो तो तत्काल उचित कार्यवाही करावें तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा समय-समय पर आप स्वयं व्यक्तिगत ध्यान देकर करावें।
4. वर्ष 2015-16 के लिए राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रावधान के शत प्रतिशत उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु अभी से आवश्यक कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जानी है। अतः इसे आप गम्भीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।
5. मण्डल अधिकारी स्वयं आयोजना/केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय की समीक्षा में लेखाकार्मिक को शामिल करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों से व्यय की समीक्षा करने के पश्चात निदेशालय में समीक्षा करवाएंगे।
6. यह सुनिश्चित करें कि समीक्षा बैठक में व्यय संबंधी संकलित सूचनाएँ पूर्ण एवं IFMS से मिलान शुदा प्रस्तुत की जावें। समीक्षा में उपनिदेशक कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं उपस्थित होंगे।
7. उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पृथक से आयोजना की मॉनिटरिंग हेतु पृथक से प्रकोष्ठ का गठन किया जावे एवं इनके प्रबोधन का दायित्व उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत सहायक निदेशक/अति. जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपते हुए उन्हें आयोजना/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की सूचना (भौतिक एवं वित्तीय) भिजवाने हेतु अधिकृत कर पालना से अवगत करावें।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें ताकि वार्षिक योजना 2015-16 का कियान्वयन सूचारू रूप से हो सके तथा योजना में वर्णित सम्पूर्ण उद्देश्य एवं लक्ष्य समय पर प्राप्त किये जा सकें।

संलग्न : मासिक प्रगति एवं त्रैमासिक समीक्षा प्रारूप।

● (सुवालाल) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

जिले का नाम.....

आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मासिक प्रगति विवरण का प्रारूप

माह.....

राशि लाखों में

क्र. सं.	योजना का नाम	आवंटित राशि	कुल व्यय राशि	लाभान्वितों की संख्या
1	2	3	4	5
1	माध्यमिक शिक्षा का कम्प्यूटराईजेशन			
2	वाहन/जीप किराया			
3	गार्गी पुरस्कार			
4	कस्तूरबा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को बैंक एफ.डी.			
5	जिला कम्प्यूटर केन्द्र			
6	अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8			
7	अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10			
8	अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8			
9	अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10			
10	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति			
11	कारगिल युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति			
12	अल्प संख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति			
13	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार के छात्र/छात्राओं को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति			
14	बालिका छात्रावासों का संचालन			
15	बालकों के विद्यालय 2202-02-109-01-00			
16	बालकों के विद्यालय 2202-02-789-01-01			
17	बालकों के विद्यालय 2202-02-796-02-01			

18	बालिकाओं के विद्यालय 2202-02-109-02-00			
19	बालिकाओं के विद्यालय 2202-02-796-02-02			
20	आई.सी.टी. प्रथम चरण			
21	आई.सी.टी. द्वितीय चरण			
22	आई.सी.टी. तृतीय चरण			
23	आई.सी.टी. चतुर्थ चरण			
24	बालिकाओं को साईकिल का वितरण			
25	बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा			
26	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम			
27	राज्य प्रतिभा खोज कार्यक्रम			
28	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना			
29	सांस्कृतिक एवं शैक्षिक भ्रमण			
30	रमसा अन्तर्गत वेतन 2202-02-109-07-01 (01)			
31	रमसा अन्तर्गत वेतन 2202-02-109-07-02 (01)			
32	रमसा अन्तर्गत वेतन 2202-02-109-07-03 (01)			
33	लेपटॉप का वितरण			
34	विद्यार्थी पुलिस केडेट योजना			
35	खेल उपकरण एवं खेल मैदानों का विकास			
36	राज्य स्तरीय मंत्रालयिक खेलकूद प्रतियोगिता			
37	देवनारायण योजना			

नोट-कार्यालयों/विद्यालयों का विवरण मदवार यथा संवेतन, यात्रा व्यय, चिकित्सा, कार्यालय व्यय, पुस्तकालय, वर्दी, प्रयोगशाला एवं खेलकूद में आवंटित राशि विरुद्ध हुए व्यय की सूचना भी साथ लावें। जो स्कीम लागू न हो उसे छोड़ दें। लाभान्वितों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज की जानी है। (प्रपत्र प्रत्येक माह की 8 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।) समस्त उप निदेशकों द्वारा उक्त प्रपत्र जिलेवार प्रस्तुत किया जावेगा।

Format-A

कार्यालय का नाम.....

बजट मद..... माह.....

क्र. सं.	ऑफिस आईडी	विद्यालय का नाम	गत माह तक व्यय	वेतन	यात्रा	चिकित्सा	कार्यालय व्यय	विविध व्यय	पुस्तकालय	खेलकूद	प्रयोगशाला	वर्दी	इस माह का कुल व्यय	महा योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट-उक्त व्यय विवरण बजट मदवार (छात्र, छात्रा एसपी, टीएसपी, रमसा आदि) अलग-अलग प्रस्तुत किये जाने है।

Format-B

कार्यालय का नाम.....

बालकों के विद्यालय

क्रम सं.	जिला	बजट मद- 2202-02-109-01-00 (सामान्य) बालक			बजट मद- 2202-02-789-01-01 (एससीएसपी) बालक			बजट मद- 2202-02-796-02-01 (टीएसपी) बालक			कुल योग (कॉलम संख्या 3, 4, 5 का योग)		
		इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय	इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय	इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय	इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय
1	2	3			4			5			6		

Format-C

बालिका विद्यालय

क्रम सं.	जिला	बजट मद- 2202-02-109-02-00 (सामान्य) बालक			बजट मद- 2202-02-789-02-02 (टीएसपी) बालिका			कुल योग (कॉलम संख्या 3, 4, 5 का योग)					
		इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय	इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय	इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय			
1	2	3			4			5					

Format-D

कार्यालय का नाम.....

रमसा अन्तर्गत वेतन

क्रम सं.	जिला	बजट मद- 2202-02-109-07-01 (01)			बजट मद- 2202-02-109-07-02 (01)			बजट मद- 2202-02-109-07-03 (01)			कुल योग (कॉलम संख्या 3, 4, 5 का योग)		
		इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय	इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय	इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय	इस माह का योग	गत माह का योग	कुल योग व्यय
1	2	3			4			5			6		

नोट- B से D प्रपत्र उप निदेशक कार्यालयों द्वारा भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

Format-D

कार्यालय का नाम.....

बजट मद..... माह.....

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य			प्रधानाध्यापक			व्याख्याता			व.अ.			प्र.शा.स.-III			व. लिपिक			क. लिपिक			च.श्रे.क.			योग पद		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त

नोट-उक्त प्रपत्र त्रैमासिक समीक्षा के समय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार/बजटमदवार (रमसा सहित) अलग-अलग तथा उप निदेशक द्वारा जिलेवार मदवार समेकित प्रस्तुत किया जावेगा।

18. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● परिपत्र ● वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण, जो कि अभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों द्वारा दिया जाता है, को प्रोत्साहित एवं त्वरित करना आवश्यक हो गया है। अभी जिन विद्यार्थियों ने तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालयों में प्रवेश पाने का अवसर नहीं मिल रहा है। यह उनकी शिक्षा को जारी रखने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक: प.3(2) शिक्षा-6/2015 जयपुर, दिनांक: 04.05.15 द्वारा कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

कौशल प्रशिक्षण के संबलन के लिए तथा कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अन्तराल को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों को कक्षा-10वीं एवं 12वीं के साथ निम्नानुसार समकक्षता प्रदान करने का निर्णय लिया है:-

कक्षा 10वीं की समकक्षता हेतु:-

1. कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का National Council for Vocational Training (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से कक्षा 10 के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।
2. कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष के National Council for Vocational Training (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में कक्षा 10वीं के निर्धारित अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा हेतु प्रवेश ले सकते हैं।

उपरोक्त दोनों विषय (अंग्रेजी व हिन्दी) की परीक्षा तथा आई.टी.आई. की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही विद्यार्थी को कक्षा 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी, जब अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आई.टी.आई. के उत्तीर्णता वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई हो।

कक्षा 12वीं की समकक्षता हेतु:-

1. कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का National Council for Vocational Training (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है। तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।
2. कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष के National Council for Vocational Training (NCVT) से

मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में कक्षा 12वीं के अंग्रेजी विषय हेतु निर्धारित कोर्स की परीक्षा हेतु प्रवेश ले सकते है।

उपरोक्त अंग्रेजी विषय की परीक्षा तथा आई.टी.आई. की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरांत ही विद्यार्थी को 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी, जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की गई हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. उत्तीर्ण करने के पश्चात उत्तीर्ण की गई है।

3. कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज से तीन वर्ष का National Council for Vocational Training (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों को आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।

(सुवालाल) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-ब/22917/2010-11/232-33 दिनांक : 08.6.2015

19. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों/वाचनालयों हेतु।

● कार्यालय उप निदेशक समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● आदेश ● राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों/वाचनालयों हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों की अभिरुचि एवं पुस्तकालय से सम्बद्धता के अनुरूप पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिए विद्यालय में उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को नियमानुसार क्रय करने की सहमति प्रदान की जाती है:-

क्रं. सं.	पत्रिका का नाम	प्रकाशक का नाम एवं पता
1	'आधुनिक भारत के निर्माता डॉ केशव बलिराम हेडगेवार' (हिन्दी संस्करण)	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली-110003

उप निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ● क्रमांक : उनि/सशि/पत्र-पत्रिका/राज्य निर्देश/एफ-2005/2014-15/232 दिनांक : 18.05.2015

20. सत्र 2015-16 में निजी विद्यालयों को मान्यता कार्यक्रम के संबंध में।

● राजस्थान सरकार ● स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग ● क्रमांक : पं. 9 (2)शिक्षा-5/मान्यता(प्रा.)/2015 जयपुर, दिनांक 28.4.15 ● निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। ● विषय:- सत्र 2015-16 में निजी विद्यालयों को मान्यता कार्यक्रम के संबंध में। ● सन्दर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 13.4.2015

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि सत्र 2015-16 में निजी विद्यालयों को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता/क्रमोन्नति हेतु आवेदन करने की तिथि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है:-

क्र. सं.	विवरण	पूर्व पत्र दिनांक 13.4.15 के अनुसार निर्धारित तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
1.	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को प्रस्तुत करना।	30 अप्रैल 2015	31 मई, 2015
2.	निरीक्षण उपरांत मान्यता जारी करने की अन्तिम तिथि	शैक्षणिक सत्र पर्यन्त	शैक्षणिक सत्र पर्यन्त

शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेगी। अत: उपरोक्तानुसार राज्य के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।

शासन उप सचिव ● क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी-एफ/19626/ मूल मान्यता/15-16/ दिनांक: 05.05.15

21. विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा फार्म भरवाते समय कोड भली-भांति जांच कर भरवाने के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स-।/इप्रिपु/2011-12 दिनांक : 4.6.2015 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) ● विषय : विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा फार्म भरवाते समय कोड भली-भांति जांच कर भरवाने के संबंध में। ● प्रसंग : राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.17(13) शिक्षा-1/2008 जयपुर दिनांक 28.5.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार ने कठोरतापूर्वक निर्देश दिये है कि माध्यमिक/उमावि/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा आवेदन फार्म भरवाते समय संस्था प्रधान कोड नम्बर की भली भांति जांच कर ही विद्यार्थियों के आवेदन पत्र मा.शि. बोर्ड कार्यालय को भिजवायें, इसके पश्चात किसी प्रकार की कोई गलती पाये जाने पर संस्था प्रधानों का उत्तरदायित्व होगा।

अत: इसकी कठोरता से पालना करने हेतु अपने अधीन समस्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित करें। जारी निर्देश की प्रति से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

(सुवालाल), निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

22. करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति वर्ष 2015–16 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा/छा.प्रो.प्र./करगिल/विज्ञप्ति/2014–15 दिनांक : ● विज्ञप्ति ● विषय : करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति वर्ष 2015–16 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण।

विषयान्तर्गत उल्लेखित श्रेणी के राजस्थान के मूल निवासी आश्रितों को देय छात्रवृति के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के आश्रित छात्र/छात्राओं /महिलाओं को कक्षा 1 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रतिवर्ष 1800/– रूपये प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति राशि स्वीकृत की जायेगी। उपरोक्त श्रेणी के आवेदक छात्र/छात्रा को नियमित रूप से सरकारी /गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्ष 2015–16 हेतु इस योजना का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है –

1.	शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रितों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	30.07.2015
2.	संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	04.08.2015
3.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक/निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र समेकित सूचना सी.डी. सहित प्रस्तुत करने की तिथि	11.08.2015

शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रित छात्र/छात्रा अपने जिले के संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करवाकर अपने संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र का प्रपत्र–4 संलग्न है। आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलमों की पूर्ति भलि–भांति करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृति का लाभ देय नहीं होगा अथवा अन्य छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह छात्रवृति देय नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समस्त प्राप्त आवेदन पत्रो की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित प्रेषित की जावेगी। आवेदन पत्र एवं अन्य पत्रादि निदेशालय को नहीं भिजवाये जाने है उन्हें अपने कार्यालय अभिलेख में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर रिकार्ड में रखा जायेगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जायेगी।

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2015–16)

क्र. सं.	छात्र–छात्रा एवं शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम एवं पूरा पता	शहीद/सैनिक के स्थायी विकलांग होने की दिनांक	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1					
2					

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से..... तक कुल (.....) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड मे रख लिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा है। प्रति छात्र–छात्रा 1800/– रूपये छात्रवृति स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
का पद नाम मय मोहर

नोट : संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेंगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेंगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जावेंगी। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।

(सुवालाल) निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा/छा.प्रो.प्र./करगिल/विज्ञप्ति/2014–15 दिनांक :

प्रपत्र–4 "क"

(करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् दिनांक 1.4.99 एवं इसके पश्चात विभिन्न युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृति आवेदन पत्र)

1. शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक का नाम .....
.....
2. शहीद/स्थायी विकलांग होने की तारीख .....
3. रैंक/यूनिट नम्बर .....
4. शहीद/स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे।.....
.....
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें। उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावें। .....
.....
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें) .....
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है .....
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता .....

प्रति हस्ताक्षर हस्ताक्षर विद्यार्थी हस्ताक्षर अभिभावक (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)

मूल प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)..... को प्रस्तुत कर निवेदन है कि छात्र/छात्रा इस विद्यालय /संस्था की कक्षा..... ..... में शैक्षणिक वर्ष (.....) अन्तर्गत अध्ययनरत है ।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी.....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही पाया गया है तथा इसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में कर आवेदन पत्र रिकार्ड पर रख लिया गया है । संबंधित छात्र/छात्रा छात्रवृति हेतु नियमानुसार पात्र है।

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारम्भिक) मय सील

23. प्री–करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण सत्र 2015–16 हेतु।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा/छा.प्रो.प्र./प्री–करगिल/विज्ञप्ति/2014–15 दिनांक : ● विज्ञप्ति ● विषय : प्री–करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण सत्र 2015–16 हेतु।

विषयान्तर्गत उल्लेखित श्रेणी के राजस्थान के मूल निवासी आश्रितों को देय छात्रवृति के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के आश्रित छात्र/छात्राओं /महिलाओं को कक्षा 1 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रतिवर्ष 1800/– रूपये प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति राशि स्वीकृत की जायेगी। उपरोक्त श्रेणी के आवेदक छात्र/छात्रा को नियमित रूप से सरकारी /गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्ष 2015–16 हेतु इस योजना का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है –

1.	शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रितों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	30.07.2015
2.	संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	04.08.2015
3.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक/निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र समेकित सूचना सी.डी. सहित प्रस्तुत करने की तिथि	11.08.2015

शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रित छात्र/छात्रा अपने जिले के संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करवाकर अपने संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र का प्रपत्र–4 संलग्न है। आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलमों की पूर्ति भलि–भांति करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृति का लाभ देय नहीं होगा अथवा अन्य छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह छात्रवृति देय नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समस्त प्राप्त आवेदन पत्रो की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित प्रेषित की जावेगी। आवेदन पत्र एवं अन्य पत्रादि निदेशालय को नहीं भिजवाये जाने है उन्हें अपने कार्यालय अभिलेख में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर रिकार्ड में रखा जायेगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जायेगी।

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2015–16)

क्र. सं.	छात्र–छात्रा एवं शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम एवं पूरा पता	शहीद/सैनिक के स्थायी विकलांग होने की दिनांक	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1					
2					

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से..... तक कुल (.....) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड मे रख लिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा है। प्रति छात्र–छात्रा 1800/– रूपये छात्रवृति स्वीकृत करने की अभिशंसा की जाती है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
का पद नाम मय मोहर

नोट :– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेंगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेंगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जावेंगी। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।

(सुवालाल) निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा/छा.प्रो.प्र./प्री–करगिल/विज्ञप्ति/2014–15 दिनांक :

प्रपत्र–4 "क"

(प्री–करगिल (1.4.99 से पूर्व) युद्धों तथा अन्य विभिन्न

इन्सरेन्सीज काउंटरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृति आवेदन पत्र)

1. शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक का नाम.....
2. शहीद/स्थायी विकलांग होने की तारीख .....
3. रैंक/यूनिट नम्बर .....
4. शहीद/स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे।.....
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें। उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावें। .....
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें) .....
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है .....
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता.....

प्रति हस्ताक्षर हस्ताक्षर विद्यार्थी हस्ताक्षर अभिभावक (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)

मूल प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)..... को प्रस्तुत कर निवेदन है कि छात्र/छात्रा इस विद्यालय /संस्था की कक्षा .... में शैक्षणिक वर्ष (.....) अन्तर्गत अध्ययनरत है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी.....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही पाया गया है तथा इसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में कर आवेदन पत्र रिकार्ड पर रख लिया गया है । संबंधित छात्र/छात्रा छात्रवृति हेतु नियमानुसार पात्र है।

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारम्भिक) मय सील

24. भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति योजना।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./भूपूसै/विज्ञप्ति/2014–15
दिनांक : ● **विज्ञप्ति**

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति योजना अन्तर्गत सत्र **2015–16** हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। जो छात्राएं 10वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो, वे ही आवेदन की पात्र होगी।

शेष शर्तें इस प्रकार है –

1. आवेदन पत्र के साथ छात्राएं भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र /परिचय पत्र आदि विभाग को पृष्टि हेतु संलग्न करेगी।
2. (अ) आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाकर विद्यालय/संस्था को जमा कराने की दिनांक 30.07.2015

(ब) संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को आवेदन पत्र जमा कराने की दिनांक 04.08.2015

(स) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा **निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित समेकित प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रस्तुत करने की तिथि** 11.08.2015

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2015–16)

क्र. सं.	छात्रा/पिता का नाम मय पूरा पता	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1				
2				
3				

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से..... तक कुल (संख्या अंकित करें) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड मे रख लिया गया है। प्रति छात्रा 1000/–रूपये छात्रवृति स्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी
का पद नाम मय मोहर

1. राज्य के राजकीय, गैर राजकीय मान्यता प्राप्त, केन्द्रीय संगठन बोर्ड से संबंधित सभी उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षा 11 व 12 में नियमित पढ़ रही छात्राऐं ही पात्र होगी।
2. इस छात्रवृति का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा अन्य किसी छात्रवृति प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।
3. यह छात्रवृति कक्षा 11 की 250 छात्राओं तथा कक्षा 12 की 250 छात्राओं को दिये जाने का प्रावधान है परन्तु अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में मैरिट के आधार पर स्वीकृति की जावेंगी।
4. यह छात्रवृति 2 वर्ष के लिए देय होगी। कक्षा 11 में अनुर्तीर्ण होने पर दुबारा कक्षा 11 में अध्ययनरत रहते छात्रवृति देय नहीं होगी परन्तु कक्षा 11 उत्तीर्ण होने पर यह कक्षा 12 में अध्ययनरत रहते प्राप्त कर सकेगी।
5. जो छात्राएं अध्ययन वर्ष के बीच शालाएं छोड़कर जाती है उनकी छात्रवृति राशि अनुपस्थिति समय की कटौती कर भुगतान की जावेगी।
6. छात्रवृति नवीनीकरण हेतु भी आवेदन पूर्व वर्ष की भांति सभी प्रक्रियाओं की पूर्ति सहित करना होगा।
7. छात्राएं आवेदन पत्र में अपना स्थायी निवास का पता पूर्ण रूप

से लिखे ताकि उनका भुगतान यदि बकाया रहा तो शाला छोड़ने पर भी उन्हें भेजा जा सके।

संलग्न : आवेदन पत्र का प्रारूप

नोट : संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेंगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेंगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जावेंगी। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।

(सुवालाल) निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./भूपूसै/विज्ञप्ति/2014–15 दिनांक :

भूतपूर्व सैनिक की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र

1. नाम छात्रा (पूरा एवं स्पष्ट).....
2. पिता का नाम व पूरा पता.....
3. संरक्षक का नाम एवं पता .....
   (यदि पिता जीवित नहीं तो रिश्ता .....
   .....
   छात्रवृति पात्र का पता अवश्य लिखा जावें.....
   .....
4. पिता का पूरा विवरण पद.....
   संख्या.....
5. क्या जीवित है ? .....
6. विद्यालय का नाम स्थान.....
   तहसील.....जिला.....
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है .....
8. क्या डेस्कॉलर है अथवा छात्रावासी.....
9. कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम .....प्राप्तांक.....
   प्रतिशत..... (अंकतालिका संलग्न करें)
10. नवीनीकरण है तो कक्षा 10 एवं 11 की अंकतालिका संलग्न करें व कक्षा 11 का विवरण दें।
    परिणाम.....पूर्णांक.....
    प्राप्तांक.....प्रतिशत.....
11. अन्य छात्रवृति का विवरण यदि हो तो प्राप्तांक .....
    .....
    क्या अन्य दूसरे विभाग या सरकार से छात्रवृति प्राप्त कर रही है।

दिनांक..... हस्ताक्षर आवेदनकर्ता (छात्रा)

जिला संस्था प्रधान द्वारा अनुशंषा

उपरोक्त कथन सही है

कु. .....

पुत्री श्री.....रैन्क.....

इस विद्यालय की कक्षा..... की छात्रा है, छात्रा ने सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्तांक ..... प्रतिशत..... अंक प्राप्त किये है।

(अंक तालिका की प्रति संलग्न है, नवीनीकरण है जो कक्षा 10 व 11 की प्रति संलग्न करें)

दिनांक हस्ताक्षर संस्था प्रधान

मय मोहर

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी

(माध्यमिक) शिक्षा विभाग मय मोहर

क्रमांक : दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....

पद..... संख्या.....भूतपूर्व

सैनिक तथा इनकी पुत्री नाम.....

कक्षा..... में अध्ययनरत है राजस्थान स्थित ग्राम.....

.....तहसील..... जिला.....

..... के मूल निवासी है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

हस्ताक्षर मय मोहर

25. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर. के रूप में प्रोत्साहन योजना के सत्र 2015–16 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/अ/कस्तूरबा/एस.टी.डी.आर./2014–15 दिनांक ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी● (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) ● विषय : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर. के रूप में प्रोत्साहन योजना के सत्र 2015–16 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

राज्य सरकार के पत्रांक प.1 (14) शिक्षा–1/2008 दिनांक 20.10.2008 के अनुसार राज्य में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर स्नातक स्तर तक की परीक्षाऐं उत्तीर्ण करने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधी जमा रसीद (स्पेशल टर्म डिपोजिट रिसीट– S.T.D.R.) के रूप में कक्षा 10 न्यनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000/– रुपये की एस.टी.डी.आर. पांच वर्ष की अवधि के लिए देय है। कक्षा 12 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली पात्र छात्रा को 4000/– रुपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की देय है। छात्रा द्वारा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही राशि आहरित की जा सकेगी अन्यथा राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः ही हस्तान्तरित हो जाएगी। इसकी पात्रता एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

पात्रता

1. शैक्षिक सत्र 2012–13 में किसी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययन कर 8 वीं उतीर्ण कर लेने के बाद शैक्षिक सत्र 2014–15 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 10 में उत्तीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2015–16 में किसी राजकीय विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत हो।
2. शैक्षिक सत्र 2014–15 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2015–16 में किसी राजकीय/गैर राजकीय महाविद्यालय के स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षा में अध्ययनरत हो।

सामान्य शर्तें

1. छात्रा को किसी कारण से स्नातक करने से पूर्व मध्य में पढ़ाई अवरूद्ध हो जाने की स्थिति में न्यूनतम अवधि से 3 वर्ष तक की अवधि में भी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर एस.टी.डी.आर. की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात् भी यदि छात्रा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाती है तो एस.टी.डी.आर. पर राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। सभी स्नातक पाठ्यक्रम यथा अकादमिक/व्यावसायिक शिक्षा से स्नातक उत्तीर्ण, जो राजकीय अथवा गैर राजकीय, जिसमें प्राइवेट तथा दूरस्थ शिक्षा के करने पर भी योग्य होगी।
2. छात्रा द्वारा एस.टी.डी.आर. का भुगतान निर्धारित तिथि को प्राप्त नहीं करने की स्थिति में नवीनीकरण करने के लिए इसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को प्रस्तुत करनी होगी।
3. छात्रा की एस.टी.डी.आर. उसके गृह जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) द्वारा बनवायी जायेगी तथा इसके लिए वहाँ कभी भी उपस्थित होने पर छात्रा को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
4. छात्रा को एस.टी.डी.आर. बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ एक फोटो लिफाफे में डालकर संलग्न करनी होगी।
5. छात्रा को एस.टी.डी.आर. बनवाने स्वयं और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) के संयुक्त नामों से बनवाकर सुपुर्द की जायेगी।
6. छात्रा निर्धारित अवधि में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्वयं और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) के संयुक्त हस्ताक्षर होने पर ही एस.टी.डी.आर. का भुगतान प्राप्त कर सकेगी।
7. छात्रा को पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को संस्था प्रधान के माध्यम से जमा करवाना होगा।
8. छात्राओं को एस.टी.डी.आर. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा से दिनांक 23.01.2008 को जारी मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टेडिंग की शर्तों के अनुसार ही बनवाई जानी होगी।
9. समस्त छात्राओं को विवरण निम्न प्रपत्र में एस.टी.डी.आर. बनवाते समय बैंक को प्रस्तुत करना होगा–

प्रपत्र–1

क्र. सं.	छात्रा का नाम	जन्म दिनांक	पिता का नाम	माता का नाम	स्थाई निवास का पता

10. रजिस्टर में निम्नानुसर सूचनाएं संकलित करें :–

प्रपत्र–2

क्र. सं.	छात्रा का नाम	कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का नाम	जन्म दिनांक	पिता का नाम	माता का नाम	वर्ग	कक्षा 8 में प्राप्तांक प्रतिशत	कक्षा 10 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय का नाम	कक्षा 10 में प्राप्तांक प्रतिशत	कक्षा 11 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय का नाम	कक्षा 12 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय का नाम	प्रथम वर्ष में अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम	स्थाई निवास का पता	5 वर्ष की अवधिकी एस.टी.डी.आर. की राशि, नम्बर व दिनांक	3 वर्ष की अवधि की एस..टी.डी.आर. की राशि, नम्बर व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

11. समस्त छात्राओं को मूल एस.टी.डी.आर. का वितरण कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में समस्त छात्राओं के सम्मुख प्रस्तुत करें।
12. समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र के साथ मूल एस.टी.डी.आर. की फोटो प्रति संलग्न करें।
13. समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र एक साथ नत्थी कर सुरक्षित रखें तथा बाईडिंग करवा लें।
14. आवेदन पत्र की फोटो प्रतियां करवाकर छात्रा जहाँ राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं, वहां भिजवा दें तथा छात्राओं से आवेदन पत्र भरवाने हेतु उनके वर्तमान संस्था प्रधानो को भी जिम्मेदारी दी जाये।
15. समस्त कार्यवाही इस प्रकार से करें जहाँ तक हो सके कि छात्राओं को जिला मुख्यालय पर नहीं आना पड़े।
16. इस योजना की पंजिका पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में 'स्थाई पंजिका 2011–12 से 2015–16 तक' अंकित करें तथा आगामी सत्रों के लिए समस्त प्रसारित निर्देशों की फोटो प्रतियां नत्थी कर नई पंजिका प्रारम्भ करें। ध्यान रहे इस सत्र में जारी समस्त निर्देश आगामी सत्रों में भी लागू रहेगें।

इस सत्र में पात्र छात्राओं को एस.टी.डी.आर. प्रदान करने हेतु बजट आवंटन के प्रस्ताव प्रपत्र–3 में **दिनांक 25.08.2015** तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र–3

क्र. सं.	जिले का नाम	कक्षा 11 में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की संख्या	प्रति छात्रा को 2000/– रुपये की दर से कुल मांग	स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की संख्या	प्रति छात्रा को 4000/– रुपये की दर से कुल मांग	कुल मांग (कॉलम सं. 4 व 6 का योग)
1	2	3	4			

इस परिपत्र को समस्त संस्थाप्रधानों को प्रसारित करते हुए स्थानीय स्तर पर जनहित में समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। ताकि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। ● संलग्न :– आवेदन पत्र ● (सुवालाल), निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा को स्नातक स्तर की परीक्षा उतीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर. के रूप में प्रोत्साहन राशि हेतु

आवेदन पत्र

आवेदक का फोटो चिपकाए

1. छात्रा का नाम .....
2. छात्रा की जन्म तिथि .....
3. छात्रा की माता का नाम .....
4. छात्रा के पिता का नाम .....
5. स्थायी निवास का पता .....
.....
.....
6. कस्तूरबा गांधी विद्यालय का नाम जहां से कक्षा 8 उतीर्ण की गई.....
.....
7. कक्षा 8 में प्राप्तांक प्रतिशत(अंक तालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
8. राजकीय विद्यालय का नाम जहां से कक्षा 10 उतीर्ण की गई.....
.....
9. कक्षा 10 में प्राप्तांक प्रतिशत (अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
10. कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यालय का नाम.....
11. कक्षा 12 में प्राप्तांक प्रतिशत (अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
12. स्नातक पाठयक्रम में अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम.....
.....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समस्त सूचनाएं सही है। सूचनाएं अपूर्ण एवं मिथ्या पाएं जाने पर अपात्र घोषित किया जाता है तो हम स्वयं जिम्मेदार होगें।

माता/पिता के हस्ताक्षर छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा .....पुत्री श्री/श्रीमती.....सत्र ..... में इस संस्था में कक्षा ..... में अध्ययनरत है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

(कार्यालय उपयोगार्थ)

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा .....पुत्री श्री/श्रीमती.....एस.टी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु पात्र/अपात्र है। अपात्र होने का कारण यह है कि.....

हस्ताक्षर मय मुहर जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम)

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एस.टी.डी.आर. का इंद्राज

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्रा को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा .....की .....रुपये की राशि की जारी एस.टी.डी.आर. नम्बर ..... दिनांक ..... जारी कर इस कार्यालय के रजिस्टर में कमांक ..... पर इन्द्राज है।

हस्ताक्षर मय मुहर जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम)

26. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2015–16 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अ.पि.व/पूमै/विज्ञप्ति/2013–14/ दिनांक : ● 1. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर ● 2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर ● 3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) ● विषय : अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2015–16 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति के संबंध में शासन के पत्रांक प.1(14) शिक्षा–1/2004 दिनांक 25.11.2009 के अनुसार नवीन निर्देश एवं पात्रता मानदण्ड तैयार किये गये थे। इन आदेशों की पालना में आप नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यकम के अनुसार तैयार कर जि.शि.अ. (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) द्वारा निदेशालय को अलग–अलग भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्ध कार्यकम :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	05.08.2015
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	10.08.2015
3.	समेकित प्रस्ताव निदेशालय माध्यमिक को प्रस्तुत करना	25.08.2015

प्रात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं:–

A. आवेदन :

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईड www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाईड से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता/शर्तें :

1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़े वर्ग की जाति की सूची में आवेदक छात्र/छात्रा की जाति का होना अनिवार्य है।

2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 44500/– रूपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प. 13(34)राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिलता हो।
5. कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक वर्ष में C ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. छात्रवृति स्वीकृत करते समय परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय के अनुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुए छात्रवृति स्वीकृति पर विचार किया जावे।
8. छात्रवृति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि 30 प्रतिशत छात्राओं को सम्मिलित करना अनिवार्य है।
9. छात्रवृति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि **सर्वप्रथम बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जावे**, यह कार्यवाही करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार ए.पी.एल. परिवारों को शामिल किया जावे।
10. छात्रवृति के विस्तृत प्रचार–प्रसार की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाना सुनिश्चित की जावे ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ मिल सके।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु निम्नाकिंत प्राथमिकता क्रम का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे :–
    1. बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी
    2. ए.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी
    3. निशक्तः विद्यार्थी
    4. विधवा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी
    5. तलाकशुदा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी

12. **छात्रवृति दरें निम्नानुसार है :**

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र/छात्रा	6 से 8	40/– प्र.माह
2	छात्र/छात्रा	9 से 10	50/– प्र.माह

C. संलग्न दस्तावेज :

आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियां ही मान्य होगी।

1. आय प्रमाण पत्र बिन्दु संख्या B-3 के अनुसार (मूल)
2. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।
3. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार से है तो उनके कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
4. यदि आवेदक निशक्त/विधवा/तलाकशुदा महिला के पुत्र–पुत्री/विधवा महिला के पुत्र/पुत्री श्रेणी से संबंधित है तो संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का लेखा–जोखा संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में संधारित कर कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाये। रजिस्टर में प्रविष्टि का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। आवेदन पत्र की गहनता से जाँच की जाए एवं जांच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही उपरोक्त मानदण्ड/शर्तें एवं प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृति स्वीकृति की कार्यवाही की जाए तथा मांग राशि के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित **प्रपत्र 'अ'** में मय प्रमाण–पत्र के हार्ड कॉपी सहित वाहक स्तर पर **दिनांक 25.08.2015** तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएगें।

नोट : राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5) शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें तथा राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

संलग्न :– प्रपत्र 'अ', 'ब', व आवेदन पत्र ● (सुवालाल) निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रपत्र–अ

पूर्व मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने हेतु

क्र. सं.	जिला	कक्षा 6 से 8			चाही गयी राशि (कुल छात्र/छात्रा संख्या x 400/–)	कक्षा 9 से 10			चाही गयी राशि (कुल छात्र / छात्रा संख्या x 500/–)	कुल मांग (कॉलम संख्या 6 एवं 10 का योग)
		छात्र	छात्रा	योग		छात्र	छात्रा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाण–पत्र

"यह प्रमाणित किया जाता है कि योजना मे वर्णित शर्तो के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है"।

हस्ताक्षर
जि.शि.अ.

प्रपत्र–ब

पूर्व मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति की सूचियां कार्यालय रिकोर्ड में संधारित रखने हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये)	माता/पिता/संरक्षक की वार्षिक आय	अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति	माता/पिता/संरक्षक की श्रेणी (बीपीएल/एपीएल/निशक्त/विधवा/ तलाकशुदा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का आवेदन पत्र

सत्र 2015–2016

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो

1. छात्र/छात्रा का नाम : .....
2. जन्मतिथि (अंको में) : .....
   (शब्दो में) : .....
3. पिता का नामः .....
4. माता का नामः .....
5. निवासी : (1) राजस्थान
   (2) जिले का नाम.....
6. अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति का नाम : .....
7. माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय (गत सत्र की वार्षिक आय भरें) : .....
8. माता–पिता/संरक्षक की श्रेणी :
   1. बीपीएल 2. निःशक्त
   3. विधवा 4. तलाकशुदा
9. माता–पिता/संरक्षक आयकरदाता : है / नहीं
10. गत उत्तीर्ण की गई कक्षा : .....
    1. गत उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक :

कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत या ग्रेड

वर्तमान कक्षा में अनुतीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र छात्रवृति पाने के लिए अपात्र होगें।

12. गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम एवं पूरा पता : .....
13. स्थायी पता :–
    छात्र/छात्रा का नाम : .....
    गांव.....पोस्ट.....
    वाया.....जिला.....
    फोन नं. मय STD कोड.....
    मोबाईल नं.....

माता–पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :–

योजना संबंधी सभी नियमों /निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा प्रदत तथ्यों (संलग्न दस्तावेजो) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर **छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर**

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ..... पुत्र/पुत्री ..... के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पूर्ण जांच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमे अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा को सत्र 2014–15 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

27. विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के प्रस्ताव वर्ष 2015–16

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./स–I/60133/वि.पि.वर्ग/पूमै/2015–16 दिनांक : ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) ● विषय : विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के प्रस्ताव वर्ष 2015–16

समयबद्ध कार्यक्रम :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	30.07.2015
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	04.08.2015
3.	जि.शि.अ. द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना	11.08.2015

1. योजना/पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार है :

1. विशेष पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्य विशेष पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में विशेष पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत **(1. बंजारा, बालदिया, लावाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) जातियां शामिल है।**
2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000(दो लाख) रूपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प.13(34)राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

2. छात्रवृति दरें निम्नानुसार है :–

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/– प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/– प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/– प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/– प्र.माह

3. संलग्न दस्तावेज :–

आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की मूल/सत्यापित फोटो प्रतियां ही मान्य होगी।

1. आय प्रमाण–पत्र बिन्दु **संख्या B-3** के अनुसार (मूल)
2. जाति प्रमाण–पत्र
3. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।
4. आवेदन पत्र प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न : प्रपत्र 'अ' व 'ब', आवेदन पत्र ● निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो. प./द/वि.पि.व./पूमै/विज्ञप्ति/2013–14 दिनांक :

प्रपत्र–अ

(विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्रवृति की सूचियां जि.शि.अ. कार्यालय रिकार्ड में संधारित रखने का प्रपत्र)

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये)	माता / पिता / संरक्षक की वार्षिक आय	विशेष पिछड़ा वर्ग में जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र – ब

(मांग राशि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र)

क्र. सं.	जिला	कक्षा 6 से 8			चाही गई राशि	कक्षा 9 से 10			चाही गई राशि	कुल मांग (कॉलम 6 व 10 का योग)
		छात्र	छात्रा	योग		छात्र	छात्रा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाण–पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि योजना मे वर्णित शर्तो के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर

जि.शि.अ (माध्य.)

राजस्थान सरकार

विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा,बालदिया,लावाना/गाडिया लोहार, गाडोलिया/गुजर,गुर्जर/राईका,रेबारी,देबासी)

आवेदन–पत्र

(सत्र 2015–2016 की छात्रवृति हेतु)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जाति ..... उपजाति .....
3. पिता का नाम व व्यवसाय .....
4. परिवार की कुल वार्षिक आय .....

आवेदक अपना फोटो चिपकाएं

5. प्रार्थी का निवास स्थान ..... ग्राम .....
पोस्ट ..... तहसील .....
6. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
(अ) शाला का नाम .....
स्थान.....
(ब) पोस्ट ऑफिस .....तहसील.....
जिला .....
7. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि .....
8. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :–
स्कूल का नाम .....
स्थान.....
9. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है .....
.....
10. परीक्षा फल .....उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण .....
.....

गत परीक्षा में अंको का विवरण

क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1			
2			
3			
4			

कक्षा में स्थान .....श्रेणी.....
योग .....प्राप्तांक.....

11. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :–
(अ) कहां से मिलती है.....
(ब) कितनी मिलती है .....
(स) दर .....
(द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त .....

माता–पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :– योजना संबंधी सभी नियमों / निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा प्रदत तथ्यों (संलग्न दस्तावेजो) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र

1. मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
2. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
3. छात्र/छात्रा समाज कल्याण विभाग या राजकीय या स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नही रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण–पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा की जाति .....
..... है जो विशेष पिछड़ी जाति की गणना में आती है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को .....
रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह ..... से .....
.तक की छात्रवृति के कुल .....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार
पद (मय सील सहित)

.....

नोट :– जाति के कॉलम नं. 2 बंजारा, बालदिया, लावाना/गाडिया लोहार, गाडोलिया/गुजर, गुर्जर/राईका, रेबारी, देबासी आदि लिखना अत्यन्त आवश्यक है तथा राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें।

28. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/द/एस.सी.एस.टी/पूमै/2013–14 दिनांक : ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) ● विषय : कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति के संबंध में नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्व कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.08.2015 तक आवश्यक रुप भिजवाना सुनिश्चित करें।

1. योग्य पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार है :–

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो।
2. छात्र/छात्राऐं राजकीय विद्यालय अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक आयकर दाता न हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक

स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।

5. छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुर्त्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

2. छात्रवृति दरें निम्नानुसार है :

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/– प्र.माह(SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/– प्र.माह(SC व ST दोनों के लिए)

नोटः कक्षा 9 व 10 हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. प्रस्ताव के संबंध में समयबद्व कार्यकम निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	05.08.2015
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	10.08.2015
3.	जि.शि.अ.(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) द्वारा अलग–अलग प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना	25.08.2015

राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 की सुनिश्चित पालना करते हुए अधिनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द किया जावे कि विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें। छात्र/छात्राओं को देय पात्रता अनुसार छात्रवृति के आवेदन पत्र भरने हेतु स्थानीय स्तर पर निःशुल्क जन हितार्थ प्रकाशन द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाना सुनिश्चित करें तथा संस्था प्रधानों को भी पाबन्द करें कि अभिभावकों को छात्रवृति की जानकारी हेतु आवेदन पत्र विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे।

4. (i) राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें।

(ii) नवीन प्रवेशार्थी पात्र छात्र/छात्राओं से प्रवेश के साथ ही आवेदन पत्र भरवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई पात्र छात्र/छात्रा इस छात्रवृति से वंचित रहता है तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

(iii) आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाये। बैंक खाते को आधार कार्ड/भामाशाह लिंक कराने का भी प्रयास सुनिश्चित किया जाये। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंक खाता खुलवाने का अभिभावक प्रयास को भी उपयोग में ले सकेगें

(iv) आवेदन पत्र प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्न : प्रपत्र एवं आवेदन पत्र

(सुवालाल), निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु प्रस्ताव

प्रपत्र

क्र. सं.	योजना का नाम	कक्षा 6 से 8				कक्षा 9 से 10				कुल मांग (कॉलम 6 व 10 का योग)
		छात्र/छात्रा	दर (प्रतिमाह)	संख्या	राशि (10 माह हेतु)	छात्र/छात्रा	दर (प्रतिमाह)	संख्या	राशि (10 माह हेतु)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अनुसूचित जाति	छात्र	75/–			छात्र	80/–	अनुसूचित जाति व जनजाति के कक्षा 9 व 10 के समस्त छात्र–छात्राओं के प्रस्ताव अलग से तैयार कर केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत भिजवाये जाने है। इस योजना में सम्मिलित नहीं करने है।		
		छात्रा	125/–			छात्रा	140/–			
2.	अनुसूचित जनजाति	छात्र	75/–			छात्र	80/–			
		छात्रा	125/–			छात्रा	140/–			

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि योजना में वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र–छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। कोई भी छात्र–छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक

राजस्थान सरकार

अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृति

आवेदन–पत्र

(सत्र 2015–2016 की छात्रवृति हेतु)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जाति ..... उपजाति .....
3. पिता का नाम व व्यवसाय .....
4. परिवार की कुल वार्षिक आय .....
5. प्रार्थी का निवास स्थान ..... ग्राम ..... पोस्ट ..... तहसील .....
6. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
   (अ) शाला का नाम ..... स्थान.....
   (ब) पोस्ट ऑफिस .....तहसील..... जिला .....
   कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है ....
   वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि ....
   पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :– स्कूल का नाम ..... स्थान..... पोस्ट ऑफिस.....
7. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है.....
8. परीक्षा फल .....उत्तीर्ण ..... अनुत्तीर्ण .....

गत परीक्षा में अंको/ग्रेड का विवरण

क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड
1			
2			
3			
4			

कक्षा में स्थान .....श्रेणी..... योग . .....प्राप्तांक.....

9. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :–
   (अ) कहां से मिलती है.....
   (ब) कितनी मिलती है .....
   (स) दर .....
   (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त .....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र

1. मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
2. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
3. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नही रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

(मोहर सहित)

संबंधित सरपंच, पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण–पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा की जाति .... है जो अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जाति/विमुक्त जाति/धुमक्कड़ जाति की गणना में आती है।
2. इनके परिवार की वार्षिक आय ..... .है।

हस्ताक्षर

पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को ..... रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह ..... से ..... तक की छात्रवृति के कुल .....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार

पद (मय सील सहित)

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं.19(5) शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाह्य नहीं किया जावे तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4.3(29) शिक्षा 6/2014 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

29. "सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृति की योजना" के तहत सत्र 2015–16 के छात्रवृति प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अस्वच्छ छात्रवृति/2011–12 दिनांक : ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) ● विषय : "सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृति की योजना" के तहत सत्र 2015–16 के छात्रवृति प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ. 9(4)()छात्र/अस्व./सा.न्या.अ.वि/11–12 /32594–95 दिनांक 24.04.12 एवं भारत सरकार के पत्र कमांक 11017/05/2012–SCD-V दिनांक 04.04.12 के अनुसार इस पत्र के साथ **संलग्न प्रपत्र–I/II** में सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति के वर्ष 2015–16 के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने है। भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दरें/दिशा–निर्देशों की प्रति आपको पत्र कमांक शिविरा–माध्य/अनु/छात्रवृति/उमै/अस्वच्छ /25210/09–10 दिनांक 01.07.09 के द्वारा पूर्व में भिजवाई जा चुकी है।

उक्त छात्रवृति हेतु गत वर्ष की भांति इस वर्ष 2015–16

के प्रस्ताव संलग्न PART-II में तथा वर्ष 2014–15 में हुए वास्तविक व्यय की सूचना PART-I में छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को निम्न तिथि क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें :

आप अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यकम के अनुसार तैयार कर जि.शि.अ (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) द्वारा अलग–अलग निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्ध कार्यकम

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	05.08.2015
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	10.08.2015
3.	वर्ष 2015–16 के लिए पात्र छात्र–छात्राओं की मांग राशि के प्रस्ताव (प्रपत्र–II में)	25.08.2015
4.	वर्ष 2014–15 में हुए वास्तविक व्यय की सूचना (प्रपत्र–I में)	

पुनः निर्देशित किया जाता है कि संशोधित दिशा–निर्देश एवं निर्धारित दरों के अनुसार आपके जिले के समेकित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में निर्धारित तिथि तक वाहक के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार को समेकित प्रस्ताव भिजवाये जा सके व प्रपत्र–ब में सूचना कार्यालय रिकार्ड में संधारित करें।

सूचना के अभाव में आपकी मांग को प्रस्ताव में शामिल नही किया जा सकेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

नोट :–राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें तथा राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

(सुवालाल), निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रपत्र–ब

"सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृति की योजना"की सूचियां कार्यालय रिकोर्ड में संधारित रखने हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये)	अस्वच्छ कार्य का पूर्ण विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	10

PART-I

CENTRALLY SPONSORED SCHEME OF PRE MATRIC SCHOLARSHIP TO THE CHILDREN OF THOSE ENGAGED IN UNCLEAN OCCUPATIONS

POSITION FROM 2014-15

A. Actual Physical Coverage :

1. Number of Government recognized scholars/ institutions in which Pre Matric Scholarship Scheme was implemented during 2014-15.
2. Total number of hostels where the hostellers were staying during 2014-2015
   a) Government Hostels
   b) Other Govt. recognized and deemed hostels
   c) Rented Premises Utilized as recognized hostels

   Total (a) to (c) =
3. Total number of hostellers (Class III to X) covered under the Scheme during 2012-13 Classes

	III-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				III-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

4. Total number of day scholars (Class I to X) covered under the Scheme during 2014-15 Classes :

	I-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				I-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

B. FINANCIAL ASPECTS

(Rs. in Lakhs)

I HOSTELLERS

(a) On Scholarships

(i) Classes III to X @ Rs. 700/- per month =

(ii) Adhoc grand of Rs. 1000/- per annum =

(iii) Total Classes III to X =

(b) On Other Items

(i) Number of buildings rented for use as Hostels, other than Govt. hostels =

(ii) Total amount of rent for these rented building =

(iii) Salary of full time hostel warden/ honorarium or extra remuneration to the school teacher if appointed as hostel warden =

(iv) Total = (i) to (iii) =

Total Expenditure on Hostellers (a)+(b) =

II DAY SCHCOLARS

(i) Classes III to X @ Rs. 110/- per month =

(ii) Adhoc grant or Rs. 750/- per annum =

(iii) Total Classes III to X =

III Total Expenditure under the Scheme during 2014-2015 (1+2)

1. Expenditure on arrears for 2014-2015 (if any) =
2. Total expenditure during 2014-2015 (including arrears for 2013-2014 (cl. 3+4)

Certified that the expenditure figures furnished above confirm to the actual payments as per regulations governing toward of Pre-Metric Scholarship to the children of those engaged in unclean occupations, as application w.e.f. 1.4.2008

Name & Designation of
the Competent Authority

PART-II

PROPOSAL FOR 2015-16

A. Physical Coverage's :

1. Total number of hostels where the hostellers were staying during 2015-2016
   a) Government Hostels =
   b) Other Govt. recognized and deemed hostels =
   c) Rented Premises Utilized as recognized hostels =
   Total (a) to (c) =
2. Class wise Number of Hostellers

Classes

	III-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				III-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

3. Class wise number of **DAY SCHOLARS**

Classes

	I-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				I-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

B. FINANCIAL ASPECTS (Rs. in Lakhs)

Anticipated Expenditure during 2015-2016

1 HOSTELLERS

(a) On Scholarships

(i) Classes III to X @ Rs. 700/- per month =

(ii) Adhoc grand of Rs. 1000/- per annum =

(iii) Total Classes III to X =

2 On Other Items

(i) Number of buildings rented for use as Hostels, other than Govt. hostels =

(ii) Total amount of rent for these rented building =

(iii) Salary of full time hostel warden/honorarium or extra remuneration to the school teacher if appointed as hostel warden =

(iv) Total = (i) to (iii) =

Total Expenditure on Hostellers (a)+(b) =

II DAY SCHCOLARS

(i) Classes III to X @ Rs. 110/- per month =

(ii) Adhoc grant or Rs. 750/- per annum =

(iii) Total Classes I to X =

III HOSTELLERS + DAY SCHOLARS

(i) Total Expenditure under the Scheme during 2015-2016 (1+2) =

(ii) Expenditure on arrears for 2014-2015 (if any) =

(iii) Total expenditure during 2015-2016 (including arrears for 2014-2015 (cl. 3+4) =

(iv) Committed Liability i.e. Total actual expenditure reached at the end of Xth Plan (2006-2007) =

(v) Amount of State/UT Budget provision towards Committed liability requirement =

(vi) Central Assistance due during 2014-15 (iii)+(iv) =
(vii) Central Assistance already received during 2013-2014 if any, =
(viii) Unspent central assistance at the end of 2014-15/ Arrears due =
(ix) Net Central Assistance required during 2015-16 {(vi)-(vii)-(viii)} =

Name & Designation of the Competent Authority

राजस्थान सरकार

"सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृति योजना" हेतु

आवेदन–पत्र

(सन् 2015–2016 की छात्रवृति हेतु)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जाति ..... उपजाति .....
3. पिता का नाम व व्यवसाय .....
4. पिता के अस्वच्छ कार्य का पूर्ण विवरण .....
5. परिवार की कुल वार्षिक आय .....
6. प्रार्थी का निवास स्थान ..... ग्राम ... . पोस्ट ..... तहसील ....जिला .....
7. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।

(अ) शाला का नाम .....स्थान.....
(ब) पोस्ट ऑफिस .....तहसील..... ..... जिला .....

8. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है ....
9. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि ....
10. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :– स्कूल का नाम .... स्थान..... पोस्ट ऑफिस.....
11. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है ....
12. परीक्षा फल .....उत्तीर्ण ..... अनुत्तीर्ण .....

गत परीक्षा में अंको/ग्रेड का विवरण

क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड
1			
2			
3			
4			

कक्षा में स्थान .....श्रेणी..... योग . .....प्राप्तांक.....

13. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :–

(अ) कहां से मिलती है.....
(ब) कितनी मिलती है .....
(स) दर .....
(द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त .....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र

1. मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
2. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
3. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नही रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

संबंधित सरपंच, पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण–पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा के पिता .... का कार्य करते है जो कार्य अस्वच्छकार कार्यों की श्रेणी में आता है।
2. इनके परिवार की वार्षिक आय .....है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को ..... रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह ..... से ..... तक की छात्रवृति के कुल .....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार
पद (मय सील सहित)

30. स्टेट इनिसिएटिव फॉर क्वालिटी ऐज्यूकेशन (SIQE) के क्रियान्वयन के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शि.प्र./19208/SIQE/15/दिनांक 5.6.2015 ● प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त ● विषय : स्टेट इनिसिएटिव फॉर क्वालिटी ऐज्यूकेशन (SIQE) के क्रियान्वयन के संबंध में। ● प्रसंग : रामाशिप/जय/2014–15/12106 दिनांक 03.06.2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में समस्त समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10/12 तक संचालित) में कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु स्टेट इंनिसिएटिव फॉर क्वालिटी ऐज्यूकेशन (SIQE) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) से संबंधित गाइड लाइन संलग्न है। तदानुसार पालना सुनिश्चित करें।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1 शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2 निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

संस्थान (SIERT) उदयपुर।

3 समस्त उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा)

4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)

5 सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि शासन सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार संलग्न गाइड लाइन आदर्श विद्यालयों की गाइड लाइन के साथ ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवावें।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रशिक्षण)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
State Initiative For Quality Education (SIQE) कार्यक्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के लिए दिशा–निर्देश

राज्य में संचालित समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 एवं कक्षा 1 से 10) में कक्षा 1 से 5 तक में विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से 'स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन' परियोजना प्रारम्भ की गयी है।

1. परियोजना के उद्देश्यः–

1.1 राज्य के समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10 एवं 1 से 12) में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 कि विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना।

1.2 बाल केन्द्रित शिक्षण विधा (Child Centered Pedalogy) तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) के समन्वित क्रियान्वयन द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि को सुनिश्चित करना।

1.3 प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की Transition Rate में उच्चतम स्तर तक सुधार लाना।

1.4 विद्यालय कक्षा 1 से 5 में नामांकित सभी विद्यार्थियों का उनकी आयु के कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना।

1.5 विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षण विधा के क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षकों की क्षमतावर्धन करना।

1.6 विद्यालय प्राचार्य एवं प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा को अकादमिक सहयोग कर्ता के रूप में तैयार करना।

1.7 जिला शैक्षिक योजना के निर्माण, संचालन एवं संवीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादमिक समूहों को तैयार करना एवं क्षमतावर्धन करना।

2. SIQE परियोजना में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका–

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था है। परियोजना के संचालन हेतु जिले में शैक्षिक प्रबोधन व मॉनीटरिंग के लिए डाईट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः डाइट हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं–

2.1 शिक्षण प्रशिक्षण :–

2.1.1 समन्वित विद्यालयों मे संचालित कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को CCE की प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश में दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान निम्न व्यवस्था सुनिश्चित करें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 154 ब्लॉक्स के समस्त राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में CCE व्यवस्था का संचालन इस वर्ष से सुनिश्चित किया जा रहा है।

2.1.2 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत CCE में में चयनित प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 में शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण डाइट्स द्वारा आयोजित किये जा रहे हैं। समन्वित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 में भी समान स्तर पर SIQE कार्यक्रम के अन्तर्गत CCE पद्धतिलागू की जायेगी। अतः ग्रीष्मावकाश में आयोजित हो रहे CCE प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी (प्राथमिक कक्षाओं के) अनिवार्य रूप से सम्मिलित करे।

2.1.3 103 ब्लॉक के समन्वित विद्यालयों के प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों हेतु CCE प्रशिक्षण संबंधित जिले के डाइट्स के माध्यम से किया जायेगा।

2.1.4 इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय डाइट हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण में मद में आवंटित राशि में से किया जाये।

2.1.5 प्रशिक्षण हेतु विस्तृत कार्ययोजना व निर्देश SIERT द्वारा जारी किये जाये। समस्त प्रशिक्षण 25 जून,2015 तक आवश्यक रूप से संबंधित किये जाये।

2.1.6 प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण समय विभाग चक्र आदि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण के अनुसार ही किया जावे।

2.2 मॉनीटरिंग समर्थन एवं प्रबोधन–

SIQE परियोजना के क्रियान्वयन व संचालन के लिये जिला कोर ग्रुप (District Core Group) का गठन किया गया है। (आदेश संलग्न)

प्रधानाचार्य डाइट जिला कोर ग्रुप के सदस्य है। अतः जिले में अकादमिक समर्थन एवं प्रबोधन में डाइट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस हेतु डाइट द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाये–

2.2.1 डाइट प्रधानाचार्य जिला कोर ग्रुप की बैठक में आवश्यक रूप से सम्मिलित है।

2.2.2 डाइट में कार्यरत एक शिक्षा अधिकारी को SIQE का नोडल प्रभारी नियुक्त किया जाये तथ सम्बन्धित का नाम व मोबाइल नं. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर एवं निदेशक, एस. आई.ई.आर.टी. उदयपुर को प्रेषित किये जाये।

2.2.3 डाइट के प्रधानाचार्य व SIQE नोडल प्रभारी के लिये SIERT उदयपुर द्वारा आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जायें प्रत्येक डाइट के प्रधानाचार्य व SIQE नोडल प्रभारी आवश्यक रूप से सम्मिलित हो। जिलों में ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली कार्यशालाओं में डाइट से विषय विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।

2.2.4 डाइट द्वारा प्रतिमाह की जाने वाली फील्ड विजिट में समन्वित विद्यालयों को भी सम्मिलित किया जावे। इसके लिए जिले के समस्त समन्वित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक

विद्यालयों (जहां कक्षा 1 से 5 संचालित है) की सूची RMSA जिला कार्यालय से प्राप्त की जाये। डाइट में कार्यरत स्टाफ को बराबर संख्या में विद्यालय आवंटित किये जाये। डाइट के प्रत्येक व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याता को 15–20 विद्यालयों का शैक्षणिक प्रभारी बनाया जाये। शैक्षिक प्रभारी फील्ड विजिट के दौरान स्वयं को आवंटित विद्यालयों का भी अवलोकर करें तथा कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को आवश्यक समर्थन प्रदान करें साथ ही कक्षा कक्ष में बाल केंद्रित शिक्षण (CCP) व सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति (CCE) की कियान्वित सुनिश्चित करवाये।

2.2.5 डाइट में प्रति अधिकारी द्वारा प्रतिमाह कम से कम 2 विद्यालयों का अवलोकन आवश्यक रूप से किया जाये एवं प्रतिवेदन SIERT उदयपुर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर एवं जिला कार्यालय माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जिलों को प्रेषित किया जाये।

2.3 विद्यालय स्तरीय मूल्यांकन का सत्यापन–

SIQE परियोजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का बेस लाइन, मिड टर्म व एण्ड लाइन मूल्यांकन एवं डेटा फीडिंग एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। मूल्यांकन के सत्यापन का कार्य डाइट में अध्ययनरत शिक्षक विद्यार्थियों (STC Students) द्वारा किया जायेगा। अतः विद्यालय स्तरीय मूल्यांकन का सत्यापन निम्नानुसार संपादित करावें:–

2.3.1 वर्ष में दो बार बेस लाइन मूल्यांकन व एण्ड लाइन मूल्यांकन का सत्यापन डाइट में अध्ययनरत शिक्षक विद्यार्थियों का द्वारा किया जाये।

2.3.2 एस.टी.सी. के शिक्षक विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में सत्र में 7 दिवस की फील्ड विजिट सम्मिलित है। ये 7 दिवस इस गतिविधि को संपादित करने हेतु नियोजित किये जायें। प्रत्येक विद्यार्थी को 3 से 4 विद्यालय आवंटित किये जाये।

2.3.3 शिक्षक विद्यार्थी से प्राप्त रिपोर्ट अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (RMSA) को प्रेषित की जायें।

2.3.4 सत्यापन हेतु प्रारूप व प्रपत्र (Tools) राज्य शैक्षिक समूह (SAG) के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। मूल्यांकन से पूर्व शिक्षक विद्यार्थियों का आमुखीकरण डाइट स्तर पर किया जायेगा। बेस लाइन एवं एण्ड लाइन मूल्यांकन बन प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

क.स.	गतिविधि	प्रस्तावित तिथि
1	बेसलाइन मूल्यांकन का सत्यापन	15 से 20 जुलाई 2015
2	फीडिंग हेतु रिपोर्ट अति.जि.प.स. को उपलब्ध करवाना।	25 जुलाई 2015
3	एण्ड लाइन मूल्यांकन का सत्यापन	15 से 20 मार्च 2016
4	फीडिंग हेतु रिपोर्ट अति.जि.प.स. को उपलब्ध करवाना।	25 मार्च 2016

अतः उपरोक्तानुसार जिला कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर गतिविधियां सम्पादित करवाई जाये।

SIQE परियोजना प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। डाइट की सक्रिय भूमिका ही जिले में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकेगी।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

तनाव का कारण

एक ज्ञानी व्यक्ति से किसी ने प्रश्न किया– 'मनुष्य के जीवन में तनाव का क्या कारण है?' ज्ञानी ने उत्तर दिया– 'मित्र! मनुष्य की भावनाओं का दमन उसे कुंठित कर देता है। भावनाओं के शोषण से मनुष्य अपने को निस्सहाय अनुभव करता है और इस प्रकार की संकीर्णता मनुष्य को भावनात्मक रूप से आहत कर देती है और वही उसके जीवन में तनाव का कारण बन जाती है। इसीलिए भावनाओं का संरक्षण और पोषण ही जीवन में सुखी रहने का एकमात्र उपाय है।'

माह : जुलाई, 2015 — **विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम** — प्रसारण समय : दोपहर 2.40 से 3.00 बजे तक

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठक्रमांक	पाठ का नाम
1.7.2015	बुधवार	जयपुर		माननीय शिक्षा मंत्री/शिक्षा सचिव का संदेश		
2.7.2015	गुरुवार	जयपुर		विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम सत्र 2015–16 एक नजर		
3.7.2015	शुक्रवार			गैरपाठ्यक्रम		
4.7.2015	शनिवार			गैरपाठ्यक्रम		
6.7.2015	सोमवार			गैरपाठ्यक्रम		
7.7.2015	मंगलवार			गैरपाठ्यक्रम		
8.7.2015	बुधवार			गैरपाठ्यक्रम		
9.7.2015	गुरुवार			गैरपाठ्यक्रम		
10.7.2015	शुक्रवार			गैरपाठ्यक्रम		
11.7.2015	शनिवार			गैरपाठ्यक्रम		विश्व जनसंख्या दिवस (उत्सव)
13.7.2015	सोमवार			गैरपाठ्यक्रम		
14.7.2015	मंगलवार			गैरपाठ्यक्रम		
15.7.2015	बुधवार			गैरपाठ्यक्रम		
16.7.2015	गुरुवार			गैरपाठ्यक्रम		
17.7.2015	शुक्रवार			गैरपाठ्यक्रम		
18.7.2015	शनिवार					ईद-उल-फितर अवकाश चन्द्र दर्शनानुसार
20.7.2015	सोमवार			गैरपाठ्यक्रम		
21.7.2015	मंगलवार			गैरपाठ्यक्रम		
22.7.2015	बुधवार			गैरपाठ्यक्रम		
23.7.2015	गुरुवार			गैरपाठ्यक्रम		लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयन्ती (उत्सव
24.7.2015	शुक्रवार			गैरपाठ्यक्रम		
25.7.2015	शनिवार			गैरपाठ्यक्रम		
27.7.2015	सोमवार			गैरपाठ्यक्रम		
28.7.2015	मंगलवार			गैरपाठ्यक्रम		
29.7.2015	बुधवार			गैरपाठ्यक्रम		
30.7.2015	गुरुवार			गैरपाठ्यक्रम		
31.7.2015	शुक्रवार			गैरपाठ्यक्रम		गुरु पूर्णिमा उत्सव

• निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, अजमेर

शिविरा, जुलाई, 2015
चित्र समाचार

झालावाड़

माननीया मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के करकमलों से माझा योजनान्तर्गत चयनित 39 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया गया। एक छात्रा को स्कूटी की चाबी सौंपते हुए माननीया मुख्यमंत्री महोदया।

जयपुर

माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. वासुदेव देवनानी ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर में नए नामांकित बच्चे को माला पहना कर प्रवेशोत्सव अभियान को नया उत्साह प्रदान किया।

झालावाड़

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चाचुर्नी, पंचायत समिति डग, जिला झालावाड़ में कक्षा नौ की छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया।

बांसवाड़ा

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चाँदनी का गढ़ा (बांसवाड़ा) में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की एक झलक।

बीकानेर

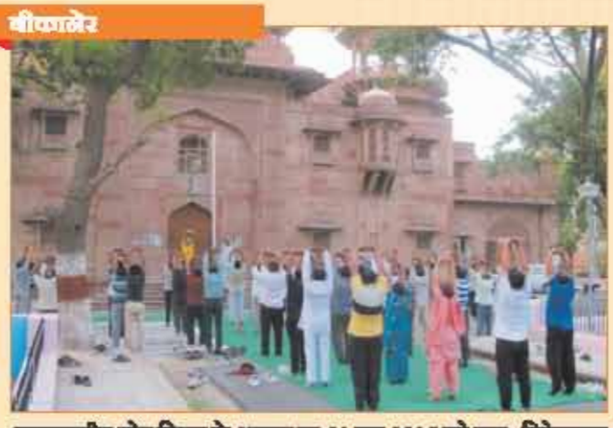

बीकानेर

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2015 को प्रातः निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर परिसर में आयोजित योग शिविर में योगाभ्यास करते शिक्षा विभाग के शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारीगण।

डाक पंजीयन संख्या Jaipur/City/409/2014-16 त्रिमासिक पत्रिका (मासिक) • जुलाई, 2015 समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66
प्रकाशन तिथि : 2 जुलाई, 2015 पृष्ठ 24 • प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

चौरासी खम्भों की छतरी, बूंदी

विश्व पर्यटन के मानचित्र पर बूंदी की पहचान बनी है, बूंदी-कोटा मार्ग में देवपुरा स्थित विशाल चौरासी खम्भों की छतरी। बूंदी आने वाले विदेशी सैलानी इस कलात्मक छतरी को देख मदमद् हो जाते हैं। इस दो मंजिला छतरी का निर्माण महाराजा अनिरुद्ध सिंह (सन् 1683 ई.) ने अपने शाहाई देवा मुर्जन के नाम पर शिव आराधना के लिये करवाया था।

छतरी में लगे पाषाण पट्टों पर बड़ी आकृति के हाथी-घोड़े व अन्य पशुओं की विभिन्न आकृतियों का पैनल है। उच्च दक्षण विधि से देवी-देवता तथा पौराणिक विषयों को मनमोहक एवं आकर्षक ढंग से उकेरा गया है। छतरी में शिवलिंग भी स्थित है। यह छतरी पुरातत्व विभाग के अधीन है।

बूंदी उत्सव के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम चौरासी खम्भों की छतरी पर ही सम्पन्न होते हैं।

लेखन : दिनेश विश्वकर्मा, बूंदी (राज.) मो. 94131 28514